Haryana Vidhan Sabha

Debates

7th February, 1969

Vol. I—No. 8

OFFICIAL REPORT

CONTENTS

Friday, the 7th February, 1969

	Page
Starred Questions and Answers	(8) 1
Written Answers to Starred Questions laid on the Table of the House under Rule 45	(8) 47
Unstarred Questions and Answers	(8) 51
Call Attention Notices	(8) 99
Personal Explanation by Chaudhry Joginder Singh	(8)101
Points of Order re-	
(i) Moving of a Privilege Motion in respect of cases pending in or going to a Court of Law	(8)103
(ii) Questioning of a Ruling of the Speaker	(8)103
Bill—	
The Haryana Appropriation—., 1969	(8)105
Walk-out	(8)131
Resumption of Discussion on Haryana Appropriation Bill. 1969.	(8)132

HARYANA VIDHAN SABHA

Friday, the 7th February, 1969

The Vidhan Sabha met in the Hall of the Haryana Vidhan Sabha, Vidhan Bhavan, Sector, I, Chandigarh at 9.30 A.M. of the Clock. Mr. Speaker (Brig. Ran Singh) in the Chair.

STARRED QUESTIONS AND ANSWERS

Enquiry Against the Cultural Party of Public Relations

***298. Shri Balwant Rai Tayal :** Will the Chief Minister be pleased to state whether any departmental enquiry was held in connection with the cultural party of the Public Relations Department, Haryana, during the year 1968; if so, the enquiry report be laid on the Table of the House ?

Shri Bansi Lal : No.

श्री मंगल सैन : क्या मुख्य मंत्री साहिब बताएंगे कि को लोक–समर्पक विभाग, हरियाणा, है उस के विरुद्ध आप के पास कोई खास शिकायतें आई हैं?

मुख्य मंत्री : अगर किसी खास शिकायत के बारे में मैम्बर साहिब पूछें तो मैं बता सकता है । डिपाटमैटंल इन्क्वायरी मैने बता दिया है कि कोई नहीं है ।

श्री मंगल सैन : आप ने वताया कि कलचरल पार्टी जो है उस के बारे मे कोई इन्क्वयारी नहीं हुई । मैं जानना चाहता हूं कि क्या उन के खिलाफ कोई कम्पलेंट लौज हुई थी जो आप ने इस काबिल नहीं समझी कि उस की जांच होनी चाहिए?

मुख्य मंत्री : जी नहीं ।

Vigilance Department

'**144. Shri Daya Krishan :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the amount spent by Government on Vigilance Department during the period from 1st November, 1966 to 31st March, 1967, and from 1st April, 1967 to 31st March, 1968 and from 1st April, 1968 to 30th September, 1968, separately ;

(b) the action taken by the Vigilance Department against the gazetted and non-gazetted officers, separately, during theperiods
mentioned in part (a) above ;

(c) the steps Government proposes to take to make this Department more effective ?

Shri Bansi Lal : (a) and (b) The requisite information is contained in statements 'A' and 'B' laid on the table of the House.

(c) A proposal to set up intelligence squad is under the consideration of Government.

ANNEXURE A'

Statement showing the amount spent by the Vigilance Department

(i)From 1st November, 1966 to 31st March, 1967
Rs 72,222.59

(ii) From 1st April, 1967 to 31st March, 1968 Rs 2,48,998.46

(iii)From 1st April, 1968 to 30th September, 1968
Rs1,45,954.65

ANNEXURE 'B'

	1st November, 1966 to 31st March, 1967	1st April 1967 to 31st March, 1968	1st April 1968 to 30th September, 1968
(i) Departmental action initiated against—			
(a) Gazetted Officers	2	2	11
(b) Non-Gazetted Officers		4	4
(ii) Conduct brought to the notice of A.D.'s concerned			
(a) Gazetted Officers	2	19	15

(b) Non-Gazetted Officers	32	19
(iii) Criminal cases registered against—		
(a) Gazetted Officers	3	2
(b) Non-Gazetted Officers	4	
(iv) Punishment awarded—		
(a) Gazetted Officers— Warned	2	4
Censured		2
(b) Non-Gazetted Officers.—Warned		2
Services terminated	2	
Acquitted		1
Reverted		1

श्री दया कृष्ण : मुख्य मंत्री साहिब ने अनेक्सचर 'ए' में 1—11—66 से 31—8—86 तक 72, 222 रुपए 59 पै० बताया है जो कि दूसरे पीरियड की निसबत बहुत कम है, क्या आप इस की डीटेल बता सकते हैं?

मुखय मंत्री : डीटेल तो मेरे पास इस वक्त है नहीं ।

श्री मंगल सैन : इस प्रश्न के 'खं भाग में मुख्य मंत्री ने बताया वै कि इतने गजटिड अफसरों और इतने नानगजटिड अफसरों के खिलाफ आप ने तहकीकात करवाई है और एक्शन लिया है । इस से साफ जाहिर है कि आप ने ज्यादा से ज्यादा एनकुवायरीज करवाई हैं । मैं जानना चाहता हूं कि जब से इनका नया अहद आया है क्या गजटिड अफसरों ने भ्रष्टाचार ज्यादा करना शुरु कर दिया है?

मुख्य मंत्री : सरकार ने तो जिस को गलत पाया सजा दी । वाकी बात जिन्होंने भ्रष्टाचार शुरु किया है उन को पूछना चाहिए ।

श्री मंगल सैन : विजिलैसं डिपार्टमैटं ने बताया लूँ कि इतना भ्रष्टाचार हुआ और इतनी एन्कुवायरीज हुई । मैं जानना चाहता हूं कि आप के अहद में भ्रष्टाचार ज्यादा हुआ है या विक्टेमाईजेशन हुई है?

मुख्य मंत्री : विक्टेमाईजेशन किसी की नहीं हुई ।

श्री दया कृष्ण : क्या मुख्य मंत्री साहिब बताएंगे' कि जब यह इतना बड़ा डिपार्टमंट है इस में 1–4–68 से 31–9–68 तक जो सजाएं दी गई .हैं वह कम नहीं है?

मुख्य मंत्री : तादाद के हिसाब से सजा नहीं दी जाती, जिन केसिज में जरूरी समझा गया सजा दी गई है ।

श्री दया कृष्ण : जितनी प्रोपोरशन में क्रपशन है इतनी ही प्रोपारशन में कम से कम सजा भी होनी चाहिए । इस लिहाज से सजाए क्या कम मालूम नहीं होतीं ।

Mr. Speaker : I think, the answer is that the question is decided on the merits of the case.

श्री मंगल सैन : जैसा कि श्री दया कृष्ण जी ने स्वाल किया है कि जिस रेशो मैं भ्रष्ट्राचार है उस रेशो के हिसाब से एक्शन नहीं लिया गया । मैं मुख्य मंत्री साहिब से पूछना चाहता द्रूं कि वह अनुपात कितना है 1: 10 है 1: 5 है या 1: 2 है ।

मुख्य मंत्री : सारे केसिज आन मैरिटस डिसाईड किए जाते है' ।

Mr. Speaker : Any way, the question is rather confusing.

Shri Mangal Sein : It was a question in which confusion does arise.

Mr. Speaker : I agree with you.

श्री मंगल सैन : क्या मुख्य मंत्री साहिब बताएंगे कि विजिलैसं डिपार्टमंट को जो इन्क्वायरी दी जाती है उस को पूरा करने. के लिए उनको कोई समय भी दिया जाता है या वह जितना टाईम चाहे लगा सकते हैं?

मुख्य मंत्री : कोशिश तो यह होती है कि जल्दी से जल्दी खतम हो लेकिन हर केस की नैंचर के मुताबिक टाईम लगना होता है ।

Conductors in the Ambala Depot of Haryana Roadways

***294. Shri Piara Singh :** Will the Chief Minister be pleased to state--

(a) the total number of Conductors in the Ambala Depot of Haryana Roadways and to lay on the table of the House a list containing the names and full addresses of the said conductors ;

(b) the number, name and full addresses of the conductors in the said depot who were given promotions during the year 1968 ?

श्री बन्सी लाल : हरियाणा परिवहन अम्बाला में कुल कंडक्टर अड्डा कंडक्टर की संख्या 362 है । उनकी सूची जिसमें उनके नाम तथा पता का विवरण है विधान सभा के सम्मुख रखी जाती हूँ ।

(ख) वर्ष 1 968 में केवल नि म्नी लखित दो अड् डा कंडक्टर की पदोन्नती की गई है : –

(1) श्री शिव नारायाण

(2) श्री इन्द्र सैन

(क) कुल संख्या 362

(ख) विवरण–पत्र (संवाहक) हरियाणा राज्य परिवहन, अम्बाला वर्ष काल 1968 (कण्डक्टर)

क्रमांक	नाम अधिकारी	नम्बर तथा पद	गृह–स्थान
1	श्री रोशन लाल, सुपुत्र श्री जीवन सिहु	1	बैरिक नम्बर 9– 1 ह, बलदेव नगर (अम्बाला)
2	श्री बरखा राम, .सुपुत्र श्री कर्त्ता राम	2	गांव खरसेहढी, पी. ओ. बबियाल (अम्बाला)
3	श्री बखतावर सिंह, सुपुत्र श्री बीजा सिंह	3	गांव तथा पी. ओ. दोबिटा, तहसील ऊना (होशियारसूरर)
4	श्री भगत राम, सुपुत्र श्री इन्द्र राम	4	गांव चौहर, पी. ओ. दखलहर, जिला बिलासपुर

5	श्री हवा सिंह, सुपुत्र श्री प्रभाती राम	5	गांव तथा डाक खाना धबी, तहसील पानीपत (करनाल)
6	श्री सुरिन्द्रबीर सिंह, सुपुत्र श्री अवतार सिंह	6	मकान नं० 6794, अम्बाला शहर
7	श्री नोराता राम, सुपुत्र श्री काशी राम	7	गांव तथा डाकखाना केसरी (अम्बाला)
8	श्री ओम प्रकाश, सुपुत्र	8	
9	श्री हरनेक सिंह, सुपुत्र श्री गुरदयाल सिंह	9	गांव तथा डाकखाना शेरपुर खुर्द (जगराऊ)
10	श्री भीम सैन, सुपुत्र हर भगवान दास	10	मकान नं० 432 3, वार्ड नं० 3, अम्बाला शहर
11	श्री अजैव सिंह, सुपुत्र जगीर सिंह	10 ए	गांव इकाल गेडा (अमृतसर)
12	श्री मंहगा राम, सुपुत्र श्री माम राज	11	गांव कुहाड, डाकखाना कोहन्ड, (करनाल)
13	श्री हर भजन सिंह, सुपुत्र श्री प्रताप	12	मकान न० 63, पृथी मुहल्ला (अम्बाला शहर)

	सिंह		
14	श्री नछतर सिंह, सुपुत्र श्री काका सिंह	13	गांव तथा डाकखाना माझीवाडा तहसील, समराला (लुधियाना)
15	श्री जसवन्त सिंह, सुपुत्र श्री बच्चन सिंह	14	गांव दूसरा, डाक खाना नीजामपुर (पटियाला)
16	श्री शांती लाल, सुपुत्र श्री जगत राम	15	मकान नं० 10–152, बलदेव नगर, अम्बाला शहर
17	श्री सजन सिंह, सुपुत्र श्री मोहन सिंह	16	गांव थबलान, डाकखाना नगवान (पटियाला)
18	श्री महेन्द्र पाल, सुपुत्र श्री गोपाल दास	17	गांव तवडी (करनाल)
19	श्री सुशील कुमार, सुपुत्र श्री चमन लाल	18	पी. ओ. टी. कोलोनी, क्वाटर नं० 18–अच, अम्बाला छावनी
20	श्री कुलदीप सिंह, सुपुत्र श्री करतार	19	मकान नं० 231, एफ, मीरा घाटी, करनाल

	सिंह		
21	श्री करतार सिंह, सुपुत्र श्री पंजाब सिंह	20	मकान नं० 7361, वार्ड नं. 4, (अम्बाला शहर)
22	श्री रोशन लाल, सुपुत्र श्री बहादर चन्द	21	गांव तथा डाक खाना नारायणगढ (अम्बाला)
23	श्री चरण जीत लाल, सुपुत्र श्री लाल जीमल	22	गांव तथा डाक खाना दी कन्डल, थाना समलका (करनाल)
24	श्री हर भगवान दास, सुपुत्र श्री वीर भान.	23	मकान नं० 9724, वार्ड नं. 6, अम्बाला शहर
25	श्री प्यारे लाल, सुपुत्र श्री लदा राम	24	बैरक नं. 461, कोठी नं. 10, करनाल
26	श्री राम करण, सुपुत्र श्री अजा नन्द	25	गांव घेल, अम्बाला
27	श्री गुरुदीत्त मल, सुपुत्र श्री शिवला राम	26	डाक खाना शाहबाद (करनाल)

28	श्री जीवन दास, सुपुत्र श्री जय कृष्ण शर्मा	27	डाकखाना शाहबाद (करनाल)
29	श्री गुरदेव सिंह, सुपुत्र श्री चन्नन सिंह	27	सिहा वाला डाक खाना, अम्बाला
30	श्री महेन्द्र लाल, सुपुत्र श्री सन्त राम	28	ऊताला, डाक खाना अम्बाला
31	सत्यपाल, सुपुत्र श्री हुकम चन्द	29	गांव सकरूओ, अम्बाला
32	श्री गुरदीप सिंह सुपुत्र श्री नाराजन सिंह	30	गांव सुन्दर खेडी, डाकखाना मुबारक पुर (पटियाला)
33	श्री जगदीश लाल, सुपुत्र श्री अमर नाथ	31	गांव, डाकखाना बोह (अम्बाला)
34	श्री सुरिन्द्र सिंह, सुपुत्र श्री सुदागर सिंह	32	गांव फलौर, डाकखाना सीवन (करनाल)
35	श्री धन दास, सुपुत्र श्री सन्त राम	33	मकान नं ० 6918, वार्ड नं. 4 अम्बाला शहर

36	श्री दरशन सिंह, सुपुत्र	34	
37	श्री जगीर सिंह, सुपुत्र श्री कोशल सिंह	35	गांव सुजाटपुर, डाक खाना शाहबाद (करनाल)
38	श्री मु सरी लाल, मुपुत्र श्री मोहन लाल	36	मकान नं. 4801, मोची मण्डी, अम्बाला छावनी'
39	श्री राजेन्द्र सिंह, सुपुत्र श्री सुन्दर सिंह	37	गांव पिन्जौखरा (अम्बाला)
40	श्री मदन लाल, सुपुत्र श्री खेम चन्द	38	गांव तथा डाक खाना सोहाना (अम्बाला)
41	श्री रमेश्वर दास, सुपुत्र श्री वसन्त राम	39	गांव कलसाना तहसील थनेसर (करनाल)
42	श्री ईशवर सिंह, सुपुत्र श्री जसवन्त सिंह	40	गांव मथलाल, जिला संगरूर
43	श्री रमेशवर लाल, सुपुत्र श्री नरसिंह दास	41	गांव तथा थाना ऊचना (करनाल)

44	श्री मुलख राज, सुपुत्र श्री दुनी चन्द	42	गांव तथा डाक खाना जनसुई (अम्बाला)
45	श्री भजन सिंह, सुपुत्र श्री बूटा राम	43	गांव तथा डाक खाना सेहा (अम्बाला)
46	श्री चमन लाल, सुपुत्र श्री जगन नाथ	44	मकान नं० डी– 48, अर्जन गैट, करनाल
47	श्री सोम नाथ, सुपुत्र श्री आत्मा राम	45	गांव तथा डाक खाना रायपुर रानी (अम्बाला)
48	श्री घन श्याम दास सुपुत्र श्री राम किशन	46	गांव तथा डाक खाना तीतरम (सहारनपुर)
49	श्री सिकन्द्र लाल, सुपुत्र श्री बेली राम	47	मकान न ० 4708 वाडे न. 3, अम्बाला शहर
50	श्री सोम प्रकाश, सुरू श्री धर्म पाल	48	शर्मा गली केहरा वली, गांव तथा डाकखाना रदौर (करनाल)
51	श्री ओम प्रकाश, सुपुत्र श्री असा राम	49	गांव तथा डाकखाना नीनदना (रोहतक)
52	श्री अर सिंह, सुपुत्र श्री अनन्त राम	50	गांव तथा डाक खाना नीसिंह (करनाल)

53	श्री कपल देव, सुपुत्र श्री दीना नाथ	51	गांव मटून, डाक खाना बरीकलन, पोलिस स्टेशन महलएरर (होशियाररुर)
54	श्री जगीर सिंह, सुपुत्र श्री अमर सिंह	52	गांव हुंडी वाला, डाक खाना जगाधरी
55	श्री रामजी दास, सुपुत्र श्री राम दास	53	मकान नं. 8649– 5, अम्बाला शहर
56	श्री अजैब सिंह, सुपुत्र श्री बीशना सिंह	54	गांव लारसा, डाकखाना नीसमली (अम्बाला)
57	श्री शाम सुन्दर, सुपुत्र श्री मुकन्द लाल	55	मकान नं. 6183, ईदखा रोड, अम्बाला छावनी
58	श्री रतन चन्द, सुपुत्र श्री करतार चन्द	55	डाकखाना नोरूपुर, तहसील ऊना (होशियारपुर)
59	श्री तरलोक सिंह, सुपुत्र श्री हीरा सिंह	56	मकान नं . 2311, राम नगर, करनाल
60	श्री सोम नाथ, सुपुत्र श्री केशोरी लाल	57	गांव तथा डाक खाना शयादपुर (अम्बाला)
61	श्री अमरजीत सिंह, सुपुत्र श्री कृपा	58	मकान न. 131, वार्ड 3, पुराना राजपुरा

	सिंह		(पटियात्रा)
62	श्री भाग सिंह, सुपुत्र श्री हरनाम सिंह	59	गांव ठोल, करनाल
63	श्री जयपाल, सुपुत्र श्री सिकन्द्र लाल	60	डाकखाना लाडवा (करनाल)
64	श्री हरी चन्द, सुपुत्र श्री लछमन दास	61	गांव तथा डाकखाना रायपुर रानी (अम्बाला)
65	श्री रमेश चन्द, सुपुत्र श्री मुलख राज	62	मकान नं. 131, वार्ड नं. 71, पानीपत
66	श्री रमेश लाल, सुपुत्र श्री रेला राम	63	मकान नं० 3612, वार्ड नं. 2, अम्बाला शहर
67	श्री मोहन सिंह, .सुपुत्र श्री कर्म सिंह	64	गांव तथा डाकखाना मान गढ, तहसील रोपड़ (अम्बाला)
68	श्री किशन लाल, सुपुत्र श्री साधु राम	65	मकान नं. 141 1, वार्ड नं. 1, अम्बाला शहर
69	श्री रोशन लाल, सुपुत्र यत श्री हुकम चन्द	66	मकान नं. 82, कुरूक्षेत्र (करनाल)
70	श्री जसवन्त सिंह, सुपुत्र श्री मोहन	67	गांव तथा डाकखाना नन हीरा, तहसील

	सिंह		राजपुरा (पटियाला)
71	श्री देवी दयाल सुपुत्र श्री साधु राम	68	डाक खाना पिहेवा (करनाल)
72	श्री जशमेर सिंह, सुपुत्र श्री हमत सिंह	69	राज पुरा (पटियाला)
73	श्री बाज सिंह, सुपुत्र श्री टहल सिंह	70	गांव नारसी (अम्बाला)
74	श्री गुरूपाल सिंह, सुपुत्र श्री जोगिन्द्र सिंह	71	गांव कुरबान कुमार (अम्बाला)
75	श्री भारत भूषण सुपुत्र श्री चोखा राम	72	मकान नं. 4764–3, अम्बाला
76	श्री धर्म पाल, सुपुत्र श्री तारा चन्द	73	असन्ध, करनाल
77	श्री शिव चन्द, सुपुत्र श्री देवी दयाल	74	महला वाला (पटियाला)
78	श्री प्रेम चन्द, सुपुत्र श्री महेन्द्र प्रकाश	75	तहयादपुर (अम्बाला)
79	श्री कश्मीरा सिंह, सुपुत्र श्री हरबन्स सिंह	76	गांव असन्ध (करनाल)

80	श्री भैया राम, सुपुत्र श्री वलगा राम	77	गांव बबरपुर (करनाल)
81	श्री हरद्वारी लाल, सुपुत्र श्री वासदेव	78	मकान नं . 7366, वार्ड 4, अम्बाला
82	श्री नरेन्द्र पात्र, सुपुत्र श्री चुनी लाल	79	गांव जलबेरा (अम्बाला)
83	श्री ओम प्रकाश, सुयूरत श्री परस राम	80	रायपुर रानी (अम्बाला)
84	श्री अजीत सिंह, सुपुत्र श्री कर्म सिंह	81	मकान नं. 1248, मोहल्ला गोसाई (करनाल)
85	श्री इन्स्पैक्टर सिंह, सुपुत्र श्री नबाली सिंह	82	गांव मकान (करनाल)
86	श्री गुरदीप सिंह, सुपुत्र श्रौ मित सिंह	83	गांव दीनादपुर, डाकखाना केसरी, अम्बाला
87	श्री मुख लाल, सुपुत्रय श्री कश्मीरी लाल	83 ए	गांव रायपुर रानी, अम्बाला
88	श्री राम सरुप, सुपुत्र श्री अर्ज न सिंह	84	गांव कनवाला, डाकखाना माडल टाऊन, अम्बाला शहर

89	श्री राम प्रकाश, सुपुत्र श्री अर्जन दास	85	मकान नम्बर 1210, वार्ड नं ० 1, अम्बाला शहर
90	श्री रोशन लाल, सुपुत्र श्री बारू राम	86	गांव तथा डाकखाना घरौंड़ा, करनाल
91	ोखर चन्द, सुपुत्र श्री अमर नाथ'	87	गांव मालिकपुर, अम्बाला
92	श्री रामेश चन्द, सुपुत्र श्री वासनदा राम	88	मकान नं ० 5833, मोची मुहल्ला, अम्बाला छावनी
93	श्री शेर सिंह, सुपुत्र श्री हरदयाल सिंह	89	गांव तथा डाकखाना गुराह, जिला लुधियाना
94	श्री सरूप सिंह, सुपुत्र भी चुअर सह	90	गांव देवधर, डाकखाना खासिरा, अम्बाला
95	श्री दलीप सिंह, सुपुत्र श्री रबी संह	91	गांव तथा डाकखाना रायकोट, जिला लुधियाना
96	श्री हरीश चन्द्र, सुमृरव श्री बन्शी राम	92	मकान नं. 3066— 2, अम्बाला शहर
97	श्री हरीश चन्द्र, सुपुत्र श्री गोपाल	93	हलवाई बाजार, अम्बाला शहर

	गुप्ता		
98	श्री पुरण प्रकाश, सुपुत्र श्री चोखा राम	94	मकान नं. 3402, वार्ड नं ० 2, अम्बाला शहर
99	श्री पृथवी सिंह, सुपुत्र श्री काली राम	95	गांव तथ डाकखाना घरौंडा, करनाल
100	श्री जय पाल सिंह, सुपुत्र श्री अमी सिंह	96	गांव तथा डाकखाना खेड़ी, करनाल
101	श्री राम लाल, सुपुत्र श्री प्रेम चन्द	97	गांव तथा डाकखाना जनसुई, अम्बाला
102	श्री बलदेव राज, सुपुत्र श्री सुनाम दास	98	मकान नं. 4778– 3 अम्बाला शहर
103	श्री विश्वा मिव, सुपुत्र कृष्ण चन्द	99	गांव तथा डाकखाना बिलासपुर, तहसील जगाधरी, अम्बाला
104	श्री सत्य पाल, सुपुत्र श्री काशी राम	100	गांव तथा डाकखाना, सहजादपुर, अम्बाला

105	श्री सुभाश चन्द, सुपुत्र श्री विश्म्बर नाथ	101	मकान नं . 42, प्रीत नगर, अम्बाला शहर
106	श्री सुरजीत सिंह, सुपुत्र श्री शेर सिंह	102	आर्य समाज चौक, पटियाला
107	श्री लाल चन्द, सुपुत्र श्री बुद्ध राम	103	गांव तथा डाकखाना कौल, तहसील कैथल, करनाल
107 ए	श्री दवीन्द्र सिंह, सुपुत्र श्री नफे सिंह	104	मकान नं. 7853– 4, अम्बाला शहर
108	श्री राम धारी, सुपुत्र श्री दाता राम	105	गांव पिलानी, डाकखाना ककन्त, कैथल, जिला करनाल
109	श्री जीवन सिंह, सुपुत्र श्री गंगा सिंह	106	शगल, डाकखाना, दसुआ, जिला होशियारपुर
110	श्री गोबिन्द लाल, सुपुत्र श्री मेहर चन्द	107	गांव तथा डाकखाना अजोया, अम्बाला
111	श्री माम चन्द, सुपुत्र श्री मातृ राम	108	गांव बिलासपुर, डाकखाना शहजादपुर, अम्बाला

			गांव वरथाला, डाकखाना यारा, जिला
112	श्री ओम प्रकाश, सुपुत्र श्री भोला राम	109	करनाल
113	श्री केशो राम, सुपुत्र श्री शंकर लाल	110	गांव डडवाल, डाकखाना सहजादपुर, अम्बाला
114	श्री हवा सिंह, सुपुत्र श्री मांगी सिंह	111	गांव तथा डाकखाना खनदा, जिला रोहतक
			गांव मजाल, डाकखाना रणपुर, जिला
115	श्री प्रित्म चन्द, सुपुत्र श्री गुरदास राम	112	होशियारपुर
116	श्री लख्मी चन्द, सुपुत्र श्री भगुराम	113	गांव धीन, जिला अम्बाला
			खरना कला, डाकखाना बानुर, जिला
117	श्री वेद प्रकाश, सुपुत्र श्री चनन राम	114	पटियाला
			मकान नं. 2–227, बलदेव नगर, अम्बाला
118	श्री बोध राज, सुपुत्र श्री राम लाल	115	शहर
	श्री जोगिन्द्र सिंह, सुपुत्र श्री नथा		
119	सिंह	116	मकान न. 1560–1, अम्बाला शहर

120	श्री सन्तोक सिंह, सुपुत्र श्री बेला सिंह	117	गांव शरफिगढ, डाकखाना शाहबाद, करनाल
121	श्री केवल राम, सुपुत्र श्री गनेश दास	118	गांव डाकखाना सोहाना, अम्बाला
122	श्री संत पाल सिंह, सुपुत्र श्री अमर सिंह	119	गांव, डाकखाना लाहा, तहसील नारायणगढ (अम्बाला)
123	श्री हर कीरत सिंह, सुपुत्र श्री अमृत सिंह	120	मकान नं ० 72– सी, मोहल्ला जगरन, छछरोली
124	श्री बारू राम, सुपुत्र श्री रजना राम	121	गांव मालकपुर टनडा, मौलाना (अम्बाला)
125	श्री मीलखी सिंह, सुपुत्र श्री शरीया सिंह	122	गांव कथनीपुर, डाकखाना कृपाण (करनाल)
126	श्री अवसीनल हक, सुपुत्र श्री फजल हक	123	मुहल्ला बरगान टाऊन, जिल सहारनपुर
127	श्री इन्द्र सिंह, सुपुत्र श्री नथु राम	124	गांव बनगारी, डाकखाना दोरानी, जिला करनाल

128	श्री ओम प्रकाश, सुपुत्र श्री प्यारा लाल	125	मकान नं . 583, 101, पानीपत (करनाल)
129	श्री दरबारा सिंह, सुपुत्र श्री सेवा सिंह	126	गांव हरको, डाकखाना शेरपुर (अम्बाला)
130	श्री राज पाल, सुपुत्र श्री गुरदयाल लाल	127	मकान न. 6768, कलाल मंजरी, अम्बाला शहर
131	श्री शाम लाल, सुपुत्र श्री अलेख राम	128	मकान नं. 1577, राम बाग रोड, अम्बाला
132	श्री तारा चन्द, सुपुत्र श्री राम किशन	129	गांव बथला, जिला करनाल
133	श्री सवरन सिंह, सुपुत्र श्री दया राम	130	गांव कुलना, डाकखाना माडल टाऊन, अम्बाला शहर
134	श्री राम सिंह, सुपुत्र श्री छजु राम	131	गांव कथगढ, डाकखाना इसमालाबाद, करनाल
135	श्री गुरबचन सिंह, सुपुत्र श्री मंगत सिंह	132	मकान नं. 662, सुनाम मण्डी (पटियाला)

136	श्री ओम प्रकाश, सुपुत्र श्री अजा नन्द	133	गांव कोटला, तहसील समराला (लुधियाना)
137	श्री हुकम चन्द, सुपुत्र श्री दलीप सिंह	134	गांव तथा डाकखाना फतेहपुर, करनाल
138	श्री सतीश कुमार, सुपुत्र श्री रेला राम	135	गांव तथा डाकखाना नारायणगढ (अम्वाला)
139	श्री कमलेश चन्द, सुपुत्र श्री कलेश चन्द	136	गांव तथा डाकखाना दीन, अम्बाला
140	श्री ओम प्रकाश, सुपुत्र श्री हरनाम सिंह	137	मकान नं. 581, वार्ड नं. 4, अम्बाला शहर
141	श्री किशन लाल, सुपु व श्री बरम दयाल	138	गांव डाकखाना सकरी, जिला करनाल
142	श्री राम लाल, सुपुत्र श्री काला राम	139	मकना नं. 9 0, कल्नदीरी गेट, करनाल
143	श्री बलबीर चन्द, सुपुत्र श्री बसन्त राम	140	मकान नं. 272–ए, रेलवे कोलोनी, अम्बाला छावनी

144	श्री पवन कुमार, सुपुत्र श्री सन्त राम	141	मकान नं. 7164, वार्ड नं. 1, अम्बाला शहर
145	श्री सुयश चन्द, सुपुत्र श्री राम लाल	142	मकान नं 7781, वार्ड नं. 4, अम्बाला शहर
146	श्री बच्चन सिंह, सुपुत्र श्री परस राम	143	गांव लालपुर, डाकखाना शहदरा (अम्बाला)
147	श्री राम किशन, सुपुत्र श्री भोला राम	144	मुहल्ला जटा, करनाल
148	श्री किशन चन्द, सुपुत्र श्री नृथु राम	145	गांव बरूना खुरद, डाकखाना रायपुर रानी, अम्बाला
149	श्री भेल्ला राम, सुपुत्र श्री बारू राम	146	गांव खेरी, तहसील कैथल जिला करनाल ।
150	श्री केशवा नन्द सुपुत्र श्री विश्वा नन्द	147	गांव तथा डाकखाना कलीतवा, तहसील ऊना जिला होशियारपुर
151	श्री अवनेशी राम, सुपुत्र श्री हंस राज	148	मकान नं. 205 3, वार्ड नं. 4, अम्बाला शहर
152	श्री केशव कुमार, सुपुत्र श्री बाबू राम	149	मकान नं. 10—152, बलदेवनगर, अम्बाला
153	श्री जनमत सिंह, सुपुत्र श्री शांती सिंह	150	गांव मुकान, डाकखाना जीद

154	श्री विश्वा मिव, सुपुत्र श्री चमन लाल	151	मकान न. 5508, वार्ड 31, अम्बाला
155	श्री जनेश्वर दास, सुपुत्र श्री मंगत राम	152	गांव कारक, करनाल
156	श्री विजय कुमार, सुपुत्र श्री मदन लाल	153	मकान नं. 1971, लडवा, करनाल
157	श्री मान सिंह सुपुत्र श्री नोराता राम	154	मुल्लापुर, पटियाला
158	श्री जसवन्त लाल सुपुत्र श्री शांती स्वरूप	155	मकना नं. 658 9, अम्बाला
159	श्री भीम सिंह. सुपुत्र श्री बेला राम	156	कैथल, जिला करनाल
160	श्री ठाकुर सिंह, सुपुत्र श्री कुन्दन राम	157	रायपुर रानी, अम्बाला
161	श्री सुखदेव सिंह, सुपुत्र श्री सरवन सिंह	158	16 माडल टाऊन, करनाल
162	श्री हरी राम, सुपुत्र रगोला राम	159	बटोर, जिला अम्बाला

163	श्री केसर सिंह, सुपुत्र दनेश लाल	160	सीवन, जिला करनाल
164	श्री मेहन्द्र सिंह, सुपुत्र सुरजन सिंह	161	नंगल, जिला अम्बाला
165	श्री राज कुमार, सुपुत्र आत्मा राम	162	चीका, जिला करनाल
166	श्री जोगिन्द्र सिंह, सुपुत्र हजूरा सिंह	163	बरसाल, जिला करनाल
167	श्री सीआ राम, सुपुत्र जगन नाथ	164	अमबोत, जिला सहारनपुर
168	श्री उदय भान, सुपुत्र कर्म चन्द	165	जनसूई, जिला अम्बाला
169	श्री किशन लाल, सुपुत्र टेक चन्द	166	मकान न ० 4502, अम्बाला शहर
170	श्री बोटा सिंह, सुपुत्र छाछा सिंह	167	बरोली, अम्बाला
171	श्री राम दास, सुपुत्र पसूज राम	168	जन्दू रोड, देहरादून (उत्तर प्रदेश)
172	श्री हंस राज, सुपुत्र नहल चन्द	169	मकान नं. 189, करनाल
173	सोहन लाल, सुपुत्र किशन सिंह	170	नारायणगढ, अम्बाला

174	श्री हरबल्स लाल, सुपुत्र फकीर चन्द	171	इसमालाबाद, करनाल
175	श्री हरनाम सिंह, सुपुत्र मल सिंह	172	तेजपुर, जिला लुधियाना
176	श्री बनारसी दास, सुपुत्र केहर सिंह	173	रादौर, करनाल
177	श्री इन्द्र राज, सुपुत्र भोला राम	174	मकान नं ० 9328, अम्बाला शहर
178	श्री बीनाराम, सुपुत्र बनवारी लाल	175	गांव तथा डाकखाना पुण्डरी, करनाल
179	श्री दलवीर सिंह, सुपुत्र मेवा सिंह	176	बलदेव सिंह, अम्बाला शहर
180	श्री तिलक राज, सुपुत्र राम लाल	177	गुरद्वारा रोड, पेहवा, करनाल
181	श्री हंस राज, सुपुत्र बेली राम	178	गांव जनसूई, अम्बाला
182	श्री गुरदयाल सिंह, सुपुत्र खुशाल सिह	179	मकान नं. 1174, अम्बाला शहर
183	श्री जागीर राम, सुपुत्र कृष्णा राम	180	खेडी सहीदा, करनाल

184	श्री काशी राम, सुपुत्र बीर सिंह	181	कठलाखेडी, करनाल
185	श्री ऊनरो सिंह, सुपुत्र अजा नन्द	182	विचपुरी, अम्बाला
186	श्री कुलवन्त राय, सुपुत्र मन्सा राम	183	लोसम्बली, पटियाला
187	श्री सत्यपाल, सुपुत्र लक्षमी चन्द	184	मकान नं ० 34, बलदेव नगर, अम्बाला शहर
188	श्री सुखजीन्द्र सिंह, सुपुत्र हजारा सिंह	185	गांव जयपुर, संगरूर
189	श्री अमृत लाल, सुपुत्र देस राज	186	शाहपुर, अम्बाला
190	श्री शाम लाल, सुपुत्र हरि कृष्णा	187	शाहपुर, अम्बाला
191	श्री बलदेव सिंह, सुपुत्र मातु राम	188	गांव हथलान, करनाल
192	श्री कृष्णा लाल, सुपुत्र मेहर चन्द	189	मकान नं . 1411, अम्बाला शहर
193	श्री प्रेम चन्द, सुपुत्र साधु राम	190	नुरपुर, अम्बाला
194	श्री बलदेव राज, सुपुत्र दौलत राम	191	थानेसर, करनाल

195	श्री रोशन लाल, सुपुत्र कृष्णा चन्द	192	मकान नं. 70, पानीपत, करनाल
196	श्री सुरज भान, सुपुत्र गोप राम	193	गांव ईक्स, जींद, संगरूर
197	श्री जगतार सिंह, सुपुत्र रघुबीर सिंह	194	मकना नं. 107–3, लाडवा, करनाल
198	श्री बचन सिंह, सुपुत्र ईश्वर सिंह	195	ईण्डयन मोटर ट्रांस्पोर्ट, करनाल
199	श्री मेघ राज, सुपुत्र पन्ना राम	196	घरौंडा, करनाल
200	श्री ईन्द्रजीत, सुपुत्र सीता राम	197	गांव कुराली, जिला करनाल
201	श्री रत्ती सिंह, सुपुत्र कन्या राम	198	गोहाना, करनाल
202	श्री साई दास, सुपुत्र भोझा राम	199	गांव शाधहरा, अम्बाला
203	श्री कुलवन्त सिंह, सुाहउव बचन सिंह	200	खुर्ड कल्यान, अमृतसर
204	श्री रोशन सिंह मुपुव राम स्वरूप	201	मुलाओपुर, अम्बाला
205	श्री राजेन्द्र कुमार, मूरपुव रागबीर	202	बतवार, अम्बाला

सिंह

206	श्री बच्चन सिंह, सुपुत्र छोटू राम	203	रायपुर रानी, अम्बाला
207	श्री सूरजात सिंह, सुपुत्र दर्शन सिंह	204	मकान नं. 1451, अम्बाला
208	श्री उदय राम, सुपुत्र नेराता राम	205	नारायणगढ, अम्बाला
209	श्री सरवन ज्ञउमार, सूरएरर प्रेम सिंह	206	शाहपुर, अम्बाला
210	श्री रमेश चन्द, सुपुत्र दीवारका नाथ	207	मकान नं. 361, राजपुरा
211	श्री प्रेम दास, सुपुत्र चमन दास	208	मकान नं. 9600, अम्बाला
212	श्री अमर नाथ, सुपुत्र साधु राम	209	बीरोन, डाक खाना काकर मजरी, अम्बाला
213	श्री बरक राज, सुपुत्र जगीर सिंह	211	7258, अम्बाला शहर
214	श्री जगदीश चन्द्र, सुपुत्र लालो राम	212	जीतपुरा, करनाल
215	श्री काशी राम, सुत्त्व सवन राम	213	दीनदरा अम्बाला

216	श्री राम नाथ, सुपुत्र राजा राम	214	बजली, पटियाला
217	श्री शीखरा सिंह, सुत्त्व विरश सिंह	215	असन्ध, करनाल
218	श्री मुलतान चन्द, सुपुत्र नन्द राम	216	खेडी, राजपुरा
219	श्री कपाल सिह, सुपुत्र प्रेम सिंह	217	मोरण्डा, करनान
220	श्री गुरबचन सिंह, सुपुत्र लाल सिह	218	7744, अम्बाला
221	श्री गोचरन सिंह, सुयूरर मोती राम	219	मोलापुर, पटियाला
222	श्री मघज राज, सुपुत्र बूटा राम	219 ए	रायपुर, अम्बाला
223	श्री हरभाजन सिंह, सुपुत्र हुकम सिंह	220	3859, अम्बाला
224	श्री ओम प्रकाश, सुपुत्र बेली राम	221	राजा खेडी, करनाल
225	श्री अमरीक सिंह, सुपुत्र राम सिंह	222	474, अम्बाला
226	श्री रोशन लाल, सुपुत्र हरी चन्द	223	446 माडल टाऊन, अम्बाला

227	श्री लाल चन्द, सुपुत्र गोकल चन्द	224	मकान नं. 915, अम्बाला
228	श्री अब्दूल हसान, सुपुत्र मानुदीन	225	नंगल, अम्बाला
229	श्री अजीत सिंह, सुपुत्र करतार सिंह	225 ए	गांव नारसी, करनाल
230	श्री नन्द किशर, सुमृउव सोहन लाल	226	गांव कोशला, होशियारपुर
231	श्री राज कुमार, सुपुत्र धनपत राय	227	गांव हबरी, करनाल
232	श्री शादी लाल, सुपुत्र बसन्त राम	228	ब्लाक नं. 96, अम्बाला छावनी
233	श्री राम कारण, सुपुत्र महमा सिंह	228 ए	बरार, अम्बाला
234	श्री कृष्ण चन्द, सुपुत्र मेगा राम	229	सदर बाजार, अम्बाला छावनी
235	श्री विधा नाथ. सुपुत्र नौराता राम	230	बुरावाला, अम्बाला
236	श्री जोगेन्द्र कुमार, सुपुत्र नानक चन्द	231	मकान न. 9558, अम्बाला
237	श्री रामेश्वर दास, सुपुत्र मुन्नी राम	232	रायपुर, अम्बाला

238	श्री हरभजन सिंह, सुपुत्र कत्यान सिंह	233	सुभाष नगर, अम्बाला
239	श्री वीर–भान, सुपुत्र लाला राम	234	मकान नं. 625, अम्बाला गांव
240	श्री घमभोर सिंह, सुत्त्व सोहन लाल	235	मुलाना, अम्बाला
241	श्री ओम प्रकाश, सुपुत्र राधे सिंह	236	गांव तथा डाकखाना, छाजपुर, पानीपत, करनाल
242	श्री लाल चन्द, सुपुत्र हंस राज	237	गांव नटवाल, अम्बाला
243	श्री परस राम, सुपुत्र अन्नत राम	238	जगाधरी, अम्बाला
244	श्री सोम नाथ, सुपुत्र राम कृष्णा	239	मकान नम्बर 279, अम्बाला
245	श्री खरैती लाल, सुपुत्र लख्मी चांद	240	मकान नं. 6645, अम्बाला
246	श्री दर्शन लाल, सुपुत्र रत्ती राम	241	गांव नया गांव, जगाधरी अम्बाला
247	श्री जागीर सिंह, सुपुत्र केहर सिंह	242	गांव तथा डाकखाना बाईन साल, करनाल

248	श्री पुन्ना राम, सुपुत्र मोली राम	243	राम प्रकाश, वकील, करनाल
249	श्री जय राम, सुपुत्र इन्द्र सिंह	244	रूडका, जिला लुधियाना
250	श्री भोला सिंह, सुपुत्र. बालक सिंह	245	मकान नं. 2285, अम्बाला
251	श्री राम सिंह, सुपुत्र रचन सिंह	246	गांव मानकपुर, अम्बाला
252	श्री प्रेम चन्द्र, सुपुत्र	247	जिला अम्बाला
253	श्री राम सरूप, सुपुत्र .अजैव सिंह	249	गांव जनसूई, अम्बाला
254	श्री मुख्तियार सिंह, सुपुत्र अर्जुन सिंह	250	गांव आगोल, पटियाला
255	श्री रंजोर सिंह, सुपुत्र. जीती राम	251	गांव बिलासपुर, अम्बाला
256	श्री गुर्दीप सिंह, सुपुत्र भोला सिंह	252	गांव नवां पिंड, पटियाला
257	श्री गुमीत सिंह सुपुत्र तारा सिंह	253	गांव राजौरपुर, पटियाला
258	श्री इन्द्र सिंह, सुपुत्र बाद राम	256	गांव जटवाल, करनाल

259	श्री रामेश्वर सिंह, सुपुत्र मंगत राम	258	गांव अमुपुर, करनाल
260	श्री गुरचरन लाल, सुपुत्र कृष्ण लाल	260	खरेडा गली, जमुना नगर
261	श्री रेलु राम, सुपुत्र राम दिया	261	गांव पण्जोखडा, अम्बाला
262	श्री कृष्णा लाल, सुपुत्र बुटा राम	257	गांव गेबली बाई, सहारनगुर
263	श्री कृष्ण लाल, सुपुत्र पिशोरी लाल	262	गांव जनसु ई, अम्बाला
264	श्री जीवन राम, सुपुत्र फकरि चन्द	263	गांव शाहजादपुर, नारायणगढ, अम्बाला
265	श्री सत्या पाल, सुपुत्र बसन्त राम	264	गांव बरवाला, अम्बाला
266	श्री वचन सिंह, सुत्त्व नाराता राम	265	कुलचण्डू, जगाधरी, अम्वाला
267	श्री बलजीत सिंह, सुपुत्र वृषा सिंह	266	गांव चाडू, जगाधरी, अम्बाला
268	श्री जयपाल, सुपुत्र संत राम	267	कोकपुर, अम्बाला
269	श्री सुरता राम, सुपुत्र फुला राम	270	गांव हलदरी, जिला अम्बाला

270	श्री कृष्ण लाल, सुपुत्र हरि राम	271	मकान नं. 7906 –4, अम्बाला शहर
271	श्री कृष्ण लाल, सुपुत्र बृज जाल	272	मकान नं . 9346 –6, अम्बाला शहर
272	श्री केवल कृष्ण, सुपुत्र गोदर मल	273	मकान नं. 1414, अम्बाला शहर
273	श्री बिखोद कुमार, सुपुत्र कृष्ण चन्द्र	274	मकान नं. 78, सुभ नगर, अम्बाला छावनी
274	श्री माम चन्द, सुपुत्र गेण्डा राम	275	गांव बाबलपुर, अम्बाला शहर
275	श्री रणजीत सिंह, सुपुत्र दौलत राम	276	बचपुरी, अम्बाला
276	श्री कृष्ण लाल, सुपुत्र बृज लाला	277	गांव मकान न ० 2198, अम्बाला शहर
277	श्री राम पाल, सुपुत्र कालू राम	279	गांव टीबी माजरा, डाकखाना रायपुर रानी, अम्बाला
278	श्री लाल सिंह, सुपुत्र सात्रु सिंह	278	गांव नखरौली, तहसील नारायणगढ, अम्बाला
279	श्री जगजीत सिंह, सुपुत्र अमर सिंह	280	मकान नं ० 9602–6, अम्बला शहर

280	श्री लोक नाथ, सुपुत्र लेख राज	281	बारक नं 26, जमुना नगर, अम्बाला
281	श्री राम प्रताप, सुपुत्र लहरी चन्द	282	गांव घरौंड़ा, करनाल
282	श्री कृष्ण कुमार, सुपुत्र दलीप सिंह	283	गांव थुराना, हिसार
283	श्री प्रेम चन्द, सुपुत्र फकीर चन्द	284	बजार तंदुरा, अम्बाला
284	श्री ब्रका नन्द, सुपुत्र झण्डू राम	285	बहलोलपुर, लाडवा, करनाल
285	श्री राम कंवर, सुपुत्र मंगूं राम	286	गांव राकशेरा, पानीपत, करनाल
286	श्री रणधीर सिंह, सुपुत्र दलीप सिंह	287	गांव मालवा, नंगल, अम्बाला
287	श्री महिन्द्र सिंह, सुपुत्र फगू राम	289	मकान नं ० 1381, कैथू माजरी, अम्बाला
288	श्री राधे शाम, सुपुत्र हंस राज	286	मकान नं ० 411, जगाधरी, अम्बाला
289	श्री नफे सिंह, सुपुत्र जय सिंह	290	गांव खेड़ी खेड़ा, कैथल, करनाल
290	श्री जसपाल सिंह, सुपुत्र रिपदमन	291	मकान नं० 8220, अम्बाला शहर.

सिंह

291	श्री गुरमुख सिंह, सुपुत्र इन्द्र सिंह	292	नजदीक गुरुद्वारा बोली साहिब, अस्बाला
292	श्री कशमीर सिंह, सुपुत्र हरनाम सिंह	293	शहर कोठी नं ० 56, अम्बाला छावनी
293	श्री सुभाष चन्द्र, सुपुत्र फकीर चन्द	294	इसमेलाबदा, करनाल
294	श्री राम चन्द्र, सुपुत्र कृष्णा चन्द	295	गांव जशपुर, नारायणगढ़, अम्बाला
295	श्री जगदीश चन्द्र, सुपुत्र नन्द लाल	296	गांव शेखु पुरा, अम्बाला
296	श्री बुद्ध प्रकाश, सुपुत्र हंस राज	297	मकान नं ० 167, हमीदा कालोनी, जमुना नगर
297	श्री सुराजुदीन, सुपुत्र नारूल दीन	298	रायपुर रानी, अम्बाला
298	श्री बाल कृष्ण, सुपुत्र होता राम	299	पेहवा, अम्बाला
299	श्री अर्जुन दास, सुपुत्र शंकर दास	300	मकान नं ० 176, वार्ड नं ० 1, शाहबाद, करनाल

300	श्री ज्ञान सिंह, सुपुत्र सरजीत सिंह	3014	गांव तथा डाकखाना अलावला, करनाल
301	श्री ईशर चन्द, सुपुत्र सीता राम	302	ग औव ऊकरी, करनाल
302	श्री राम कृउण, सुपुत्र राम सिंह	303	गाव कैमला, करनाल
303	श्री सुरिन्द्र कुमार, सुपुत्र राम चन्द	210	मकान न. 79364, अम्बाला शहर

अड्डा– कण्डक्टरज

304	श्री इच० .जय० बाप, सुपुत्र बी. जय कृप	1	ए. पी., सहारनपुर
305	श्री देवी प्रसाद, सुधूऋ राम किशन	2	रादौर रोड, पुर्ण चन्द क हाता, यमुनानगर
306	श्री परस राम, सुपुत्र अमर सिंह	3	गाव भटवाल, संगरूर
307	श्री रगबीर चन्द, सुपुत्रज अछरू राम	4	गांव डलवा, डाकखाना राजपुरा, पटियाला
308	श्री भगवान सिंह, सुपुत्र नारायण सिह	5	गांव पदन, जिला जालन्धर

309	श्री राज कुमार सुरलुजा सुपुत्र ऊता राम	6	कालीगढ, अम्बाला शहर
310	श्री अमृत लाल, सुपुत्र किशन चन्द्र	7	लोहारा, ऊपल, होशियारपुर
311	श्री ओम प्रकाश, सुपूल सेवा सिंह	8	मकान न० 2257, अम्बाला शहर
312	श्री दर्शस सिंह सुपुत्र त्रिलौक सिंह	9	जालन्धर शहर
313	श्री किशन चन्द सुपुत्र नाबत राम	10	मकान नं० 165, शाहबाद
314	श्री किशान लाल सुपुत्र लचछी राम	11	मकान नं० 2257, अम्बाला छावनी
315	श्री प्रेंम चन्द, सुपुत्र पशोरी लाल	12	जनसुई लम्बाला
316	श्री राम लाल, सुपुत्र काला राम	13	मकान नं० 90, कलनद्री गेट, करनाल
317	श्री कुन्दन लाला, सुपुत्र अछरू राम	14	मकान नं ० 7742, नबी मुहल्ला, अम्बाला शहर
318	श्री विश्वा मित्र, सुपुत्र काली शर्मा	15	छोटा बाजार, जालन्धर

319	श्री साई दीता राम, सुपुत्र जोधा राम	16	मकान नं० 5816, अम्बाला
320	श्री कुलवन्त राय, सुपुत्र ओम प्रकाश	17	राजपुरा (पटियाला)
321	श्री इन्द्र नाथ, सुपुत्र भोला नाथ	18	मकान नं. 53, होशियारपुर
322	फनी ठाकुर सिंह, सुपुत्र मुकन्द सिंह	19	मकान नं. 33, अम्बाला शहर
323	श्री जीत पात, सुपुत्र सरदारी लाल	20	बुटाना (करनाल)
324	श्री अजमेर सिंह, सुपुत्र जीवन सिंह	21	गांव सनारू, होशियारपुर
325	श्री वलती राम,. सुपुत्र राम लाल	22	मकान नं. 7717, वार्ड न० 41, अम्बाला शहर
326	श्री गुरूदेव सिंह, सुपुत्र परमात्मा सिंह	23	गांव चबल, संगरूर
327	श्री सुबा सिंह, सुपुत्र बहादर सिंह	24	मकान नं. 38, रेलवे रोड, जालन्धर शहर
328	श्री सत्या नारायण, सुपुत्र सारूर राम	25	बरसत, करनाल
329	श्री मदन लाल, सुपुत्र नन्द लाल	26	थेनसर, करनाल

330	श्री सोहन सिंह, सुपुत्र रतन सिंह	27	गांव वगरूल, जगराऊ, लुधियाना
331	श्री रनजीत सिंह, सुपुत्र अर्जन सिंह	28	मकान न. 194, जगाधरी
332	श्री रचना राम, सुपुत्र विश्ना राम	29	गांव सरवाना, अम्बाला
333	श्री राम सिंह, सुपुत्र तेलू राम	30	जगाधरी (अम्बाला)
334	श्री परमेश्वर सिंह, सुपुत्र प्रेम सिंह	31	अजमेर पुरा, डाकखाना बह्ममपुरा, अम्बाला
335	श्री वेद प्रकाश, सुपुत्र गोलटी राम	32	पुल कर्म रोड, शाहपुर
336	श्री जय नारायण, सुपुत्र सुन्दर नाथ	33	डाड कैथल, करनाल
337	श्री गुरूदीत सिंह, सुपुत्र तरलोक सिंह	34	सहरान नगर, फरोजपुर
338	श्री तारा चन्द, सुपुत्र जय नन्द	35	जींद, संगरूर
339	श्री राम दास, सुपुत्र टेक चन्द	36	जोलाना मगडी, जींद
340	श्री राम किशन, सुपुत्र वासदेव	37	मकान नं० 2 बी. 327, शाहबाद, करनाल

341	श्री बदी चन्द, सुपुत्र काशी राम	38	र. डी. धर्मशाला, अम्बाला
342	श्री इन्द्र ज्हि, सुपुत्र उत्तम सिंह	39	मकान नं० 348, काका रोड, राजपुरा
343	श्री निर जन सिंह, सुपुत्र बकतावर सिंह	40	गांव शाहपुर (अम्बाला)
344	श्री मखन सिंह, सुपुत्र भगवान सिंह	41	कालमा (अमृतसर)
345	श्री परमात्मा राम, सुपुत्र मातू राम	42	पिहेवा, करनाल
346	श्री कुलभुशन नअमार, सुपुत्र किशोरी लाल	43	मकान नं. 104, जालन्धर. शहर
347	श्री बलदेव प्रसाद, सुपुत्र तारा चन्द	44	राज्य पटियाला
348	श्री वचना राम, सुपुत्र नानक चन्द	45	अम्बाला
349	श्री सुर इन्द्र कुमार, सुपुत्र सेवा राम	46	मकान नं. 7376, अम्बाला शहर
350	श्री कर्म चन्द, सुपुत्र लोहरा राम	47	जनसुई, अम्बाला

351	श्री हरजन्स लाल, सुपुत्र गोपाल दास	48	मकान नं. 1658, अम्बाला छावनी
352	श्री मनोहर लाल, सुपुत्र हुका चन्द	49	गांव सकराऊ, अम्बाला
353	श्री प्रेम चन्द, सुपुत्र राम जी लाल	50	मकान न ० 5717, अम्बाला शहर
354	श्री हर भाजन सिंह, सुपुत्र साधा सिंह	51	गांव पुण्डरी, करनाल
355	श्री एस. के. रतन, सुपुत्र सुदर्शन कुमार	52	मकान नं. 2076, अम्बाला शहर
356	श्री गुरुबचन सिंह बजवा, सुपुत्र सन्ता सिंह	53	गांव नण्डेली, कपूरथला
357	श्री बलदेव प्रसाद, सुपुत्र तारा चन्द	54	मुहल्ला बजनगर, लुधियाना
358	श्री पृथ्वी राज, सुपुत्र जगन नाथ	55	गांव शखपुरा (अम्बाला)
359	श्री रोशन लाल, सुपुत्र बहादुर चन्द	56	नारायणगढ, अम्बाला
360	श्री मदन मोहन सिंह, सुपुत्र वनारसी	57	लोशमरी, अम्बाला

दास

361	श्री देव राज, सुपुत्र शादी राम	58	बाल वधापुर, फग वाड
362	श्री लछमन सिंहु सुपुत्र माना राम	59	इन्द्री, करनाल

अम्बाला राज्य परिवहन में जिन कण्डक्टरों को तरक्वी दी गई

1 श्री शिव नारयण, सुपुत्र सन्त राम. ए. सी. मकान न० 7 5, खरड (रोपड)

(इस को वुकिग

क्लर्क

किया गया

विभाग की

ओर से

12 जुलाई 1968 को

2 श्री इन्द्र सैन, सुपुत्र बनारसी दास ए.सी. अबदुल बखा बिल्डिंग, यमुना नगर, अम्बाला (इसको 12जुलाई को बुकिंग क्लर्क किया गया विभाग की ओर से

नोट फर पेड–कण्डक्टर तथा अड्डा कण्डक्टर का वेतन एक ही है इस में किसी प्रकार का अन्तर नहीं है, केवल पद परिवर्तन ही होता है।

श्रीमती लेखवती जैन : क्या मुख्य मंत्री साहिब बताएंगे कि कंडक्टर को कौन एप्वाएंट करता है ।

मुख्य मंत्री : वह पब्लिक सर्विस कमिशन की मारफत भरती किए जाते हैं ।

श्रीमती लेखवती जैन : मैं जानना चाहती हूं कि जिन कंडक्टरों ने ट्रेनिंग ले ली है और जमानतें भी दे रखी हैं, क्या जी० एम ० को अखियार है कि उनको न लगा करके किसी और को लगा दे । अम्बाला के जी. एम. के बारे में यह शिकायत खास तौर से है? मुख्य मंत्री रू गवर्नमैटं के पास ऐसी कोई शिकायत नहीं आई, जितनी रिक्वायरमैट होती है वह पीलक सर्विस कमिशन को भेज दी जाती है और वह रिक्र्ट कर लेते हैं ।

श्रीमती लेखवती जैन : अगर ऐसा कोई केस चीफ मिनिस्टर साहिब के नोटिस में लाया जाए तो उस पर गौर करने के लिए तैयार है?

मुखय मंत्री : हां जी करेंगे ।

श्री मंगल सैन : स्पीकर साहिब, इस हाऊस की आनरेबल डिप्टी स्पीकर साहिबा ने यह सवाल पूछा है कि अम्बाला के जो जनरल मैनेजर हैं उन्होंने पब्लिक सर्विस कमिशन के भेजे हुए कंडक्टरों को जो ट्रेनिंग भी ले चुके हैं और जिन्होंने सिक्युरिटी भी दे रखी है उन को इग्नोर करके मालएडमिनिस्ट्रेशन की और फेर्वारटिज्म की । इस पर गवर्नमैटं गौर करने के लिए तैयार है?

मुख्य मन्त्री : अगर ऐसे केस गवर्नमैंट के नोटिस में लाए जाएं तो गवर्नमैंट जरूर गौर करेगी ।

सरदार प्यारा सिंह : क्या मुख्या मंत्री साहिब बताएंगे कि इस लम्बी चौड़ी सूची में कुछ ऐसे कंडक्टर भी हैं जो पंजाब रोडवेज अमृतसर या जालंधर के डिसमिस्ड है' और उन को फिर सर्विस में ले लिया गया है ।

मुख्य मंत्री : ऐसी कम्पलेंट मेरे नोटिस मे तो कोई नहीं आई, लेकिन अगर कोई केस आप मेरे नोटिस में लाएंगे तो जरूर एक्शन लिया जाएगा ।

Literacy among males and females in the State

***188. Major Amir Singh Chaudhry :** Will the Chief Minister be pleased to state the details of the steps the Government has taken since the formation of new State of Haryana, to narrow down the vast disparity in the literacy percentages of males and females in the State '?

Shri Bansi Lal : A statement showing the steps taken by Government in this respect is laid on the table of the House.

Statement regarding literacy among males and females in the State

The following steps have been taken in this respect :-

(1) The number of scholarships available for girls has been raised.

(2) A scheme for the construction of hostels for girls and lady

teachers has been adopted.

(3) Training facilities for women teachers at all levels have been

expanded.

(4) Normally 1/3rd upgraded schools where adequate enrolment of girls is registered, are manned by the appointment of Head-mistresses.

(5) A large number of women teachers have been appointed in primary Schools.

(6) 205 posts of Graduate Masters have been converted to those of Mistresses to ensure larger enrolment of girls at secondary stage.

(7) In order to encourage ladies in education administration, two of the districts are headed by women District Education Officers.

मेजर अमीर सिंह चौधरी : क्या चीफ मिनिस्टर साहिब बताएंगे कि यह जो आठ– दस सुविधाएं आपने बताई हैं फीमेल एजुकेशन को तरक्की देने के लिए उनके मिनजुमल आपने इस साल स्कालरशिप्स में कितना .इजाफा किया है? हरियाणा बनने से पहले कितने दिए जाते थे और अब कितने दिए जाते है, कितना इजाफा हुआ है?

मुख्य मंत्री : यह फिगर्ज तो इस वक्त मेरे पासनहीं हैं अगर कहेंगे तो कुलैक्ट करके दे देंगे, कुलैक्ट करना पड़ेगा फील्ड से ।

चौधरी नारायण सिंह : मैं जानना चाहता हूं कि जिस वक्त स्कूल अप ग्रेड करते हैं तो उस वक्त लड़कों के स्कूल अपग्रेड करते. वक्त लड़कियों के स्कूल अपग्रेड करने का भी व्यान रखा जाता है?

मुख्य मंत्री : जी हां रखा जाता है ।

चौधरी नारायण सिंह : इस साल जितने स्कूल अपअएड हुए है उन में लड़कों के कितने किए गए हैं और लड़कियों के कितने किए गए हैं?

मुख्य मंत्री : यह फिगर्ज मेरे पास इस वक्त नहीं है अलबत्ता जे. बी. टी. यूनिट्स के बारे में है । पिछली बार हम ने जे. बी. टी. के 56 यूनिट्स दिए थे. और इस साल 66 दिए हैं सिर्फ लड़कियों के ।

मेजर अमीर सिंह चौधरी : क्या चीफ मिनिस्टर साहिब बताएंगे कि जितने लड़की के स्कूल हरियाणा बनने के वाद अपग्रेड हुए या नए खोले गए तो क्या लड़कियों के भी कोई एक–दो खोले गए या नहीं ।

मुख्य मंत्री : लड़कियों के भी खोले गए ।

मेजर अमीर सिंह चौधरी : क्या मै उन के नाम जान सकता हुं जो खोले गए है.?

मुख्य मंत्री : नाम तो अगर आप एक–दो रोज का नोटिस दें तो पता करके दे देंगे । .

श्री मंगल सैन : जो स्कूल आप अपग्रेड करते हैं किसी तहसील, जिला या कान्स्टीचूएंसी में, तो उसे अपग्रेड करने का क्या तरीका है, क्या क्राइटेरिया है और किस आधार और तथ्यों पर अपग्रेड करते हैं?

मुख्य मंत्री : यह सप्लीमैंटरी इसमें से एराइज तो नहीं होता है यह तो सिर्फ फीमेल ऐजुकेशन के बारे में है ।

श्री मंगल सैन : स्पीकर साहिब मैं बड़ा हैरान था जब यह कहू रहे थे फिगर्ज नहीं है । जब यह एक बात को कमिट कर रहे थे और जवाव दे रहे हैं तो मैं भी पूछने का अधिकार रखता हूं । हम को भी तो पूछने का मौका मिलना चाहिए? स्पीकर साहिब, जब एक बात हाउस के सामने आ गई है ।

Mr. Speaker :.I think your contention is correct.

श्री मंगल सैन : बिल्कुल ठीक है जी ।

Mr. Speaker : Because in this case the Chief Minister has himself said in reply to a question that he would give information about the upgrading of the schools.

श्री मंगल सैन : यह मैने' इसलिये पूछा है कि आजकल कुछ ऐसा मौसम है कि जो अच्छा लगे उस मैम्बर की कांस्टीचुएंसी में तो

अपग्रेड कर देते हैं लेकिन जो हम जैसे अनटचेबल बना रखे हैं उनकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं देते हैं।

मुख्य मंत्री : इनके राज में बहादुरगढ़ कास्टीचुएसी में सारे कर दिए थे।

श्री अध्यक्ष : उन में बहुत सारे तो इम्पलीमैटं ही नही हुए.... कुछ हालात ऐसे थे कि हो नही सकते थे, प्रैक्टीकल नहीं था ।

चौधरी नारयाण सिंह : क्या चीफ मिनिस्टर साहब के नोटिस में है कि जिला जींद में लड़की और लड़कियों की लिटरेसी में बाकी डिस्ट्रिस्ट्स से ज्यादा डिसपैरेटी है, 4 फीसदी लडकों की और 17 फीसदी लड़कियों की? इसको दूर करने के लिये क्या कदम उठाएंगे और लड़कियों की तालीम के लिये जिला जींद में कोई प्रोग्राम है बढ़ावा देने के लिये?

मुख्य मंत्री : सभी डिस्ट्रिस्ट्स में लड़कियों की तालीम को बढावा देने के लिये जो सकीम्ज हैं वे सभी इस स्टेटमंट में बता दी हैं ।

चौधरी लाल सिंह : मैं पूछना चाहता हुं कि यह जो नए स्कूल खोल रहे हैं उन में स्टाप, कब तक पहूंचेगा?

Mr. Speaker : So I think we should now stop this question and the Leader of the House may give reply to these two questions rained by Chaudhry Narain Singh, tomorrow.

Admission in the Hostel provided with Government Girls Higher Secondary/High Schools

***189. Major Amir Singh Chaudhry** : Will the Chief Minister he pleased to state—

(a) whether it is a fact that some Government Girls Higher Secondary/High Schools have been provided with Hostel Buildings, but scholars are not admitted as Boarders ;

(b) if so, names of such schools and reason for not admitting scholars in the hostel in each case ; and

(c) the steps the Government proposes to take to redress the grievances of the scholars ?

Shri Bansi Lal : (a) Yes, but the second part is not correct.

(b) Question does not arise.

(c) Question does not arise.

मेजर अमीर सिह चौधरी : क्या चीफ मिनिस्टर साहिब बनाएंगे कि हरियाणा में लड़कियों के स्कूलों के. साथ ऐसे होस्टल हैं जहां एक भी लड़की दाखिल नहीं?

मुख्य मंत्री : स्पीकर साहिब, लडकियों का झोझू में ऐसा स्कूल है जहां होस्टल है वहां किसी लडकी ने होस्टल में दाखल होने के लिये दरखास्त नहीं दी ।

मेअर अमीर सिह चौधरी : क्या अगर उनके नोटिस में लाया जाए कि इतनों ने दरखास्तें दीं और हैड मिस्टरेम ने डिकलाइन कर दीं तो ऐक्शन लेंगे?

मुख्य मंत्री : जरूर लेंगे?

Transfer of Teachers in Mahendargarh District

***190. Major Amir Singh Chaudhry** : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether it is a fact that in Mahendargarh. District during the course of last mass-scale transfers of teachers, beyond 20 miles radius from their home more than one teacher were posted against the same post in number of cases at good stations. whereas the posts of the schools in the interior remained unmanned for a good time ;

(b) if so, number of teachers (excluding cases of mutual transfers) who had to face the second wave of transfers under the excuse of "adjustments" ;

(c) whether such adjusted teachers, as in (b) above were paid Transfer T.A. for the second time and if not, reasons therefor, if so, the total amount paid as such ?

Shri Bansi Lal : (a) Yes, but posts in the interior did not remain unmanned for a good time.

(b) 49.

(c) No, as no such T.A. claim has been received.

मेजर अमीर सिंह चौधरी : मै जानना चाहता हूं कि यह जो 49 टीचर्ज का पोस्टस के अगेसट उससे ज्यादा नम्बर के टीचर्ज लगाए गए हैं क्या यह डिपार्टमेंट की ऐफीशैसी पर रिपलैक्शन नहीं है?

(जवाब नहीं दिया गया)

मेजर अमीर सिंह चौधरी : यह जो एक पोस्ट के अगेंसट एक से ज्यादा टीचर लगाए गए क्या यह डिपार्टमंट क्याए अन्दर कनफ्यजन की वजह से लगाए गए या यह कि चलो क्या बात है एक की जगह दो ही लगा दो?

मुख्य मंत्री : यह डी०इ०ओ० की गलती से है ।

मेजर अमीर सिंह चौधरी : क्या आप बताएंगे कि यह टीचर्ज अगर टी० रा० क्लेम करेंगे तो देंगे?

मुख्य मंत्री : जरुर देंगे ।

Payment of Scholarships to the students belonging to the Scheduled Castes and Backward Classes

***267. Chaudhry Chand Ram :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether the Education Department has paid the scholarships under the Government of India Scheme meant for students belonging to the Scheduled Castes and Backward Classes, in the State;

(b) If so the college-wise number of such students ?

Shri Bansi Lal : (a) Yes, in respect of all the claims received in the Directorate up to 31st October, 1968. The claims received thereafter are being processed and sanctions released, at priority level.

(b) A statement giving the requisite information (Annexure I) is

laid on the Table of the House.

ANNEXURE I

The list showing the college-wise number of Scheduled Caste/backward classes (L.l.G.) students whose amounts of scholarships have been released for payment under the Government of Tndia Scheme for Scheduled Castes.

Serial No.	Name of the College	Number of Students
1	Daya Nand College, Hissar	12
2	Kurukshetra University, Kurukshetra	3
3	Government College, Kurukshetra	12
4	Vaish College, Rohtak	8
5	S. D. College, Ambala Cantt.	12
6	G. M. N. College, Ambala Cantt.	1
7	Arya College, Panipat	5
8	Nehru College, Jhajjar (Rohtak)	57
9	Government College, Hissar	1
10	C. R. College of Education, Rohtak	4
11	Panjab University Evening College, Rohtak	2
12	D. S. D. College, Gurgaon	87

13	R. K. S. D. College, Kaithal	28
14	C. R. A. College, Sonepat	99
15	C. R. Memorial Jat College, Hissar	2
16.	National College, Sirsa	20
17	Government College, Rohtak	3
18	Medical College, Rohtak	2
19	Government College, Narnaul	2
20	Guru Nanak College, Mandi Dabwali	2
21	Dayal Singh College, Karnal	17
22	Krishan Lal Public College, Rewari (Gurgaon)	20
23	M. L. N. Coll ge, Yamunanagar (Ambala)	56
24	University College, Kurukshetra	5
25	Vaish College, Bhiwani	43
26	Daya Nand College, Hissar	54
27	Ahir College, Rewari	1
28	Hindu College, Sonepat	16
29	College of Agriculture, Hissar	4
30	S. A. Jain College, Ambala City	13

31	Arya Girls College, Ambala Cantt.	2
32	K. M. College, Bhiwani	7
33	K. M. College, Narwana	6
34	Government College, Jind	24
35	Rao Birender Singh College of Education, Rewari (Gurgaon)	1
36	I. B. College, Panipat	11
37	G. N. Khalsa College, Yamunanagar	1
38	Government College, Rohtak	31
39	G. M. N. College, Ambala Cantt.	36
40	D. A. V. College, Sadhaura	12
41	Dev Samaj Girls College, Ambala City	1
42	Nehru College, Ajronda, Faridabad	3
43	Government Evening College, Bahadurgarh	20
44	B. M. College, Hodal (Gurgaon)	4
45	Government Janta College, Dujana (Rohtak)	24
	Total	780

चौधरी चांद राम : स्पीकर साहिब, आप देखेंगे कि यह जो स्टेटमैटं दी है रोहतक के बारे में इस में एक कालेज में मिला है चार लड़कों को, एक में मिला है सिर्फ एक लडके को, एक में मिला हूँ तीन लड़कों को और मैडीकल कालेज में मिला है दो लड़कों को जब कि करीब चार सौ लडके रोहतक. के कालेज में पढ़ रहे है शंडूय्ल्ड कास्टस के और बैकबर्ड क्लासों के अलग हैं । तो क्या मैं इससे यह नतीजा निकात्रं कि उन्होंने दरखास्ते ही नहीं दी या दीं तो फिर उनको न देने का क्या कारण है?

मुख्य मंत्री : नतीजा निकालना तो आनरेबल मैम्बर का काम है जहां तक गवर्नमैंट का सवाल है 31 अक्तूबर 1968 तक जितनी एप्लीकेशन्ज आई उनको दे दिया गया बाकी जो बाद में आई वह प्रोसैस हो रही हैं और उनको प्रायरटी लेवल पर डील कर रहे हैं ।

चौधरी चांद राम : यह जो डिपार्टमंट की तरफ से इस्ट्रक्शन्ज जारी होती है' उनमें एक खास तारीख निश्चित नहीं होती दरखास्ते भेजने की और जो हैंड आफ टी इन्स्टीटयूशन्ज हैं उन पर फर्ज नहीं आयद होता है कि फलां तारीख तक वह दरखास्ते डायरैक्टोरेट में भेज दे?

मुख मंत्री : स्पीकर साहिब, हर इन्स्टीच्यूशन को इंस्ट्रक्शन्ज दें दी गई हैं कि जल्दी से जल्दी केसिज कम्पलीट करके भेजें और

महकमा के अधिकारियों से कहा गया है कि चौक करो कि देर होती है तो क्यों होती हूँ ।

चौधरी चांद राम : इस तजबीज पर गौर मेरे वक्त में हुआ. था और यह फैसला हुआ था कि जिस तरह टीचर्ज की तन्खाह हर महीने की पहली तारीख को दी जाती है उसी तरह स्टूडैंट्स के वजीफे भी दिये जायें । चाहे प्राईवेट कालेज है या गवर्नमैंट कालेज है, हर स्टूडैट का वजीफा मन्थली पेमैंट कर दें । क्या मुख्य मंत्री साहिब इस फैसले पर गौर करेंगें?

मुख्य मंत्री : वजीफे देने के लिये जो प्रोसीजर पहले से है उसी के हिसाब से दिये जाएंगे । अगर आनरेबल मैम्बर कोई और प्रोसजिर बताएंगे तो गवर्नमैंट उस पर गौर कर सकती है ।

चौधरी चांद राम : मैने यह सुझाव नहीं दिया है चूकि यह मामला थोड़ा सा अहम है और स्टूडंट्स को इफैक्ट करता है इसलिये कह रहा टू । मेरी इतलाह के मुताबिक 780 स्टूडेंट्स को वजीफे मिले है' और 4 हजार स्टूडंट्स शैडयूल्ड कास्ट के ऐसे हुं जिन को वजीफे नहीं दिये गये । मेरा ख्याल है कि किसी न किसी लैवल पर जरूर कोई न कोर्सू गड़बड़' हूँ । चाहे स्टूडंट्स ने अपने फार्म कम्पलीट न भरे हों, चाहे सुपरिण्टैडैंट्स ने फार्म स्टूडैट्स को वक्त पर न भेजा हो, या कुछ और हो । इसी बात को पेशेनजर रखते हुए ज्यांयट पंजाब में यह फैसला हुआ थ कि जो हैड्ज आफ दी इन्स्टीच्यूशन्ज हैं वे अपने लैवल पर ही वजीफे के केसिज को डील

कर लिया करें । यानि जब लैक्चरार और टीचर्ज की तन्खाह निकालते हैं उसके साथ ही स्टूडंट्स के वजीफे भी निकाल लिया करें । क्या मुख्य मंतरी महोदय उस फैसले को अमलीजामा पहनायेंगे?

मुख्य मंत्री : मैंने जबाब दे दिया है ।

Mr. Speaker : Anyway, I think, it is worth consideration, rather serious consideration.

श्रीमती चन्द्रावती : क्या मुख्य मंत्री साहिब की नालेज में यह बात है कि जो अधिकारी स्ट्डैटंस को वजीफे देने. में बहुत ज्यादा लापरवाही करते है, जिस के कारण टीचर्ज को वजीफे टाइम पर नहीं मिलते उन अधिकारियों को सरकार सजा देगी?

मुख्य मंत्री : मेरे नोटिस में ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है । इसके बावजूद भी महकमे को हिदायतें जारी कर दी हैं कि वे ठीक तरीके से चौक करें और ऐसी लापरवाही न हो ।

Mr. Speaker : I think, I may clarify the position. It has been alleged that out of about 4,000 such students, only about 700 are receiving scholarships. I feel, what is required, is to ensure that as many of these as possible get scholarships regularly.

श्री मंगल सैन : क्या मुख्य मंत्री महोदय बताएंगे कि पिछड़ी जातियों और अनुसूचित जातियों के विद्यार्थी कालेजिज में पढ़ते हैं उनको कालेज के रोल के मुताबिक वजीफे देने के लिये कोई

योजना सरकार के विचाराधीन है? जो उन का प्रोसीजर पहले चल रहा है वह वैसे ही चलेगा या स्टूडैट्स की हार्डशिप को ध्यान में रखते हुए कोई और योजना सरकार के विचार में है जिससे आटोमैटिकली हर विद्यार्थी को 1 तारीख को वजीफा मिल जाया करे?

मुख्य मंत्री : अगर वजीफे देने के सारे अधिकार लोकल इन्स्टीच्यूशन्ज को द्वे दें तो और ज्यादा गड़बड़ होने का अन्देशा है ।

श्री मंगल सैन : स्पीकर साहिब, अभी मुख्य मंत्री महोदय ने प्राइवेट इन्स्टीच्यूशन्ज पर बड़ा भारी रिपलैक्शन डाला है । उन्होंने कहा कि अगर प्राईवेट इन्स्टीच्यूशल्ला को सारे अधिकार दे दिये जायें तो ज्यादा गड़बड़ होनी यूरू हो जायेगी । जहां तक मुझे पता है गड़बड़ तो दोनों ही जगह होती है । इस मामले में मैं आपकी रूलिंग चाहता हूं कि क्या मुख्य मन्त्री महोदय को प्राईवेट इन्स्टीच्यूशन्ज के बारे में ऐसी बात कहने का अधिकार है?

Mr. Speaker : I think, to the point raised a solution can be found. That is, for whatever scholarships are sanctioned every month, let us say on 25th of every month, a cheque be sent to the Head Masters of the institutions concerned requiring them to pay the scholarships to the students concerned. I think, this needs serious consideration.

मुख्य मंत्री : इस मामले को हम एग्जामिंन करवा लेंगे । मेरे कहने का मतलब यह है कि प्राईवेट इंस्टीन्यूशन्ज की ऐसी शिकायतें हैं

जिन में टीचरों को 150 रुपये तन्खाहं की जगह 70 रुपये दी जाती है और दस्तखत 150 रुपये पर करवाये जाते है । ऐसे मामलों की हम इन्क्वायरी करा रहे हैं । जहां इस किस्म की बेकायंदगियां होती हों, उनके भरोसे कैसे सारे काम छोड़ दिये जाऐगे?

चौधरी चांद राम : स्पीकर साहिब इसी चीज पर मैं सप्लीमैंटरी कर रहा हू । ज्वायंट पंजाब में बड़े सोच–विचार के बाद फैसला हुआ था कि नयें साल के शुरू में ही यह स्कीम लागू कर दी जाये कि बिल बनाकर हर महीने की पहली तारीख को वजीफों की पेमेंट हो जाये । ऐजकेशन डिपार्टमंट को यह हुकम जारी कर दिया गंया था और उन्होंने इस तजवीज को मान भी लिया था । इसके बाद चीफ मिनिस्टर साहिब को पता होगा कि गवर्नमैटं आफ इंडिया ने एक एंटी–अनटचेबल कमेटी बनाई थी । मेरी इन्फर्मेशन के मुताबिक उस कमेटी ने यह सिफारिश की थी कि स्टडैट्स को मन्थली स्कालरशिप दे दिया जाये और इस लैवल पर दे दिया जाये कि स्टूडंट्स के फार्म चााडीगढू में भेजने की बजाये केन्द्रीयकरण करके कालेज में ही दे दिये जाए । क्या मुख्य मंत्री महोदय एंटी–अनटचेबल कमेटी के इस फैसले को अमलीजामा पहनायेंगे?

मुख्य मंत्री : मैं जवाब दे चुका हूं ।

Mr. Speaker : He has said that they will consider it and take appropriate steps.

श्रीमती शकुन्तला : क्या मुख्य मन्त्री महोदय बताएंगे कि डिस्ट्रिक्ट गुड़गांव में जो प्राइवेट कालेजिज हैं उन में पढ़ने वाले पिछड़ी जातियों के विद्यार्थियों पर दोबारा फीस लगा दी गई है? अगर लगाई है तो ऐसा क्यों किया गया है?

मुख्य मंत्री : अगर कोई इस किस्म का केस होगा तो मेरे नोटिस में ला दे, मैं इक्वायरी करवाऊंगा ।

श्रीमती शकुन्तला : मेरे पास वहां से कुछ एप्लीकेशन्ज आई हैं, अगर उन एग्लीकेशन्ज को मुख्य मन्त्री महोदय के नोटिस में लाऊं तो क्या वे नोटिस लेंगे?

मुखय मन्त्री : मैं जवाब दे चुका हूं ।

श्रीमती चन्द्रावती : क्या मुखय मन्त्री महोदय के नोटिस में इस तरह के केसिज हैं जिनमें विद्यार्थियों को पिछले छः छः महीने से या कई केसिज में एक साल से वजीफे नहीं मिले है । क्या इन केसिज के बारे मे लापरवाही करने वाले अधिकारियों को सरकार कोई सजा देगी?

मुख्य मंत्री : अगर आनरेबल मैम्बर मेरे नोटिस में लायेंगे तो इक्वायरी करवाई जाएगी ।

चौधरी चांद राम : मैं मुख्य मंत्री जी के पेशेनजर कहना चाहता हूं कि 4 हजार स्टूडंट्स में से केवल 780 स्टूडंट्स को पेमेंट हुई है । इनके इलावा कुछ केसिज ऐसे हैं जिनके बारे में मेरे पास

दरखास्ते आई हैं । दयाल सिंह कालेज के लड़के मुझे मिले थे । ये लड़के डीपीआई बगैरा उच्च अधिकारियों को भी मिले और उन्होंने बताया कि हमें पेमंट नहीं हुई है । उनकी दरख।स्तें 30 अक्तुबर, 1968 से पहले की दी हुई हैं लेकिन अभी तक पैमेंट नहीं हुई है । जों इन्स्ट्रक्शन्ज इशु हुई हैं उन के मुताबिक अधिकारी काम ही नहीं करते । तो मैं मुख्य मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि अगर उनके नोटिस में इस किस्म के वाक्यात ला दिये जाए' जिनमें अधिकारियों ने इंस्ट्रक्शन्ज का उल्लंघन किया है, क्या सरकार उनके बरखिलाफ ऐक्शन लेगी?

मुख्य मंत्री : जवाब दिया जा चुका .है ।

Mr. Speaker : The answer given was in reply to a number of questions, particularly by Shrimati Chandra Vati that he will take action if you bring such cases to his notice.

चौधरी चांद राम : क्या मुख्य मंत्री साहिब के नोटिस में यह बात है कि डायरैक्टर आफ एजूकेशन ने स्टडैट्स के बहुत से फार्म कालेजिज को वापिस भेज दिए हैं और स्टूडंट्स को यह कहा गया हूँ कि ऐफिडैविट दबाव भरो जो कि इन्स्ट्रक्शन्ज के मुताबिक नहीं है?

मुख्य मंत्री : फार्म में कोई न कोई गलती रह गई होगी तभी वापिस भेजा होगा क्योंकि कानूनी कार्यवाही तो करनी कई पड़ेगी । वैसे जो भी सही स्थिति है, उसको देख लिया जाएगा । लेकिन मेरे नोटिस में यह बात आई नहीं....

चौधरी चांद राम : स्पीकर साहिब मैं यह जानना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री साहिब...

Mr. Speaker : What he means to say is that the matter will be examined, but no such thing has been brought to his notice.

चौधरी चांद राम : स्पीकर साहिब, मेरे पास यूनियन कालेज की प्रिंटिंग भी है उसमें ऐसी शर्तें हैं जो गवर्नमैटं ने जारी नहीं कीं, उनकी अपनी बनाई हुई शर्तें हैं । ये महज स्टुडैट्स को हैरेस करने के लिये पैमंटं डिले कर देते हैं और डिले करने के लिये ही जान– बूझ कर स्टूडंट्स के फार्म वापिस भेजे हैं । अगर इनटैन्शली हैरास करने के वाक्यात सरकार के नोटिस में लायें तो क्या सरकार इन्क्यायरी करायेगी?

मुख्य मंत्री : स्पीकर साहिब, औनरेबल मैम्बर का यह डर बिल्कुल गलत है. कि स्टडैंट्स को हैरास करने के लिये ऐसी बात की जाती है । अगर ये कोई इर–रैगुलर बात सरकार के नोटिस में लाएंगे तो सरकार जरूर गौर करेगी । अगर इर–रैगुलर काम कहीं हुआ है तो ठीक करेंगे ।

सूबेदार प्रभु सिंह : क्या मुख्य मंत्री जी बताएंगे कि स्टेट में जातिवाद कें आधार पर जो तालीम के सैण्टर चल रहे हैं और जिससे जातिवाद को प्रोम्पसाहन मिलता है उनके नाम बदलकर नैशनल बनाने की तरफ ध्यान दिया जाएगा ।

Mr. Speaker : I am sorry, it is out of order,

STARRED QUESTION NO. 269

Mr. Speaker : Extension has been granted for question No. *269, therefore, the next question in the name of Shri Daya Krishan may he asked

(श्री बलबन्तराय तायल प्रश्न पूछने के लिये खड़े हुए)

श्री मंगल सैन : जनाब श्री तायल जी का प्रश्न नं. 299 रह गया ।

Mr. Speaker : I think the hon. Member is referring to that question which should not have been admitted because it did not concern an institution under the control of the Haryana Government.

श्री बलवन्त राय तायल : जी हां, मेरा प्रश्न तो रह ही गया ।

Mr. Speaker : That is correct but it cannot make them to do what is desired. Further it goes against our Rules of Procedure and therefore, this question has been deleted. Next question please.

In regard to next question No. 269. extension was sought for and has been granted.

श्री बलवन्त राय तायल : इसका तो हरियाणा से ताल्लुक है जी ।

श्री मंगल सैन : स्पीकर साहिब, यह बड़ा अहम सवाल है । जो हरिजन बन्धु है उनके विकास और उन्नति का प्रश्न है । इसलिये आप यह बात फरमा दीजिए कि कव तक इसको तो पोस्टपोन किया गया है या आपने इनको अवसर दिया है?

मुख्य मंत्री : कौन सा प्रश्न?

श्री मंगल सैन : हरिजन कल्याण फंड वाला ।

चोधरी चांद राम : जनाब, अगर इजाजत दें तो इसके बारे में एक सबमिशन करना चाहता हूं । स्पीकर साहिब, यह कितना मासूम सवाल है । डिविजन के ऊपर जो किताब छपी है उसमें इसके बारे में एक पैरे में सारी बातें दर्ज हैं । फिर राव वीरेन्द्र. सिह जी के समय में श्री मूलचन्द जी ने जो बजट स्पीच दी थी उसमें भी इसके बारे में जिक्र है । तो मैं नहीं जानता कि कौन सी इंफर्मेशन सै जिसको कुलैक्ट करने के लिये. इनको टाइम चाहिए था?

Mr. Speaker : I think the Leader of the Housed may to in direct the date when this question should be put on the question list.

मुख्य मंत्री : नैक्सट वीनर में दे देंगे जो ।

श्री मंगल सैन : सोमवार या मंगलवार?

मुख्य मंत्री : एडजर्न होने से पहले दें देंगे ।

Mr. Speaker : The hon. Member would get a reply to this question during the course of next week.

Sale of Tractors in the State

***143. Shri Daya Krishan :** Will the Chief Minister he pleased to state—

(a) the number of tractors received by the

Government for sale during the period from 1st November, 1966 to 31st October, 1967 and from 1st November. 1967 to 31st October, 1968. separately ;

(b) the number of tractors which remained unsold as on 31st October, 1968 ;

(c) the manner in which these tractors were sold by the Government ;

(d) whether it is in the notice of the Government that tractors are sold by private agencies and charge huge black money. ;

(e) the step which Government propose to take to stop the sale of tractors at a price higher than the fixed price ?

Shri Bansi Lal : (a) No allotment was received from 1st November. 1966 to 31st October, 1967. However, from 1st November. 1967 to 31st October, 1968, 200 tractors were allocated to the Haryana Agro-Industries Corporation.

(b) One.

(c) Tractors allotted to Haryana Agro-Industries Corporation were distributed by drawing lots.

(d) and (e) Distribution of tractors by the private firms is governed under the provisions of the Tractor (Price Control) Order, 1967. It is correct that complaints of sale of tractors in the black have been received by the State Government. Under the Tractors (Price Control) Order, 1967, no dealer is supposed to charge more than the price fixed by

the Government of India from time to time. Complaints of sale of tractors on exorbitant prices and in black market were brought to the notice of the Government of India. Government of India have assured that if specific instances arc brought to their notice by the State Government they will look into them immediately. The State Government have issued instructions to the Deputy Commissioners informing them about the provisions of the Tractor (Price Control) Order, 1967, and have asked them to send complaints of malpractices to the State Government for reference to the Government of India.

श्री मंगल सैन : स्पीकर साहिब., आज हरियाणा का जमींदार खेती को जोतने के. लिये ट्रैक्टर्ज लेना चाहता है मगर वे उसे मिलते नहीं । तो मै मुख्य मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि वे. इस कमी को पूरा करने के लिये क्या कदम उठाएंगे?

मुख्य मंत्री : स्पीकर साहिब, हमने गवर्नमैंट आफ इंडिया से अलॅर अधिक ट्रैक्टर्ज की एम्बोकेशन के .लिये प्रार्थना की है और ट्रैक्टर्ज की फैक्टरी लगाने वाले जो आते हैं–एक दो फर्मज ऐसी हैं जो फैक्टरी लगाना चाहती हैं उनको इंडस्ट्री लगाने के लिये लोन आदि की सहायता देंगे ताकि ज्यादा ट्रैक्टर्ख मैनुफैक्चर हो सकें ।

श्री मंगल सेन : क्या मुख्य मंत्री जी वताने की तकलीफ करेंगे कि ये जो कदम इन्हें– ने उठाए हैं, इनमें इनको कुछ सफलता भी मिली या नहीं, अर्थात् क्या इस साल भी टैक्टर्ज की एलोकेशन हुई हे?

Chief Minister : In the current year allotment of 1165

imported tractors has been received from the Government of India. The details of these tractors are as under:--

(1) 400 G.D.R. (German Democratic Republic)

(2) 400 Zetor

(3) 275 D.T. 14

(4) 50 Romania

(5) 40 Bulgarian

श्री बनारसी दास गुप्ता : क्या मुख्य मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि पिछले दिनों एग्रो–इंडस्ट्रियल कारपोरेशन द्वारा जो ट्रैक्टर्ज तकसीम किए गए थे उसके खिलाफ कोई शिकायत मिली थी यदि मिली थी तो क्या जांच की गई और यदि जांच की गई तो कौन अधिकारी उसमें दोषी पाया गया है?

मुख्य मंत्री : स्पीकर साहिब, पिछले सैशन में ट्रैक्टर्ज की डिस्ट्रिब्यूशन पर खासी बातें आई थीं । औनरेबल मैम्बर्ज ने अपनी स्पीचों में इसके बारे में काफी कुछ जिक्र किया था । इस बारे में जांच पड़ताल हो रही है, कुछ हो भी गई है और प्राइमा–फिसाई ऐसा लगता है उसमें गड़बड़ हुई थी. ।

चौधरी रणधीर सिंह : क्या मुख्य मंत्री जी बताएंगे. कि जिन जमींदारों ने सन् 1959 में पांच सौ रुपये सिक्यूरिटी के रूप में जमा कराये थे उन्हें अब वह वापिस क्यों किए जा रहे है और दूसरी सिक्यूरिटी क्यों मांगी जा रही है?

मुख्य मंत्री : स्पीकर साहिब, यह रुपया कहां जमा कराया गया था,इसका तो मुझे पता नहीं क्योंकि गवर्नमैटं तो कहीं रुपया जमा नहीं कराती । प्राईवेट डीलर्ज के पास यदि जमा कराया था तो उनसे डील करने की बात है ।

चौधरी रणधीर सिंह : स्पीकर साहिब, 500 रुपये हरियाणा एग्रो–इंडस्ट्रियल कारपोरेशन के पास जमा कराये गए थे और उन्होंने कहा था कि तुम्हें ट्रैक्टर्ज दिए जाएंगे । लेकिन ट्रैक्टर्ज न देकर लोगों को पैसा वापिस किया जा रहा है और वह भी बिना ब्याज के । इसकी क्या वजह है?

मुख्य मंत्री : स्पीकर साहिब, गवर्नमैंट तो ट्रैक्टर्ज लोन पर डिस्ट्रिब्यूट करती है । यह पांच सौ रुपया किस तरह जमा करवाया गया, यह मेरी नौलेज में नहीं है । मालूम करके बता दूंगा ।

चौधरी रणधीर सिंह : क्या मुख्य मंत्री जी बताएंगे कि यह जो पैसा एग्रो–इंडस्ट्रियल कारपोरेशन के पास जमा करवाया गया था, इसके बारे में उन्हें कोई इंन्स्ट्रक्शन्ज थीं? यदि जमा कराया गया था तो अब वापिस क्यों किया जा रहा है?

मुख्य मंत्री : स्पीकर साहिब, मैंने अर्ज की कि मालूम करके बता दूंगा ।

Mr. Speaker : He will find it out please.

श्री सतराम दास बतरा : क्या मुख्य मंत्री जी के इल्म में यह बात है कि प्राइवेट फर्मज स्पयर पार्टस बेचने में काफी धांधली मचा रही है क्योंकि ह रुपये का फिल्टर 60 रुपये में और 36 रुपये का शाफट 130 रुपये में बेचा जा रहा है। यदि है तो उन्होंने इसकेबारे में क्या उपाय सोचा?

मुख्य मंत्री : अगर आनरेबल मैम्बर स्पैसिफिक इस्टान्स देंगे तो सरकार इंक्वायरी करेगी ।

श्री बनारसी दास गुप्ता : स्पीकर साहिब, मुख्य मंत्री महोदय ने मेरे प्रश्न के उत्तर में बताया कि इसकी जांच की जा रही है क्योंकि इसमें जरूर गड़बड़ हुई मालूम दी है । परच क्या मुख्य मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि क्या वह जांच पूरी हो गई? यदि हो गई तो कौन कौन अधिकारी दोषी पाए गए और उनकी विरुद्व वे क्या कार्यवाही करने की सोच रहे है' ।

मुख्य मंत्री : स्पीकर साहिब, जैसे मैने पहले अर्ज किया कि प्राइमा–फेसी ऐसा लगता है कि गडदबड हुई है लेकिन अधिकारी का नाम औन दी फलोर ओफ दा हाउस देना मुनासिब नहीं होगा ।

चौधरी लाल सिह : क्या मुख्य मंत्री जी बताएंगे कि जो बैकवर्ड इलाके हैं उनके लिये अलग से कोई डिवैल्प कोटा मुकर्रर किया जाता है?

मुख्य मंत्री : स्पीकर साहिब, डिस्ट्रिक्ट वाइज कोटा फिक्स किया गया होता है । उसी हिसाब से ओन मैरिट जिसको जितना मिल सकता है मिलेगा । एग्रो–इंडस्ट्रियल कारपोरेशन. में जो ट्रैक्टर्ज आएंगे वे बाई लोट मिलेंगे ।

श्री मंगल सैन : क्या मुख्य मंत्री जी इस विषय पर कुछ अपना मत व्यक्त करेंगे कि टैरक्टर की ठीक रखने के लिये कुछ स्पेयर पार्टस लेने पड़ते हैं तो उसमें ब्लैक बहुत देना पड़ता है । वे स्पेयर पार्टस अच्छे और सही कीमत पर नहीं मिलते । तो उसके लिये सरकार क्या प्रबन्ध करने का विचार कर रही है ।

मुख्य मंत्री : स्पीकर साहिब, एग्रो–इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन ने, सपेयर पार्टस मंगाये है' । वहां से जो भी कोई फारमर खरीदेगा, उसको कोई ब्लैक नहीं देना पड़ेगा । अगर वाजार में ब्लैक है उसके हम स्पैसिफक नोट गवर्नमेंट आफ इंडिया को भेजेंगे कि यहां ब्लैक हो रहा है ।

चौधरी अब्दुल रजाक खां : क्या चीफ मिनिस्टर साहिब यह बताने की तकलीफ करेंगे कि जो दरखास्ते ट्रैक्टरों के लिये पहले ली गई थी उनकी तादाद गालबिन तीन–चार हजार थी और उस वक्त उस फार्म की फीस पांच रुपये रखी थी । अव उन्होंने वे फार्म सारे रिजैक्ट कर दिये हैं ऐसा क्यों किया गया? इस तरह से हरियाणा के लोगों को यानी पचास हजार रुपये का नुक्सान पहुंचा है । उन लोगों को इस बारे में भी कोई इत्तलाह नहीं दी है कि

तुम्हारी दरखास्ते कैन्सल कर दी हैं । अब उन्होंने नये फार्म खरीदे हैं । तो क्या महकमा एग्रो इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन ने वे फार्म तबदील कर दिये थे ।

मुख्य मंत्री : इस किस्म की बातें एग्जामिन करवाई जाएगी ।

चोधरी चांद राम : क्या मुख्य मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि जो नये रूल एग्रो इन्डस्ट्री कारपोरेशन ने ट्रैक्टर देने के बारे में बनाये हैं उनमे यह दर्ज है कि वे फार्म के साथ सौ रूपये भी दें, बैक गारन्टी भी दे कि उनका इतना पैसा बैक में जमा है बाद में वे इनको ब्लैक वगैरह नहीं करेंगे । अगर इस तरह की उसमें शर्ते हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि स्माल मीनज वाले अर्थात् छोटे फारमर तो ट्रैक्टर लेने से महरूम रहेंगे ।

मुख्य मंत्री : ट्रैक्टर डिस्ट्रीव्यूशन के नये रूल्ज रिव्यू करने के लिये, फाइनेन्स मिनिस्टर उसकी चेयरमैन हैं एक कमेटी बनाई है । उन रूल को सिम्पलीफायी करने के लिये वह कमेटी गौर कर रही है । उस कमेटी की अभी रिकमैडेशन नहीं आयी है ।

चौधरी रण सिंह : क्या मुख्य मंत्री साहिब यह बताएंगे कि बैके गारन्टी की लोड़ क्यों महसूस हुई?

मुध्य मत्री रू स्पीकर साहिब, मैंने अर्ज किया कि नये रूल बनाने के लिये कमेटी बना रखी है उसमें सिम्पलीफायी करने के लिये कोशिश करेंगे ।

श्रीमती चन्द्रावती : क्या मुख्य मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि वह रिपोर्ट कितने दिनों तक आ जायेगी?

Chief Minister : As early as possible.

Shrimati Chandravati : Sir, 'as early as possible' is not the answer to my question. I want to know the time by which the report is expected to come?

Mr. Speaker : I think, some rough idea may be given

Chief Minister : Sir, as early as possible.

Shrimati Chandravati : In how many months, whether .one. two or Three, is the report expected to come?

Mr. Speaker : Say, within a month or so

Chief Minister : Sir, as early as possible.

Mr. Speaker : He is not prepared to reply your (Shrimati Chandrawati) question.

चौधरी नारायण सिंह : क्या मुख्य मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि हरियाणा में जो दो सौ ट्रैक्टरों का लाट अभी आया है उनका जो डिस्ट्रीव्यूशन होगा वह जो आपने नई कमेटी बनाई है उसकी इन्स्ट्रक्शन फाइनेलाईज होने के बाद हो गाया पहले जो इस्क्ट्रक्शन हैं उनके मुताबिक डिस्ट्रीव्यूशन होगा ।

मुख्य मंत्री : अभी तो रूल बन रहे हैं लेकिन अब तो जो डिस्ट्रीव्यूशन होगा वह नये रूल के तहत होगा ।

चौधरी चांद राम : क्या मुख्य मंत्री जी ये बतायेंगे कि अब यह जो दरखास्तें मांगी गई हैं ये नये रूल फेम करने से पहले ही मांगी गई हैं?

मुख्य मंत्री : स्पीकर साहिब यह तो अंडरस्टुड बात है जो रूल एजिस्ट करते हैं नई दरखास्ते उन्हीं रूल के मुताबिक दें । अगर कोई रूल मोडीफाई करते हैं और उनके खिलाफ कोई बात जायेगी तो उनको खबर दे दी जोयेगी ।

चौधरी अब्दूल रजाक खां : क्या चीफ मिनिस्टर साहिब यह बताएंगे कि जो नये रूल बन रहे हैं इन तल के तहत जो दरखास्ते पड़ी हुई हैं यह दरखास्ते भी कैन्सल कर दी गई तो क्या ताल्लुकान को इन्फार्म किया जायेगा?

(कोई जबाव नहीं)

श्रीमती शारदा रानी : क्या मुख्य मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि एग्रो–इन्डस्ट्री कारपोरेशन के पास साल, दो साल, चार साल से जो दरखास्ते पड़ी हुई हैं उनको प्रायरटी दी जायेगी ।

मुख्य मंत्री : मेरे ख्याल मेंइ स तरह की दरखास्तों को कोई प्रायरटी नहीं दी जायेगी लेकिन जो डिजरविंग केसिज होंगे उनका लाटरी के निकलते वक्त ख्याल रखा जायेगा ।

चौधरी रण सिंह : क्या मुख्य मली जी के नोटिस में यह बात है कि ट्रैक्टरों के स्पेयर पार्टस की बहुत ज्यादा किल्लत है और

जमींदार बहुत दु:खी हैं। इस किल्लत को दूर करने के लिये सरकार कोई स्टैप्स उठा रही है ।

मुक्त मंत्री : स्पीकर साहिब, इसका जवाब मैदे चुका हूं ।

चौधरी चांद राम : क्या मुख्य मंत्री जी को यह पता है कि जो दरखास्तें मांगी गई हैं और जो मौजूदा रूल हैं उनके मुताबिक ही होंगी? अब वह फार्म मेरे पास मौजूद नहीं है जो आजकल जारी हो रहे हैं । अब जो दरखास्ते मांगी जा रही हैं उनपर कुछ शरायात हैं । क्या जब ट्रैक्टरों को तकसीम किया जायेगा उस वक्त नये रूल लागू होंगे या पुराने वाले होंगे?

मुख्य मंत्री : इसका जवाब मैं दे चुका हूं ।

चौधरी चांद राम : जो एप्लीकेन्ट एप्लीकेशन्ज देंगे वे तो पुराने रूल के मुताबिक देंगे और व पुराने रूलो पर बाउन्ड होंगे । जब कमेटी रिपोर्ट देगी तो नये रूल बनेंगे । मै जानना चाहता हूं कि क्या उन एप्लीकैन्ट पर नये रूल लागू होंगे या पुराने वाले?

Mr. Speaker : I think this might be clarified.

Chief Minister: I have already clarified it.

अगर उनके रुल तब्दील होंगे या एप्लीकेण्ट के इन्ट्रेस्ट के खिलाफ कोई तब्दीली होगी तो खबर दे दी जायेगी ।

Mr. Speaker: Let me clarify 1 feel, the case is that the applications have been asked for on certain pro formas and the other rules are being re-examined. So in the meantime the

applications would be received and the allotment will be made according to the rules that are now framed. So, I think. it is more on the mode of allotment that the rules are being framed.

चौधरी चांद राम : स्पीकर साहिब आप मुलहायजा फरमाइये कि जो मौजूदा रूल है उनके मातहत जो तीन चार हजार दरखास्ते' पहले मांगी गयी हैं अब उनकी चिट्ठी जारी हो रही है' कि तुम्हारी एप्लीकेशनज फाईल करदी गयी हैं । तो अब ये नई दरखास्ते मांगने का क्या कारण है? क्या इन पर मौजूदा रूल लागू होंगे?

मुख्य मंत्री : कोई जवाब नहीं ।

चौधरी रण सिंह : जो दरखास्तें आयेंगी उनकी लाटरी निकालीं जायेगी या.... (विध्न)

Mr. Speaker: I think, the question is that in that case why have the new applications been invited ? That is the point.

मुख्य मंत्री : नई एप्लीकेशन्ज मेरे नोटिस में नहीं हैं । मैने कहा है कि अगर एप्लीकेशन्ज आयेंगी और रूल में कोई चेन्ज उनके इन्टैरस्ट के खिलाफ होगी तो उनकी अपरच्यूनिटी दी जायेगी ।

Mr. Speaker: am afraid, there is a confusion about the whole matter. What I can see is that the applications have been asked for on a new form and in the meantime a Committee has been formed to go through these rules. As and when these applications are received the allotment will be made as per allotment rules to be decided by this new

Committee. That is what it appears to me.

चौधरी चांद राम : स्पीकर साहब, मैं तो लोगों की सुविधा के लिए यह पूछता हूं । लोगों ने पहले पैसे खर्च करके दरखास्ते दीं वे तीन चार हजार दरखास्ते आयीं कोई यहां किराया खर्च करके आया, किसी ने रजिस्ट्री करायी । अब वे दरखास्ते रिजैक्ट हो गयी हैं । अब नये रूल बनाये जा रहे हैं । हमारा इस बात से कोई सम्बन्ध नहीं है कि कौन मैनेजिंग डायरैक्टर था? वह एजसी तो गवर्नमैंट की ही थी ।

मुख्य मंत्री : देखिए यह कनफ्यूजन है, रूल कोई ऐसे नहीं हैं, किन्हें कन्यिडर नहीं किया जायेगा । उन मे कोई मैट्रियल चेन्ज नहीं होने जा रही हूँ । कोर्ड चीज जो सिम्पलीफाई की जाएगी उनके डिसएडवांटेज में होने वाली नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : मेरे ख्याल में एक बात तो ठीक है जो आप भी फरमा रहे हैं और श्री अब्दुल रजाक जी ने भी फरमायी है । पहले कुछ तीन–चार हजार एप्लीकेशन्ज आ चुकी थी । उनको खबर नहीं दी गयी और फिर .फार्म उनको खरीदने पड़े । इससे कुछ नुक्सान हुआ जो कि उनको फ्री फार्म देने चाहिएं थे । दूसरे नयी एप्लीकेशन्ज मंगवायी गयी, नये फार्म पर लेकिन उन रूल्ज को सिम्पलीफायी करने के लिए कमेटी एग्जामिन कर रही है । एप्लीकेशन्ज फार्म अलाटमैट ठीक हैं लेकिन जो मोड आफ अलाटमैट है उस पर गौर किया जा रहा है और वह हो जायेगा ।

चौधरी चांद राम : देखिए स्पीकर साहिब मैं कोई सप्लीमैटरी नहीं कर रहा हूं । लेकिन मैं लोगों की सुविधा के लिये और आपकी जानकारी के लिये यह पूछना चाहता हूं कि पांच रुपये फी दरखास्त के लिए जाते हैं, ट्रैक्टर के लिए । अब जो दरखास्तें दी जा रही हैं वे फार्म बदले नहीं हैं लेकिन अलाटमेंट का तरीका ही तो वदला है, तो नयी दरखास्तों का क्या फायदा है?

मुख्य मंत्री : स्पीकर साहिब रूल्ज की कापी तो मेरे पास नहीं मगर दरखास्तें जरूर कैंसिल होंगी, वह इस लिए कि फर्ज करो कि आज 200ट्रैक्टरों के लिए एप्लीकेशन्ज इनवाईट कर लीं तो अपने रिस्क पर जिस ने एप्लाई करना हो करे जिन को अलाटमेंट हो जाएगी हो जाएगी, बाकी जो रह जायेगी वह कैंसिल हो जाएंगी ।

श्री दया कृष्ण : क्या मुख्य मन्त्री साहिब बतायेंगे कि कोआपरेटिव सोसाईटीज या मार्किटिंग सोसाईटीज के लिए कोई प्रोविजन रखा है ट्रैक्टर देने के लिए जिस में उनको प्रैफस दी जाएगी ।

मुख्य मंत्री : मेरा ख्याल है कि इस सम्बन्ध में प्रोपोजल है ।

श्री दया कृष्ण : चीफ मिनिस्टर साहिब ने अपने जवाब में फरमाया है कि प्राईवेट फर्मज ट्रैक्टरों की बहुत ब्लैक करती हैं और इस को रोकने के लिए प्रोवियन भी किया है और डिप्टी कमिश्नरों को हिदायत की है कि वह शिकायत करें अगर कोई ऐसी चीज नोटिस में आए तो । मैं जानना चाहता हूं कि डस से क्या ब्लैक कम हो जाएगी ।

मुख्य मंत्री : हां जी कम हो जायेगी ।

श्री दया कृष्ण : अगर इससे ब्लैक कम न हुई तो इससे आगे भी कोई कदम उठाया जाएगा ।

मुख्य मत्री : वह आप बता दें ।

Mr. Speaker: What **I** suggest is that a proper clarification on this **point** may also be given tomorrow. 1 think, this would be better. There **is lot** of confusion.

A Voice: All right. Sir.

Mr. Speaker: Let us go to the next question.

Export of MiIch Animals from the State

***142. Shri Daya Krishan:** Will the Minister for Finance be pleased to state—

(a) the approximate number of Mulch animals exported during the period from 1st April, 1967 to 31st March, 1968 and from 1st April, 1968 to 31st October, 1968, separately;

(b) whether it is a fact that the export of mulch animals from the State is in large number;

(c) whether it is a fact that due to this unrestricted export. the future breed of such animals is adversely affected and milk supply is lessened;

(d) Whether the Government propose to sponsor any legislation to restrict such export; if so, within what

period?

Shrimati Om Prabha Jain: (a) The requisite information is laid on the table of the house.

(b) Yes.

(c) No statistical data is available . However, it is generally assumed that milk supply is lessened by such uncontrolled export.

(d) The matter is under active consideration of the Government. **STATEMENT**

Table showing Mulch Animals Exported from Haryana State during the period 1st April, 1967 to 31st March, 1968 from 1st April, 1968 and to 31st October, 1968.

Period.—Female stock over Three years

	Buffaloes in milk	Dry	Cow in milk	Dry
1st April , 1967 to 31st March, 1968	25,340	16,140	5,324	7,623
1st April, 1968 to 31st October, 1968	11,416	7,761	3,381	5,230

Appointment of Part-time Members of the. Haryana State Electricity Board

***268. Chaudhry Chand Ram :** will the Minister for public Works be pleased to state:

(a) whether any part-time members of the

Haryana State Electricity Board have been appointed by the Government, if so; when were they appointed together with the terms and condition s of their appointment.

(b) the T.A. and D.A. and other emoluments so far drawn by each of them?

Shri K.L. Poswal : (a) , (b) A statement containing the requisite information is laid on the Table of the House.

STATEMENT

(a) Yes, Sarvshri Debi parsanna and Sehdev Singh Malik were appointed part-time non-official members of the Board by the State Government in September, 1968. They joined on September 30th, 1968. Their term is for three years and their appointment is governed by the usual terms and conditions laid down in the Punjab State Electrictiy Board Rules 1959 framed by the Government under Section 78 of the Electricity (Supply) Act, 1948.

In addition to the above non-Official Part-time members, Shri J.D. Sharma, I.A.S. Director of Industries, Haryana has also been appointed Ex-officio Member of the Board No pay and allowances are being paid to him by the Board.

(b) As per details given below —

Month	T.A. for attending Board's meeting	T.A. for Inspection of works	Honorarium for attending the Board's meetings
			Rs. 100 per

	s		meeting
1 . Shri Debi Parsanna —			
September and October, 1968	921.60	155.30	400.00
November, 1968	691.20	517.15	300.00
December, 1968	460.80	981.00	200.00
January, 1969	460.80	403.75	200.00
Total	2,534.40	2,057.20	1,100.00
2 . Shri Sehdev Singh Malik—			
September and October, 1968	768.00	452.80	400.00
November, 1968	576.00	720.35	300.00
December, 1968 including 1st/2nd			
January, 1969	576.00	17371.15	200.00
January, 1969			200.00
Total	1,920.00	2,544.30	1,100.00

श्री मंगल सन : क्या मन्त्री महोदय बतायेंगे कि जिन महानुभावो को हरियाणा बिजली बोर्ड का पार्ट टाईम मेम्बर अप्वायंट किया है उनकी कुआलीफिकेशन क्या है और उनके नाम क्या हैं?

मंत्री : एक तो श्री देवी प्रसन्ना है, उनकी कुआलीफिकेशन तो मेरे पास इस वक्त नहीं है लेकिन वह बड़े अच्छे सोशल वर्कर हैं और पढे लिखे है । दूसरे श्री सहदेव मलिक हैं, वह बहुत अच्छे एडवोकेट है ।

श्री मंगल सैन : स्पीकर साहिब, लिस्ट को देखने से पता चलता है कि श्री देवी प्रसन्ना ने सितम्बर–अक्तूबर में 921 रुपए टी.ए. के बोर्ड की मीटिंग्ज अटैन्ड करने के लिए, इंस्पैक्शन आफ वर्क के 155 रुपए 30 पैसे लिए और आनरेरियम का 400 रुपया लिया । अब यह एक ही महीने का 1, 400 से ज्यादा रकम का बोझ बढ्ता है । इसी तरह और महीनों का आगे आगे बढ्ता जा रहा है, नवम्बर का इस से भी ज्यादा है, दिसम्बर का तो 1,600 रुपए के करीब हो जाता हूँ और जनवरी का भी कोई हजार 1,100 रुपए के करीब है । श्री सहदेव मलिक का नवम्बर का 1600 और दसम्बर का दो हजार के करीब है । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इन की जो टर्मज आफ एप्वायंटमेट है उनमे इस्पैक्शन आफ वर्कस भी शामिल है और इन की ड्यूटीज क्या हैं?

मन्त्री : आप को मालूम है कि इतना ज्यादा काम हो रहा है, हम ने 1 5,000 के करीब क्नैक्शन्ज दिए हुँ' । यह सारे काम को गांव गांव में जा कर देखते हैं और सारी रिपोर्ट देते हैं । इसके लिए मै समझता हूं कि यह रकम ज्यादा नहीं है । राव बीरेन्द्र सिंह. मैं जानना चाहूंगा कि यह देवी प्रसन्ना जी कब से बिजली बोर्ड को मैम्बर हुई है' (हंसी)

मन्त्री : वह आदमी हैं राव साहिब ।

श्री मंगल सैन : मैं जानना चाहूंगा कि वोर्ड का मैम्बर बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन्ज होनी चाहिए ।

मन्त्री : इस में कोई क्वालिफिकेशन्ज नहीं ले आउट की हुई लेकिन जो कैलीबर का हो या अच्छे ढंग से काम कर सके उस को रखा जा सकता है ।

श्री मंगल सैन : इन्होंने जवाब देते हुए बताया कि शिक्षा सम्बन्धी योग्यता की जरूरत नहीं उनका कैलीबर होना चाहिए, तो क्या उस कैलीबर में यह भी बात शामिल है कि वह रूलिंग पार्टी के रूलिंग कलिक का मैम्बर होना चाहिए । क्या आप के पास कोई और एप्लीकेशन्ज भी आई थी पार्ट टाईम मैम्बर के लिए ।

मन्त्री : इस का जवाब देने की जरूरत नहीं है ।

श्री मंगल सैन : क्या आपने अखबारों में इस सम्बन्ध में कोई एडवर्टाईजमेंट की थी ।

Mr. Speaker: The answer has been given. No applications were asked .

Chief Minister: They are not necessary.

Mr. Speaker : . . . . and they are not necessary also.

श्री मंगल सैन : क्या मिनिस्टर साहिब बतायेंगे कि उनको पार्ट टाईम मैम्बर बनाने के लिए किस आर्डर से यह बात की है ।

मुख्य मंत्री : उन को एप्यायंट करना था कर दिया ।

श्री मंगल सैन : स्पीकर साहिब, मैने पूछा था कि उन की टर्मज आए एप्वायटमेट और ड्यूटीज क्या हैं?

लोक कार्य मन्त्री : स्पीकर साहिब, इन की ड्यूटीज वैसे कोई खास नहीं होंती लेकिन स्पैशल ड्यूटीज होती हैं मिसाल के तौर पर कोई काम चौक करना हो या कोई खास इन्टरव्यू लेनी हो ।

चौधरी चांद राम : वर्से तो जिस का सवाल होता है उस का नम्बर आता है लेकिन अगर आप इजाजत देते हैं तो मैं पूछ लेता हूं । स्पीकर साहिब सवाल में यह लिखा है

"Whether any part-time members of the Haryana State Electricity Board have been appointed by the Government, if so when were they appointed together with the terms and conditions of their appointment ;"

टर्मज ऐण्ड कंडीशन्ज के बारे में यह जवाब तो दे दिया है कि स्टेट इलैक्ट्रिसिटी के जो रूल्ज हैं उन के मुताबिक किया है । हम उस एक्ट को कहां देखते फिरें उन को यहां पर बताना चाहिए... कि कौन सा रूल है वह ।

Chief Minister : The House knows as well that the persons were qualified to be appointed members. So they were appointed members of the Haryana State Electricity- Board.

चौधरी चांद राम : जनाब, मैने स्पैसिफिकली यह पूछा है अब मैं उस एक्ट को लाईब्रेरी मे तलाश करूं घर मे तलाश करूं या टेबल

पर रखा होगा तो उस में देखू ? मैने पूछा है आगे ही कि टर्मज क्या है और अब फिर पूछ रहा हूं कि उनकी टर्मज और ड्यूटीज बताने की– कृपा करें ताकि जिस से अन्दाजा लग सके कि दो–दो हजार रुपया जो ले रहे हैं तो उस से उन के काम का अन्दाजा लगा सखें ।

Mr. Speaker : I have given a ruling earlier on that in respect of a document, which is open to public and which contain the requisite information a question need not be put.

चौधरी चांद राम : यह नहीं है कि मैने यह भी सप्लीमैटरी कवैश्चन पूछा है कि उनकी ड्यूटीज क्या हैं, किस लिये वह वहां भेजे जाते हैं और क्या चौक करते हैं इतनी बड़ी रकम टी. ए. की शक्ल में इन्सपैक्शन का भी लेते हैं और इसके इलावा और पैसे भी लेते हैं । दूसरी बात यह है कि आया बजरिया तार लेते हैं या बजरिया..

Mr. Speaker : Time is over.

श्री मंगल सैन : स्पीकर साहिब, यह बड़ा अहम सवाल है इसको अगले दिन पर पोस्टपोन कर दें ।

Mr. Speaker : I will give you two minutes tomorrow on this *question.

चौधरी चांद राम : स्पीकर साहिब, आप देखेंगे कि मिनिस्टर साहिब ने कहा कि इतनी शिकायतें हैं इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड की और इतनी बिजली की शिकायतें हैं । इस लिये जरूरी हो गया था कि दो

आदमी जा जा कर चौक करते । आप मुलाहजा फरमाएं कि वह टैक्नीकल आदमी भी नहीं हैंइस लिये आप पांच सात मिनट सम्लीमैंटरी करने को और दे दें ।

श्री अध्यक्ष : चौधरी साहिब आज न आता तो वैसे ही लैप्स हो जाता ।

चौधरी चांद रामः अब आ गया है तो अच्छी बात है ।

श्री मंगल सैन : स्पीकर साहिब जरा क्लियर कर दें कल से मतलब सोमवार से है ।

श्री अध्यक्ष : हां ।

WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS LAID ON THE TABLE OF THE HOUSE UNDER RULE 45

Construction of Haryana Roadways Bus Stand at Panipat

***272. Shri Fateh Chand vij** : Will the Minister for Public Works be pleased to state whether there is any scheme under consideration of the Government to construct the Haryana Roadways Bus Stand at Panipat. District Karnal, if so, the extent to which the said scheme has been finalised together with the time by which the construction work on the said bus-stand is likely to be taken in hand.

Shri Bansi Lal (Chief Minister) : Yes. The land has since been acquired. The Plans and Estimates are under preparation and work is likely to be taken up early in the next financial year.

Construction of Approach Roads

***275. Shri Piara Singh :—Will** the Minister for Public Works be pleased t o state :-

(a) the date when the administrative approval was given by the Government for the construction of the approach road to Sandholi which is situated near Pehowa-Thanesar Road ;

(b) whether it is a fact that the village Panchayat has deposited the amount of its one-fourth share for the construction of the said approach road ; if so, the date when the said amount was deposited ;

(c) the extent of the construction work of Sandholi Approach Road which has been completed so far together with the extent of the said work which remains to be completed?

Shri K. L. Poswal : (a) Administrative approval for the 1st phase portion of the work only for earth work etc. for Rs 18,975 equivalent to the beneficiaries promised share was accorded by Government on 16th February, 1967.

(b) No. Against the share amounting to Rs 18,975 only Rs 3,500 was deposited by the villagers in October, 1966.

(I) Earthwork has been taken in hand to the extent of Rs 3,500 only, as per cash deposit received from the beneficiaries and will be completed by 31st March, 1969.

Construction of Approach Roads From Keorka to Noch

***296. Shri Piara Singh :** Will the Minister for public Works be

pleased to state the amount of money lying deposited with Government in connection with the construction of 4 miles long approach road from Keorka to Noch together with the date when the construction work of the said approach road is likely to be started ?

Shri K. L. Poswal : Rs 12,000. The construction work will be taken up when more funds become available for village link Roads during the Fourth Five Year Plan (1969-74) and when the beneficiaries full contribution according to the standard pattern is deposited.

Low-income group and middle-income group housing scheme

***242. Shri Mangal Sein :** Will the Minister for Public Works be pleased to state the amount actually disbursed so far out of the amount allocated under Low-Income Group Housing Scheme and Middle Income Group Housing Scheme separately district-wise in the state during the current financial year?

Chaudhry Khurshed Ahmed : (Health minister) : No amount has so far been disbursed out of funds allocated under the Low-Income Group and Middle income Group Housing Schemes during the current financial year.

Executive Officer, Municipal Committee, Rohtak

***224. Shri Mangal Sein :** Will the Minister for Health be pleased to state—

(a) the date of expiry of the tenure of office of the present Executive Officer, Municipal Committee, Rohtak.

(b) whether it is a fact that the tenure of the said officer has been extended; if so, the reasons therefor;

(c) whether the Deputy Commissioner, Rohtak, made any recommendations in favour of the said extension; if so, a copy of the said recommendations be laid on the Table of the House;

(d) whether the approval of the above-mentioned Municipal Committee was obtained for the said extension; if not, the reasons therefor?

Chaudhry Khurshed Ahmed : (a) (b), (c) and (d) A Writ Petition in this case has been admitted by the High Court. The matter is, therefore, sub-judice.

Elections to Municipal Committees

***225. Shri Mangal Sein :** Will the Minister for Health be pleased to state—

(a) the number and names of the Municipalities in the State at present where administrators have been appointed by the Government;

(b) the number and names of the Municipalities in the state to which elections are due and the time by which the same are proposed to be held?

Chaudhry Khurshed Ahmed : (a) Eleven. Ambala City, Karnal, Gurgaon, Hissar, Faridabad (Old), Ballabgarh, Sonepat, Nuh, Thanesar, **Loharu** and Hansi.

(b) Twenty-one. A statement is laid on the table of the House.

The elections to these Municipal Committees will be held as soon as their delimitation proposals have been finalised and electoral rolls are ready.

Serial No.	Name of District	Name of Municipal Committees	Date when next elections became due
1	2	3	4
1	Ambala	(1) Ambala City	3-8-67
2	Karnal	2) Karnal	24-2-64
		(3) Thanesar	7-7-67
		(4) Pehowa	22-6-67
3	Rohtak	(5) Bahadurgarh	15-1-68
		(6) Sonepat	27-2-64
		(7) Beni	17-8-67
4	Gurgaon	(8) Gurgaon	21-8-67
		(9) Faridabad (Old)	25-8-67
		(10) Ballabgarh	25-8-67
		(11) Sohna	19-12-67

		(12)	Nuh	9-9-67
		(13)	Hodel	28-8-67
		(14)	Bawal	21-2-64
5	Hissar	(15)	Hissar	20-2-68
		(16)	Hansi	4-6-67
		(17)	Bhiwani	16-8-64
		(18)	Dabwali	26-8-67
		(19)	Uklana Mandi	15-6-67
6	Jind	(20)	Safidon	22-3-64
7	Mohindergarh	(21)	Narnau	22-6-67

Ex-servicemen Colony

***300. Shri Balwant Rai Tayal :** Will the Minister for Health be pleased to state—

(a) whether it is a fact that the ex-servicemen of district Hissar demanded land to establish an ex-servicemen colony at Hissar;

(b) if reply to part (a) above be in the affirmative the date when the said demand was made together with the steps being taken by the Government in respect thereof?

Shri Bansi Lal (Chief Minister) : (a) Yes. (b) (i) 17th November, 1966.

(ii) Formulation of proposals for the transfer of about 45 acres of land belonging to the Livestock Farm, Hissar to the Town and Country Planning Department for setting up a Defence Colony is at final stages and it is expected that the colony would be set up at an early date.

UNSTARRED QUESTIONS AND ANSWERS

Memorandum from Homeopathic Practitioners

104. Shri Bhagwan Dass Sehgal : Will the Minister for Health he pleased to state -

(a) whether Government received any memorandum from a deputation of the All-Haryana Homeopathic Medical Association on August 1, 1965 ; if so, the action, if any, taken thereon ;

(b) whether it is a fact that the Punjab Homeopaths Practitioners, Act, 1965, has not come into force for the last four years ;

(c) whether there is any proposal under consideration of the Government to give the representation to Homoeopathic of good standing and the professional bodies of Homeopaths on the proposed State Homeopathic Council ; if so, the action, if any, so far taken to implement it ;

(d) whether Government is aware of the fact that fake degrees and diplomas are being sold by correspondence by certain colleges in the State ; if so, the action, if any, taken in the matter ?

Chaudhry Khurshed Ahmed : (a) No record is available in the

State Health Department in respect of any memorandum having been received from the deputation of the All Haryana Homeopathic Association on August 1, 1965. This may be on the record of the Punjab Government as the said memorandum was submitted to the Government before the re-organisation of the State ;

(b) Yes.

(c) Yes ; necessary action will be taken after the proposed State Homeopathic Council is set up ;

(d) Yes ; at present there is no control on Homeopathic system of medicine, and as such no action can be taken by Government against persons who are selling fake degrees and diplomas by correspondence.

Memorandum by Textile Mazdoor Sabha, Hissar

106. Shri Balwant Rai Tayal : Will the Chief Minister be pleased to state ---

(a) whether the Textile Mazdoor Sabha, Hissar sent a Memorandum, dated the 19th June, 1967 to the Labour Commissioner, Haryana, in connection with the Hissar Textile Mills ; if so, the date of its receipt by the said officer together with the action, if any, taken thereon ;

(b) a copy of the said Memorandum be laid on the table of the House ;

(c) whether the said Memorandum was forwarded to the management of the Hissar Textile Mills ; if so, a copy of the reply received from the said management be laid on the

table of tic. House ?

श्री बंसी लाल : ए) टैक्सटाइल मजदूर सभा हिसार की 19 –6–67 की यादी श्रम आयुक्त हरियाणा को प्राप्त नहीं हुई परन्तु 19 – 8 – 67 को प्र हुई थी । उसकी जांच 6 – 9 – 67 को उप– श्रम– आयुक्त द्वारा की गई थी । उनकी 2 9 – 9 – 67 की रिपोर्ट की प्रति सदन की मे ज पर प्रस्तुत है ।

(बी) 1 9– 8 – 67 की यादी की प्रति सदन की मेज पर प्रस्तुत है ।

(सी) हां, यादी हिसार टैक्सटाइल मिल्ज हिसार के प्रबन्धकों को भेजी गई थी । उनके उत्तर कॉ प्रति सदन की मेज पर प्रस्तुत है ।

As verbally directed by L.C.I. visited Hissar on 6th September, 1967 to hold an enquiry and have discussions on various matters as mentioned in letter No. 282/67, dated 19th August, 1967 addressed by Shri Rachhpal Singh, General Secretary Textile Mazdoor Sabha, Hissar to the Labour Commissioner, Haryana, with copies to L.G.M. Commissioner, Public Grievances, Ministry of Home Affairs, Government of India, New Delhi, etc. Shri Rachhpal Singh was informed,—vide by Memo. No. Steno /LC/1/67/2961, dated 4th September, 1967 that I would meet him in his office on 6th September, 1967. Oh reaching Hissar in the afternoon of 6th I had a talk with Sh. Rachhpal Singh in unions office on various matters as mentioned in his letter.During discussions with Shri Rachhpal Singh besides the allegations made int he letter referred to

above, he was alleged that there was some irregularity regarding the signatures of Sarvshri Parsotam Lal Sharma, Ram Kumar and Ramji Lal on the settlement, dated 4th July, 1967 and he wanted me to enquire into the matter as well.

I met the Management next day in the Mill premises and had discussions with them on all the points. I also discussed with them the allegation regarding the irregularity in signatures. The Management called three above-mentioned workers in my presence and confronted them with their signatures on the settlement. On my query they admitted that they had signed the settlement of their own free will and there was no irregularity. Regarding other matters the management told me that they would like to send their comments in writing. heir comments in writing have been received, vide 11 their letter No. Nil dated 9th September, 1957. While going through the allegations made by Shri Rachhal Singh and the comment of the management followed by my discussions with both the parties my comments are as under :-

Pages 1 and 2 of the representation of Shri Rachhpal Singh are of general nature alleging that the management have some allegations against some of the Labour Officers, but there is nothing specific. Similarly, pages 1 to 5 of the letter from the management also contain certain allegation against Shri Rachhpal Singh for his misbehavior and some irresponsible speeches, regarding inciting the workers and creating some disturbance inside and outside the Mill premises. This con terms past history and past relations between the two parties and as such are relevant to know the background of the present strained relations.

The first specific grievance mentioned by Shri Rachhpal Singh at page .2 it is regarding increase in the work-load. Shri Rachhpal Singh has stated that "Till December, 60. the Khata in ring frame comprised of 24 Machines (sides)... the staff other than operators at that time to manage the Khata was mistry 1, head Dofar I, Doffers 8, Helpers 4. As the record of the management shows there was hardly an operator who had operated four sides of the machine before December, 1960. Majority of the operators used to operate the two sides and one side at that tune, average 10 operators had to operate 3 sides of the machines. There was only two double sides in course count. But the situation is quite different after December, 1950 and specially at present".

The management on the other hand had stated that "Shri Rachhpal Singh has made a gross misrepresentation of facts and figures. The allegation is absolutely false and baseless. There has not Leen even a single case of retrenchment or any instance of increase in work-load.

They denied the charge of increase in work-load as follows.—

1. The fact that by virtue of the conciliation settlement dated 26th April 1961 (vide items 13 and 14) it was agreed that "the existing work assignment will not be made the subject matter of any dispute". Has been ignored deliberately by Shri Rachhpal Singh. The controversy about work-load if any, was set at rest by the above settlement.

2. The settlement dated 26th April, 1951 further provides that workers have no objection to the management running three sides or more provided no retrenchment is

agreed. Shri Rachhpal Singh has not cited any such case as there has been none.

3. Number of sides run in the respect of newly installed machines or newly introduced counts cannot be questioned.

4. The comparison given by him, therefore, does not stand. The facts and figures have been misquoted.

5. As regards the Basic wages of the workers running different sides, there has not been any complaint or grievances whatever. In fact the worker concerned stands to gain by working more number of sides as his basic wages rates increases while the amount of work remains the s .me or even reduces with better conditions of work. Higher the basic wage more is the amount of bonus, provident fund etc. paid to the individual workman.

From the above it will be seen that though the management has increased the workload in certain cases yet it has been done with the consent of the workers who to gain in the form of more wages if they work on more sides. It may also be noted that there have been no complaints from the workers. As a matter of fact if any individual workman makes a complaint and refuses to work on more sides he loses his wages which he is more getting. During may verbal discussions Simi J.P. Sangal, Personnel officer of the Management pointed out to me that his arrangement was regular keeping in view the principles laid down regarding rationalization in the fifteenth session of the Indian Labour-Conference which inter alia emphasized, particularly that:—

(i) there should be no retrenchment of loss of earnings of the existing employees i.e. the full complement required for the operations -before rationalisation should be maintained except for cases of natural separation or wastage. Workers could, however, be provided with suitable alternative jots in the same establishment or under the same employer subject to raiment between' the employer and his workers.

(ii) there should be an equitable sharing of benefits of rationalisation as between the community, the employer and the worker ; and

(iii) there should be a proper assessment of work-load made by an expert or experts mutually agreed upon and also suitable improvement in the working conditions.

The 2nd allegation is regarding interference in trade onion activities. Shri Rachhpal Singh has alleged that the management does not allow his union to hold its gate meetings, collection of subscriptions from the worker, etc. The management has denied the allegation stating that the very fact that three unions are functioning in the factory is a self a proof that the managements is not interferring in the trade union activities of the workers. Another allegation in this connection levelled by Shri Rachhpal Singh is that the managements interfere in their gate meeting through loud-speaker whenever the Union starts gate meeting. The management has denied this allegation and stated that "it is false to allege that we start recording with loud sound on the loud-speaker when Shri Rachhpal Singh and others try to hold gate meetings at the Main Gate". In fact, devotional and national music is played at shift change only.

It is a fact that usually gate meetings are held at the time when the workers of new shift come in and the workers of old shift go out. If gate meetings are held at other times it is difficult to have good audience when the workers may be in their own rooms. It. may be that the loudspeakers are started with the National and devotional songs with the intention that the workers may not be attracted to gate meetings but at the same time it is difficult to establish that the working of the loud-speakers at that time is with the intention of interference in the gate meetings and with the idea of destructing the attention of the workers from the gate meetings. Both the parties have their own rights, i.e., the Union has the right to have its gate meetings and the management has the right to entertain the workers with national and devotional songs at the time of change of shifts and therefore it cannot be said that one or the other party are interfacing with each other. The management has also denied any interference in the matter of collection of subscriptions. The management also denied the allegation of Shri Rachhpal Singh that they send their watch and ward staff to the P.W.D. colony and harass them. The management has admitted that they charge-sheeted an office-bearer of the union because the leaflet he was distributing was found to be ob actionable and amounted to misconduct under the standing order. I am of the opinion that merely an issue of the charge-sheet does not amount to harassment particularly in view of the fact when the president of the Union and the worker admitted their guilt. The leaf-let issued by the workers is at flag 'Z'

At page 5, Shri Rachhpal Singh has alleged that his union has not been made a .party to settlement dated 4th July, 1966. He

has further alleged that he has not been given a copy of the settlement. The management admitted that Shri Rachhpal Singh's Union was not made a party to the settlement but that settlement was got endorsed by the President and other office-hearers of the uinon of Shri Randip pal Singh was the General Secretary. The managemeht farther stated that an attested copy of the statement has been delivered to the Union. Sh.

Rachhpal Singh has admitted that he has received an attested copy of the settlement. He has also admitted that the President and two Vice-Presidents have endorsed the settlement. I met the President and Vice-Presidents of the union who confirmed that they had endorsed the settlement. I met the President and Vice-Presidents of the Union who confirmed that they had endorsed the settlement of their own free will.

Shri Rachhpal Singh has alleged that the above office-bearers of the Union were not fully conversant with English. However, since the workers ha : stated that they had sig led and endorsed the settlement of their free will now the Union cannot back out of the settlement under the plea that the workers did not know English and did not understand the settlement. Especially the President of the Union who admitted before me that he was a matriculate, cannot be said to be a new hand or ignorant and as such, the contention of Shri Rachhpal Singh does not hold good the management has denied that any paragraph was added after the signatures of the settlement. On my Parson .1 enquiry the signatories admitted that these was no addition of any line to the settlement which was signed by them.

The next allegation at page 6 by Shri Rachpal Singh is that he is not being allowed to enter the mill premises. He has also stated that he was not allowed to enter Mill premises though he was a Municipal Commissioner from that areas.

In this connection the management stated that the entire mill area of about 40 acres which included the residential colony was the private property of the company and was bounded by fencing. The management were within its right to restrict the entry of any person including any outside labour union official, if in their opinion the said person was an undesirable persons whose entry might be dangerous or prejudicial to the interest of the factory. "The past history of activities of Shri Rachhpal Singh spoke volumes of his intentions and we (management), had therefore , rightly refused to allow him to enter the mill premises.' There was no fundamental right entitling a candidate in the elections or his agents to enter private property to canvas for votes or to hold meetings.

I think the contention of the management also produced a copy of the judgment from Shri V. K. Kaushal, Sub-Judge or Magistrate, Ist Class, Hissar. I am of the opinion that there is nothing under way of the Labour Laws where we can compel the management to allow outsiders to enter the premises which is a private property of the management.

At page 6 Shri Rachhpal Singh has alleged that the other two unions who have been recognised by the management have no representative character and requested that this may be tested by secret ballot.

This is a fact that at present the management is having

negotiations and settlement with the representatives of two unions and the union of which Shri Rachhpal Singh is the General Secretary has not been considered in that status. The management is of the view that the do so because those unions have the majority of workers with them. They denied that Shri Rachhpal Singh's union has the majority of workers on his side. There is nothing on record to support Rachhpal Singh's contention , particularly because his union has been formed very recently and the other two unions have been in existence since some past years. 1 he request of Shri Rachhpal Singh regarding verification of membership by secret ballot is a matter of policy which can be decided by Government only.

At page 6 Shri Rachhpal Sigh has also mentioned the existence of a police chowki at the main gate of the mill it is a that some police constables are on duty at the mill gate on enquiry from the management it was found that there was no police chowki inside the main gate of the mill. The police Constable had been requisitioned on payment for safety and security of mil. premises. I think of Shri Rachhpal Singh or any. other - individual worker has any complaint against the Police constable the remedy lies with the law and order authorities and not with the Labour Department.

Shri Rachhpal Singh has also objected to the screening committee which is a part of settlement dated the 4th April, 1966. the management's contention is that to reduce the number of disputes this agency has been provided as a part of grievance procedure. They denied the allegation that the screening committee has taken the place of the Industrial Disputes Act, 1947. Rather they feel that this encourages be

parties discussion and collective bargaining I am inclined to agree with the contention of the management that since the screening committee is a part of the settlement it is binding on the parties a d legally or morally we cannot say that the screening committee goes against the interests of the workers. Regarding allegation of Rachhpal Singhat page 8 the management admitted that there was a settlement dated 5th October, 1960 containing a clause regarding mutual reference by the parties but this clause has since been revised by an agreement dated 4th April, 1966 and as such it was not in force now.

The allegation regarding non-implementation of agreement at page 9 the management stated that the letter No. 261 64, dated 28th December, 1964 is not traceable in their department and they have asked for a copy of the same. The matter was referred to dispute section who has reported that they do not have copies of settlements of 1959, 1960, 1961 and 1966. They too have stated that they do not have a copy of union's letter dated 28th December, 1964 referred to above. Shri Rachhpal Singh is being asked to send a copy of the letter together with specific cases of non-implementation of settlement.

Regarding works committee. Shri Rachhpal Singh has stated that elections are due in the next month and he feared that the management like the year 1965 will reject the nominations of the candidates supported by them this time also. If- the Labour Department "fail" to arrange free elections of the Works Committee. He was afraid the Committee this time will also become tool in the bands of the management.

During my verbal discussions with Shri Sangal he told me that the management might hold elections in September, 1967. It is ggested that the L.O. C.O. or the L.I concerned may be asked to take up the matter with the management for early election of the works committee and also act as an observer during the elections.

Shri Rachhpal Singh has also requested that he can come to Chandigarh for clarification and personal discussions. L.C. may kindly consider his request.

It may also be added that Shri Rach pal Singh came to my office on 20th September, 1967 when he had discussion with me regarding these allegations. I verbally gave him a gist of the reply received from the management. He. however, said that he should be given a copy of the management's comments to enable him to send a detailed reply to the points raised by the management. Next day i.e. 21st September, 1967 Shri Sangal was also at Chandigarh in connection with the National Commission on Labour and met me in my office. I had a talk with him in this starred starred, t the management would not like a copy of their comment to be given to Shri Rachhpal Singh though they do not have any objection if a gist of the comments was communicated, to Shri Rachhpal Singh

P. N. PURI,

Deputy Labour Commissioner,

Haryana.

Copy of letter No. Steno DLC I 67 29618, dated Chandigarh the 4th September 1967, from Shri P.N. Puri, Deputy Labour

Commissioner, Haryana, to M/s Hissar Textile Mills, Hissar.

Subject.—Violation of Code of Discipline, Agreements and Labour Laws by Hissar Textile Mills, Hissar. -

Enclosed is a representation return requested made by the Textile Mazdoor Sabha, Hissar, to the Labour Commissioner. Haryana which is self-explanatory. The undersigned has been asked to make enquiries in the matter. You are requested to prepare your comments in respect of all the items mentione I in the representation and hand over the same to me when I shall visit Hissar for this purpose on 7th September, 1967.

Copy of letter dated September 9, 1967, from the Gene al Manager, Hissar Textile Mills, Hissar (Haryana) to the Labour. Commissioner, Haryana, Chandigarh.

Subject.—Alleged violations of Code of Discipline, Ag cements and Labour Laws.

As desired vide Deputy Labour Commissioner's letter No, Steno DLC I 67129618, dated 4th September, 1967, we are enclosing herewith our comments regarding the above subject-matter in course of which we have denied the allegations as false and baseless and have requested that same may be filed.

Thanking you.

Copy to Shri P.N. Puri, Deputy Labour Commissioner Haryana, Chandigarh.

Copy of' letter No. H PO 426E 12948, dated 16th September,

1967, from the General Manager, Hissar Textile Mills, Hissar, to the Labour Commissioner, Haryana, Chandigarh.

Subject. Annexes to letter dated 9th September , 1967, regarding comments on the allegations of Shri Rachhpal Singh.

We are enclosing the Annexures to the above letter from 'A' to 'E' as per the list for your -reference in connection with the above letter.

Hope you will please find the same in order.

THE HISSAR TEXTILE MILLS, HISSAR

List of Annexres

' A'	Resume of Activities of Shri Rachhpal Singh from 1957-60
.B.	Extract from the speeches of Shri Tek Chand during 1960.
	Extract from Shri Tek Chand's speech and that of one another delivered on 29th May, 1965 at the Mills Main Gate.
'C'.	Copy of the Injunction order dated 7th March, 1963.
'D'	Pamphlet distributed by Shri Hakumat Rai, a Union Official.
'B'	Judgement of court in respect of the criminal complaint lodged by Shri Rachhpal Singh against the

officers and staff

of the Mills.

THE HISSAR TEXTILE MILLS, HISSAR

ACTIVITIES OF SH. RACHHPAL SINGH From December, 1957 To

December, 1960 (ANNEXURE)

At his instigition the following incidents happerted : —

10 December, 1957	Refusal by Three-siders and Doffers to perform their normal duties.
27th December, 1957	Protest Strike (Union Notice dated 13th December , 1967) during pendency of conciliation proceedings.
3rd January, 1958	Strike in second and third shifts.
6th January, 1958	Strike by three siders—Abusive speeches-filthy slogans- ugly demonstrations.
17th January, 1958	Agreement by management to pay bonus in spite of losses:
31st January, 1958	On the issue of disciplinary action against one worker, strike was launched in violation of the

	agreement dated 17th January, 1958 and provocative and abusive speeches were given.
3rd April, 1958/30th May, 1958	Notice of strike and Hunger Strike.
27th 27th June, 1958	Agreement settling all the demands put forth by the Union and rectification of Code of Discipline.
September, 1958	Refusal by Air Condition Pump attendants to perform normal duties.
23rd December, 1958	On disciplinary action against one Pump Attendant—Charter of Demand -ugly demonstrations—speeches—burning effigies—SIAPA.
26th, 27th, 29th December, 1958	Refusal by Ring Helpers to perform their normal duties — Meetings—processing—speeches — demonstrations— humi. liation--threatening before private residences.
3rd January, 1959	General strike-during pendency of conciliation proceedings.

11th January, 1959.	Threatening Hunger strike.
13th January, 1959	Stay-in-strike for one hour in each shift.
17th January, 1959	Refusal by Pump Attendants to obey the Mistries.
11th Febuary, 1959	Violation of the Agreement by the Union dated 11th Febuary, 1959.
29th and 30th July, 1959	Doffers of frams refused to perform their normal duties.
	Instigation by Tara Ohand (Vice-President) in his shift Objectionable speeches—inciting workers in small groups—personal vilification etc.
Ist August, 1959 and 11th August, 1959	Demand Notice—Threatened direct action.
14th August, 1959.	Boycott of the Independence Day Celebrations—Black flag etc. Hooting of guests etc.
4th August 1959 17th	Speeches of Rachhpal Singh , Tek Chand,

October, 1959	incitement for indiscipline.
18th October, 1959 4th November, 1959	
23rd October, 195 9	Notice of demand.
7th November-, 1959.	71 demands.
15th November, 1959	Tek Chand abused the General' Manager and Executive Officer-Quarrel with Watch and Ward at the Main Gate.
25th Febuary, 1953 28th Mach 1950	Fresh demand notice (against the demand already covered by ag 'agreement dated 12th Febuary 1960 Improper language for the Management on the Notice Board.
21st June, 1960	Meeting of the Evaluation and Implementation Committee- wher in instances of violation of the Cede of Discipline by the Union we 'e discussed and the Union was held responsible for the same.

25th July, 1960, 31st July, 1960	Objectionable speeches—threatening strike.
August, 1960	Notice of termination of Agreement dated 12th February, 1960
October, 1960	BONUS agreement dated 5th October 1960 and its violation by the Union.
November, 1960. 6th Novembe 1960	Notice of demand (In spite of the fact that the management disbursed Bonus equivalent to two and half month basic wage in excess of the available surplus).
16th November, 1960	Notice of Hunger Strike.
27th November, 1960	Draft Agreement in presence of Conciliation Officer and Shri Satish Loomba but Rachhpal Singh backed out and launched strike and Hunger Strike.
December, 1960 8th December,	Mass Hunger strike -100 persons unauthorised absence-Procession of ladies and children-entry in G.M's • Bungalow-Broke Window glasses-Hurled Stones-Causing

1960	injuries to manual labour.
10th December, 1960	Rowdyism in Department-Assault on Mistry by Sapattar Singh.
	Rachhpal Singh organised rowdyism outside and tried
	forcible entry through the Labour Gate inside the factory.
12th December, 1960	General Strike without Notice-Partial Strike in shift complete Strike in II and III Shifts. PremuIgaior of Section 144-Arrest of 26 persons case against-Rachhpal Singh u/s 188 and 506. Assault on Sagar Ram Gupta, M.L.A. and two others.
20th December, 1960	Calling of the strike in the evening of 30th December, 1960.
27th November, 1960	Resignation of Rachhpal Singh from the Union

THE HISSAR TEXTILE MILLS, HISSAR

Extract from the speeches of Shri Rachhpal Singh Tek Chand and their Associate during the period commencing from .September, 1957 to December, 1960.

22nd	Slogans.— Goel Mama Hai Hai. Gupta Mama Hal

September 1957 Procession in the city.	Hai. Narang Shahi Nahin Chalegi.
Sh. Rachhpai Singh,	He told the Union that he would not let M's Goel and Gupta do things in theirown manner He further told he audience that their ultimate weapon was strike and they would not hesitate to resort to this weapon.
17th December, 1957 Mr. Tek Chand	Shri Jain Sahib is Ahirawan and Shri Shanti Swaroop is Rawan
18 December, 1957 Shri Sat Narain.	It will so happen one day that all the workers of ashift will smoke biries in front of G.M.I.s office and near the table of Shri Sh nti Swaroop and the remanents of biries will be collected by Master Ji.
11th January, 1958 Gate Meeting Mr.	W. will hold meetings, take out processions and also stage

Tek Chand a protest strike.

14th January, 1958 I should tel' Shanti Devi (Master Shanti Swaroop) that he cannot harm me and he is living here in the jungle on our

Mr. Tek Chand

support. Whenever we will wish the cap of Shanti Devi

will be found at the boiler chimney.

22nd February, 1958 A procession was taken out to the quarter of Mistry Yesh Pal,

wherehis effigy was burnt and slogans like "Aaj Kaun

Margiya, Yashpal Mar Giya"Yeshpal Murda Bad, and Yashpal Hai Hai". Fr m there the procession proceeded to the quarter of Shri P.D.Mehta, Labour Officer, and some slogans of the same type were used in front of his quarter for about 10 mimes.

21st March, 1958 "WORKS COMMITTEE BYCOTT"

Notice Board.

22nd March, 1958 "MILL KE ANDAR RAWAN RAJ"

Notice Board. 19th May, 1958 Shri Sat Narain The Management wishes that the workers should not live here in peace and there must be some *gar bor.*Weplainly say that if they remain in this position we shall shed blood like the happenings in the S.B. Mills and not a single Officer of this Mill will be

	spared, even La!a Bharat Ram or Sir ShriRam may come.
21st May. 1958 Notice Board	There is *dandIli* in eavry department. Some of the Supervisors and Mistries have created *Rowan ref* Mehhta Sahib does not allow any worker to go to the General Manager. He treats the workers very badly.
22nd May, 1958 Notice Board.	If Mehta goes to the Labour Officer we sh 11 not go there and if they don't agree to our demands then we won't proceed. other serice be prepared for the coring tattle.We shalt never bear the *gandagrdi* of the Managment.
16th November, 1958 General Meeting Shri Rachhpal Singh	In the end of the meeting the following slogans were raised.—
23r 1 November, 1958 Public Meeting Shri Sat Narain	"KHATAUN MEN BHRISHTACHAR BAND KARO" The Management assists the Mistries and incites them to harass the labour. One day one supervisor as: ed me to see how many wo workers were smoking in the latrines and ark them not to smoke. Why should I do? Supervisors who come to latrines for stopping smoking you should throw the smoke on their faces.
8th December, 1958 General	""Is Zelum k: takkar men hartal Namara nara hai"

Meeting Shri Sat Narain	
24th December 1958 Mr. Tek Chand	A procession was taken out (after the meeting) from Labour Gate and proceeded to the office Gate and shouted slogans such as "Jain Sahib Hain Hai, Mehta Sahib Hai Hai". We shall repeat these slogans at night as these can be heard fully by them as in the day time they are sitting in the offices.
27th December 1958 Shri Kanshi Ram	After 'he meeting they formed into a procession and proceeded to the house of Shri Darshan and shouted the following slogans "S. Darshan Singh Murda Bid S Darshan Singh Hai Hai, Yash Pal Hai Hai. " and I formed the gathering their anger in their hear s and give it out on 3rd January, 1959,
28th December 1958 General Meeting Mr. Tek Chand	The Management was trying for the breach of peace. He alleged that the Management was conspiring to get the leaders of the Union beaten by some Goonda Party. He warned the Management that if his doubts proved to be true, any Officer of the Company who fell into their hands would also meet with the same fate. Then it would be the Management on one side and 1,400 workers of the Mill on the other side and the Hisser Bir would be a battle field.
7th January. 1979 Shri Ram	Attack on Mr. Mehta. He misbehaves with the labour

Lal	to serve his own purpose
9th January, 1959 Shri Kanshi Ram Kaushik.	Attack on D.1.He is not only trying to deceive the public but also trying to deceive the Government. He will out aprocession and go to the Bungalow of D.C.
	Our main slogans on that day will be "Roti Do" "Anaj Do",etc. If even this act on our part does not force the D.C. to open *a* cheap shop for grain, then we may have to resort to hunger strike in front of the D.Chs Bungalow and may also give Dharna at the same place.You would recollect that he is the same D.C. ordereda tathi-charge *a* few
	months baaht at Fat habad. .
Shri Ram Lal	In our Mills Shri Mehra is Chhota Kotwal and Jain Sahib is the Magistrate. The Masters and Misteries of this Mill know nothing except how to snub the workers.
21st January, 1959 Mr. Tek Chand	Attack on Shri Jain and Shri Devendra Nath Mechanical Engineer, saying that the former is a tall joker an the
	later is his coolie at the Railway Statuon who puts on a red turban. They should know that they are residing in Hissar bir and they will not be found anywhere.
1st May, 1959 Public Meeting	Attacks on Labour Department that from the Labour

Sh. Rachhpal Singn.	Minister to the peon they are corrupt.
13th May, 1959 Mr. Tek Chand	Threatens the Masters and Mistries. We are prepared to fight with them at all costs.
14th May, 1959 Mr. Tex Chand	Attack on Management, saying that the Management got the boundary fencing wire cut themselves in order to involve the workers in the theft.
	Personal attack on Mr. Bhattacharya, saying that he has a gangof thieves and a meeting was held at his quarter before the theft.
21st May, 1959 Public Meeting Sh. Makhan Singh	Personal attack on S. Partap Singh Kairon, on his father's death his share of land was about 5 acres and now his ,y sons are rolling in lecs of rupees.
29th May, 1959 Notice Board	Heading "ZORDAR AWAZ UTHAO". The Punjab Government have framed black laws to help the rich people and suppress the labourers, and we have to break these rules at all costs.
30th July, 1959 Notice Board.	Warning to the Management "BHARKANE KI KOSHISH MA KAIO" the Supervisors and Mistries are anxious to crest trouble in the departments..

30th July, 1959	Excited the workers to smoke *biries in* the open out of latrines.	
Shri Rachhpal Singh		
31st July, 1959	The Management has charge-sheeted the workers.	
Notice Board	The permanent workers are being refused work. The workers	
	are abused in the departments.The Officers doing *harm* to the workers is appreciated.	
4th August, 1959	Personal attack on Mr. Mehta. Heis the most incompetent	
Shri Rachhpal Singh	and worthless man in the Mills. Even Mr. Jain s peon is far better than him	
20th August, 1959	Heading-"JANG KI TIYARI KARO". The Management has created Dnake Saahi in the department, and	
Notice Board	they are in confusion. They consider cotton as curd. They wish to create the situation of S.B. Mills here too.	
9th September, 1959	Threatens the Management that the Labour would	
Notice Board	be strong enough to stand the test.	
30th September, 1959	Personal attacks on Mr. Jain. He sucks the blood of the labour.Mehta is HAVALDAR AND	
Mr. Tek Chand	PRIVATE SECETARY TO Jain in his work.	
17th October,	He i . threatening the Management to set right the	

1959 Gate Meeting Mr. Tek Chand	Officers and Mistries. If they cannot do so, the labour will set them right, He threatened Mr. Raghavan that if he teases the labour, his hands will be cut off.
18th October, 1959. Gate Meeting	Personal attack on Meht Ji
Mr. Tek Chand	Personal attach on Jain Sahib.He says that I am Hitler, he has exceeded Nehru Ji and Paratap Singh kairon. He says, "1 am Hitler and furl the flag on the whole of India". Tek Chand further says that if JainSahib will tease the labour they will attack on his body. He incited the workers to prepare themselves with langar langote to fight the coming battle:.
3rd November, 1959 Mr. Tek Chand	Raised slogans after speech. "JAIN SAHIB MURDA BAD. MEHTA SAHIB HAI HAI. METHA KI HERA PHERI NAHIN CHALEGI. MANAGEMENT MURDABAD".
4th November 1959 Mr. Tek Chand	We shall never allow your car to proceed further from Nagori Gate, addrcssing to Jain Sahib in his speech.
25th November, 1959 Gate Meeting	Raised slogans "JAIN SAHIB KI-DHHAKE SHAI NAHAIN CHALEGI. JAIN SAHIB KI GU NDA GARDI NAHAIN CHALEGI".

Shri Kanshi Ram	
26th November, 1959 Shri Subheramanium	The labour can take out precessions any time. The last weapon for the labour is strike and he has this right.
27th November, 1959 Corn. Rachhpal Singh	The Management wishes to make the Mills a Jail for the workers.
27th November, 1959 Shri Kanshi Ram	We must bring Shri Rachhpal Singh inside the Mills at all costs. On 26th November, 1959 the o scorning shift leaving at 2.30.will go to the Main Gate and bring Shri Rachhpal Singh in any case. Jain Sahibhad to submit before tile labour.
30th November, 1959 Common Gathering Mr. Tek Chand	Mistries are not behaving wellwith the workers. There is one Mr. Raghavan Sahib and with him a supervisor named Darshan Singh. Any worker who goes to them for leave they never agree even though the application has been recommended by the Mistry.He warns Sardar Sahib to refresh his brain with the amount of bonus.
30th November, 1959 Shri Rachhpal Singh	The Management wishes thatthe reign of Bacha Saqqa shout d tcontinue but the Union is bent upon

	breaking this region. The management has gota number of white elephants drawing Rs. 1,500 to 2.000 amonth. I will enter the Mills without signatures. Itis all through these officers that the Labour situation has worsened.
4th December, 1959 Gate Meeting Shri Sanwal Ram	Jain Sahib is a religious minded person.He talks very sweetly when he wishes any work to be done. But when the work has been done he hates the people. Such people never favour any body. This Mill has made the highest profit but the labour does not get anything. After 4 years Jain Sahib will not be here and in his place there must be a labourer working.
20th December, 1959 Ga a Meeting Speech by Shri Kanshi Ram	There is one Labour Officer, whose name is Mr. P.D. Mehta. He abuses the new recruit who comes to him after getting the form sighed by the Mill Officers. He is of the view that the Officer who teasesthe workers get promotion. The enquiry aginst Mr. Subhermanium is with him. He threatens Mr. Sublermanium to mills what he says and the results that this enquiry has been entusted to sure other cfficer til have sounded him to be fairy in

	the enquiry.
21st December, 1959 Common fathering 1 Speech by Shri Rachhpal Singh	One or our friends is the Labour °Veer. He quotes CHOR CHORI KARNA CFI HOR DETA HAI MAGAR HERA PHERI NAHAIN CHHORTA.
23rd December , 1959 Gate Meeting	We have fixed 24th December. 1959 as protest day and all the workers should put on black badges on their shoulders and go on work as the Management have not given sufficient time for the election of a Trustee.
28th December 1959 Mixed gathering of Kisans and Mill workers on Mela Ground.	A mixed procession started from Mela Ground towards D.C.'s residence.On the way they carried an effigy and shouting D.C. Murdabad they went on. In the chowk near D.C.'s residence they burnt the effigy and shouted the above slogan.
20th January, 1960 ; Notice Board	Now-a.days in the Delhi Cloth Mills Mr. Pathak has created terror. He is bent upon finishing the Ekta Union but we will stand against him with unity.
8th March, 1960 Gate Meeting	Due to shortage of water the quarters have been cleared off

Speech by Shri Kansh i Ram	from the greenn ess. We shall see that Mr. Jain is in the same state. M/s Goel and Gupta condemn the workers and send them to Mehta Ji, who usually gives them charge-sheets. There is one Mistri Mela Ram in Reeling who puts aperma- nent worker on sweeping sometimes. He should note this drawback.
17th March. 1960 Gate Meeting Speech by Shri Kanshi Ram	Shortage of electricity.Two workers will go **on** hunger strike as a protest for four days. Warm yourselves as we have to begin hard struggle in future.
19th March, 1960 Gate Meeting Speech by Shri Kanshiram.	There has been no charge sheet for sometime past. Now within *2.*0 weeks they have given 7 carge-sheets. SLOGAN. "WHAT WILL HAPPEN ON 21ST—THERE WILL BE HUNGER STRIKE".
26th March, 1050 Gate Meeting Speech by Shri Kanshirarn.	M/s Gupta, Gael, S. Darshan Singh and some other Officers are trying for the chair of L. Shanti Swaroop. There is no comparison of these officers with Shri Shanti Swaroop. He has quoted "KIYA "GUPTA JI KT DHHAKK SHAH! NAHIN CHALEGI, MANAGEMENT KI DHHAKKE SHAHI NAHIN

23rd March,1960 Speech by Shri Rachhpal Singh	Accuses Sardar Sahib in the matter of leave. G.M. always agrees to the punishment awarded by an Officer.
30th April, 1960 Shri Kanshi Ram	The Management havedevised a number of A few officers are not fit for their posts and inexperienced.

Copy of an order, dated 7th March, 1953 passed by Shri V.K. Kaushal, Sub-Judge, 1st Class Hissar in the case noted below:—

Case No.

Date of Institution.

Date of Order.

Village.

Tehsil.

District.

G. No.

The Delhi Cloth and General Mills, Hissar.

versus

The Hissar Textile Warkers Union Hissar.

Present.—Counsel for the Plaintiff.

EX PARTE JUDGEMENT.

The plaintiff has filed this snit for permanent injunction against the defendants to the effect that the members of the

defendant Union may be restrained permanently from trespassing into the mill premises, fixing camps, committing an act of naissance and making noise, etc. that they should be restrained from holding meetings, taking out processions, from going on hurger strikes within the Mills premises and from interfering in the management and business of the plaintiff. The defendants resisted the plaint suit A preliminary issue as regards jurisdiction of the Civil Court to try this case WI; framed by Shri Ramesh Chander Jain, Sub Judge IV Class,Hissar, the then learned trial Judge. The issue was decided in favour of the defendants and the suit was dismissed. The plaintiff filed an appeal against that judgement. The appeal was accepted and the case was remanded for retrial on merits.

2. The counsel for the parties appeared in this court as directed by the Appellate Court. Learned counsel for the defendants stated that he had no instructions to conduct the case on behalf of the defendants. Therefore, expert proceedings were ordered against them.

3. In support of his claim, the plaintiff has examined Sarvshri Bikram Singh, P.W.I., Tara Chand P.W.2. and lqbal Rai PW3. From the evidence on the record plaintiff's claim stands proved ex pane.

4. I, therefore, pass an ex porte decree with costs in favour of plaintiff and against the defendants restraining permanently the defendants Union from trespassing into the Mill premises, fixing camps, committing an act of nuisance by making noise etc , from holding meetings, taking out, pocession and going on hunger strikes within the mill

premises. File be consigned.

Announced.

(Sd.) V.K. KAUSHAL,

Sub-Judge, 1st Class,

Hissar

Dated the 7th March, 1963,

Copy

To

The Labour Commissioner,

Haryana, Chandigarh.

Subject.—Violation of Code of Discipline, agreements and Labour Laws by Hissar Textile Mill.

Sir,

Since 1941, we are continuously writing to your Department about the illegalities being regularly committed by the Management of Hisser Textile Mills, Hissar. out complaint are numberless but all the ti ne the ell dry in this connection is put off by one pretext or the other. We have explained all possibilities and have brought all these facts to the notice of the Union Labour Minister town to the Labour Inspector Bhiwani but all the times our complaints have been filed with certain remarks by the

labour Officers, It is interesting to note that almost all of our

complaints had be intrusted to Sarvshri M.K. Jain and J.D. Mehta who since long are not only hostile against us but are having keen interest in Hissar Textile Mills and in Delhi Cloth Mills, the management had manged to have the n connected with this District through one post of the other and Shri Mehta is here since the last ten years and is not being transferred to any other place.

Now before embarking on any direct action and, as a last report I am againbringing all the facts to your notice for investigation through some high, honest and competent officer of your Department and, necessary action. **I** am sending a spare copy of the complaint sothat you may get early comments from the management and it will facilitate your work.

I hope the workers of Hissar Textile Mills who have constantly been denied justice since December, 1960 will ge t fair deal from you.

Some of the main points of dispute are as under :-

Violation of Codes of Discipline.—Since December, 1960, the management of Hissar Textile Mills, Hissar is continuously violating the Code of Discipline. The main points of which are as under :—

The mill management has increased workload without having discussed with the Union and complying with the conditions laid down in Para No. 100 to 103 of the Textile Wage Boards Report and the recommendations of the fifteenth Indian Labour Conference.

Till December, 1960, the Khata Frame was comprised of 24 machines (48 sides), the staff other than operators at that time to manage the Khata was Mistri—I, Head Mistri-1, Doffers-8, Helpers-4.

As the record of the management show there was hardly an operator who had operated the 4 sides of the Machine before December, 1960. Majority of the Operators used to operate the two sides and one side at that time, average 10 operators had to operate 3 sides of the machine. There was only two double sides in course count.

But the situation is quite different after December, 1960 and specially at present. Now position in a unit (i.e.) the old Mills is as under :-

"Khata 90 Machines (180 sides) in which 18 Machines are used for making course count yarn regarding f rom 4 to 10 c ants and 72 machines for making yarn of medium and fine ranging from 20 to 60. The members of the staff other than operators are Mistri 1, Head Doffer —1 on 18 machines, two on 72 Machines, on 18 machines 8 doffers and on 72 machines 16. The comparison with system prevailing prior to December, 1960 can el early show how the workers are being exploited in these days illegally, and without jurisdiction.

The position of the operator is bad to worst. There is no single slier in course. count at present. The position of the doable sider in medium and flne count is also as of a single sides in course count. Almost all the workers are to mend 3 to 6 sides.

In a Unit a snining machine, have 415 soindling 1st step in course count was Rs 39 and double sider 56 in medium end

fine count double cider 46,3 cider 62.4 sider 78. and 6 sider 110— close scrutiny will show how the management is exploiting the labour of the workers in the shape of salary Dearnec; Allowances leave with wages Provident Fund and other amenities and how they aregradually reducing the number of workers by increasing work load on them.

The condition of work in 'B' Mille is the same. Here the Khata comprised on 72 machine;, with one Mistri, 3 head doffers, 12 helpers and 18 doffers.

The similar and somtimes worst than this is a position in the other department of the Mills. The true and exact position can better be ascertained at the time of the inquiry.

INTERFERENCE IN TRADE UNION ACTIVITIES AND UNFAIR LABOUR PRACTICE

Few examples of interference and unfair Labour practice are as under :-

A. I am corrected with Hissar Textile Mills Wor kers since 19-6. The position at present in this mills is that Trade Union activities are virtually banned after 1960. At present 3 registered Trade Unions are working there. One is affiliated with the I.N.T.U.C. and other two are independent. Two u ions namely Hissar Textile Mills Workers Union and Mazdoor Sangh are for all purposes in the packet of the Mills Management the Textile Mazdoor Fit ha is the cr ly independent union which represent the workers but manegment dislikes the mazdoor Sabha it is not allowed to discharge its duties freely. We are not a Iowed t hold gate meetings on Iobur gate. Wore arc rot allowed to collect subscription at Labour

Cate if we collect subscription at the residential place some watch and ward persons at the instance of the management will follow our workers and the worker who pays subscription to us will be harassed next date in the department. We are not allowed to put up cur notice board in front of the Labour Gate. Whenever we try to held gate meeting the Main Gate the recording on loud-epeaker wilI be started with loud sound and this will make impossible for us to hold gate meeting. If we try to held public meeting workors who attend the meeting will again beIow seed. Nearly 500 workers are living in the P.W.D. Labour Colony adjoin: in ; to the Mills Area. Whenever we go there watch and ward man will follow us and he will be there will we come back front that colony. If we try to contact any body there or talk with any worker. that worker wilI be badly larassed cextdayinthe department. But on the contrary other two unions enjoy full facilities in every respect.

Our office bearers have been charge-sheeted on the ground that they have distributed leaf- ets issued by t**he** Union, whereas the other two unions were allowed to distribute the same dew days before.

Shri Hem Chandra Jain, Gereral Manager, told Shri Balwant Rai Tayal that we used to give charge-sheet on mere writing of the board. We are denied a copy of the agreement dated 4th July, 1967 in spite o: the fact that 3 of our representatives were called at Delhi to negotiate and sign agreement. They were not made party to the settlement. It is convention that signature of General Secretory of a Union is always obtained on the settlement agreement but here I heve not been called ante for signing of the agreement as conduct negotiations.

The office bearers of our Union were taken to Delhi along with the representatives of other two unions and two independent non- union workers who are alway available for signatures. Our work were now hands as far as the Union work is concerned. They are not fully convers nt with English. The agreement which was go signed by them was translated to Mein in detail.

Moreover, only the question of D.A. was under discussion there. But a paragraph in connection with the withdrawal of some demand was typed in the endof the agreement and the signatures of our representative were obtained on that.

This is clearly a unfair labour practice.

In this situation the Union has been forced to decide that in future n3 deputation of our union will got to Delhi unless General Sacretary is called with the deputation for discussion.

I am member of the Municipal Committee, Hissar elected from ward No. 9 having nearly 250 votescomparing of mills and the PWB Labour Colony when only Textile Milli Workers are living. I v as opposed in the Fleet irn by a candidate spanscred and framed by the Mills authorities. I as not allowed in the cantitrency and to contact the Votee.rTh e presswure of the Mill management for their candidate was

so high that not a single voter furred up to my camp for identification chit and in s ite of all I is I get even one thousand votes and won the seat by margin of 324 votes. In spite

only suceess I am not allowed to enter the Mills Labour Colony

and cannot hell my electrates at 11e time of needs. No efface bearers of our Union who is out cider is allowed to visit 1abour Colony where nearly 2000 (Two thousand) workers are living, When so much arbitra y restrictions are imposed on Independent trade Union activities, Iow care can think of running a trade Union property and enrol more members, collect subscription, organize meetings, collect grievances and organise take Union activities properly.

The Management of Hissar Textile Mills, Hi star, has given defeat recognition to Union affiliated with the I.N.T.U.C. vide agreement dated 4th April. 1956, signed in the presence of Conciliation Officer, he was But that Union has no backing of the worker because the office barbers are pup et in the hands of the representative character of that Union is taken than 1 am quite confident that it will not be able to get even 10 per cent vote.

This action of the management is against the provision of the Trade Union Act and also against the spirit of the nanimous form. la of the Indian Labour Conference for recognition.

Since December, 1960 1 ere is a police Chowki inside the Main G to of the Mill. This howki is being used to terror the workers and the presence of the police is not necessary. At least there is no justification for posting the police by the District Authorities inside the Mills area, if this is a regular Chowki it should Le outside the mills area.

We had signed two agreements dated 11th February, 1959 and 5th October, 1960. Through agreement dated 11th February, 1 59 we had evolved a grievance procedure and machinery to

implement it, this procedure a part of the agreement dated 11th February,

1959. This grievance procedure was rectified throu_h agreement dated 21st April, 1961 but it always remain on papers. New in spite of the fact, that this griev 'nee procedure is inforced they have evolved anther procedure for settlement of disputes, which is incorporated in agreement dated 21st April, 1961 at page 3. Through this agreement they have changed the process of Industrial Disputes Act and in place of the bil t hat discussion with the Union they have formed a screening committee of which the General Manager is to preside. Whole scheme of this screening committee is a hoax and it has taken the place of Industrial Disputes Act.

And now through agreement dated 4th April, 1966 screening committee formula which is on page 2 is further modified against the interests of the workers.

In the grievances procedure referred above it is mentioned that :

"Complaints affecting one or more individual workers in respect of their wage payments, over-time, leave, transfer, promotion, seniority work assignment, working condition and interpretation of service agreements would constitute grievances.

Complaints of general nature of considerable magnitude will not be considered through this machinery, but will be taken up directly by the Union with the management."

But at present as it is mentioned in the agreements dated 21st

April, 1961 and 4th April, 1966 Union and workers have to place all the matter before the screening committee first and after the decision of the screening committee before arbitrator and after that the conciliation machinery can be moved. By this process the management can calmly throw all the complaints in the waste paper bask(t aid individual worker can be forced to go out of the mills. Moreover, the reports of the screening committee which are taking the shape of agreement cannot legally be regarded as a legal document like the agreement and mutual settlement.

Till December, 1960 there was no restriction on Gate meeting, public meeting in the Labour Colony and also entry in the Labour Colony but through agreement dated 21st April, 1961 and 4th April,1966 which were signed by their puppets unions and some individuals, the Gate meetings, public meetings and the entry of the Union officials is banned. The relevant para in agreement dated 21st April, 1961 is at page 7 and in agreement dated 4th April, 1966 at page 3. This is a clear interference in our Trade Union Activities.

According to para 8 of the agreement dated 5th October, 1960 every aggrieved work-man had a right to send his disputes for adjudication by mut al consent. The relevant para of the agreement dated 5th October, 1960 which is on page 3 is as under:—

Page 3 in consideration of what is contained herein above, it is agreed that in case of any i dividual's dispute, if the worker feels dissatisfied with the decision of the General Manager the

dispute will be referred to adjudication by mutual consent.

But this agreement is not honoured by the management at all.

It is not k town how the management has got legal right to get demand notice on the demands which had been settled previously and an agreement is enforced in this connection. This is a very se ions matter. But as it is evident that independent Unions are not allowed to function everything can happen. There are pi poet unions and over and above there are officials of the Labo r Department and District officials who are always ready to assist the Million.. ire Industrialist against poor, helpless and terrorised workers.

NON-IMPLEMENTATION OF AGREEMENT

In this connection I would like to refer my letter No. 261164, dated 28th December, 1:64 which contained full details and is self explanatory.

Our Union is not being given representative on the screening committee we have raised some demands, through our letter dated 25th April, 1967, this letter was placed before the screening committee. But our representatives were not called, the representatives of the Management and their two puppet Unions were present in the so-called screening committee. They had discussed the demands raised by the workers through our Union and the same were unanimously rejected, without discussing with us. You will not find the proceedings of the screening committee which can be obtained from Conciliation Officer, Bhiwani. This unfair Labour practice has been approved by Shri Mehta, Conciliation Officer, Bhiwani.

Since the formation of this Union we have written many complaints to managements but they are not giving us any reply.

Works committee selections are due in the next month, and we fear that the management like t A year 1457 .will reject t to nomination of the candidates supported by us this time also. If you department fail to arrange free elections of the workers committee, this committee will also become tools in the hands of the management.

In view of the facts mentioned above I request that all the points connected with violation of Code of Discipline, agreements settlements and unfair labour practices may kindly be got inquired through a senior officer of the Labour Department, as early as possible.

The Management of Hissar Textile Mills, Hissar may kindly be directed not to place any hindrance in our trade Union activities and our entry in the Mills Labour Colony.

Full enquiry be kindly made in the cases of increase in work load on the workers and effected workers be got compensated by the mills management and thereafter the management ,t may be prosecuted.

It is further requested that system " secret ballot be enforced as soon as possible for determining representative character of the three unions working in Hissar Textile Mills, Hissar.

If you want some clarification on any point through discussion I will be ready to come to Chandigarh.

In the end I want to make it clear that we have seen the

illegalities and have experienced barbaric ate trade of the mills management, we also have a bitter experience of friendship between Shri Hem Chandra Jain and Shri Bhagwat Dayal . In those days I was denied my legal right of bail even you know everything personally.

But now the situation is changed to some extent and I am sure labour department will not force us to embark on long and bitter struggle.

An early action this letter is requested.

With regards.

Yours faithfully,

(Sd.) BACHHPAL SINGH ,

General Secretary.

Dated 19th August, 1967.

Copies forwarded for information and necessary action to :-

1. Minister for Labour Government of Haryana, Chandigarh.

2. Shri R.L. Mehta, Commissioner, Public Grievances, Ministry of Home Affairs, Government of India.

3. General Secretary, All-India Trade Union Congress, Rani Jhansi Road, New Delhi.

THE HISSAR TEXTILE MILLS, HISSAR

H/59A Dear Sir,

We enclose herewith a copy of the judgement dated 28th October, 1963, passed by Shri Hari Chand Gupta, Magistrate 1st Class, Hissar, in the criminal case instituted by Shri Rachhpal Singh and others against M/s. I.R. Narang and I.K. Dewan, Executive Officers and four Watch and Ward personnel of Hissar Textile Mills, Hissar. Under Sections 341 and 143 I.P.C. Shri Rachhpal Singh in his complaint alleged that the management of the Mills had posted its Watch and Ward Staff on the main entrance gate of the Mills premises, so as to restrain the strangers from having free access to the Mill Area. But the laborers residing in the colony and their friends are allowed entry without restriction and that the complainant wanted to enter into the Mill to meet his friends but was wrongfully restrained from doing so by the accused persons named above. In this case it was established that the purpose of entry of Shri Rachhpal Singh and others was not lawful one and as such the Mill management rightly restrained their entry.

The learned Magistrate relied on the Punjab High Court Judgment report—vide 1963 PLR 571, wherein it has been held that the employers of labour can restrain the entry of people in their premises of the persons who want to make demonstration in the factory premises. This does not at all amount to infringement of fundamental rights since nobody has a fundamental right to make any demonstration of any kind on private property.

The copy of the above Judgement is enclosed.

Yours faithfully,

(Sd.) ,

General Manager.

End : As above

Copy of order dated 28th October, 1963 passed by Shri Hari Chand Gupta, M.A., P. C.S., Magistrate 1st Class, Hissar in the case noted below : -

Case No.

Institution

Decision

Village

Tehsil

District

G. No.

IN THE COURT OF SHRI HARI CHAND GUPTA, M.A., P.C.S.,

MAGISTRATE 1ST CLASS, HISSAR

STATE

Versus

(1) Iqbal Krishan Dewan, son of Dewan Uttam Chand, aged 59 years, Retired Mills worker, present at Delhi.

(2) Iqbal Rai Narang, son of Dina Nath Narang aged 47 years, Executive Officer, Hissar Textile Mills, Hissar.

(3) Ram Chand, son of Devki Nandan Sharma, aged 41 years, Watch and Ward Jamadar, Hissar Textile Mills, Hissar.

(4) Har Lal, son of Lekh Ram, aged 40 years, Watch and Ward, Hissar Textile Mills, Hissar.

(5) Mahta Ram, son of Jhabar Ram, aged 35 years, Watch and Ward, Hissar Textile Mills, Hissar.

(6) Pratap Singh, son of Bhala Ram , aged 43 years, Watch and Ward, Hissar Textile Mills, Hissar.

Under sections 341 and 143 I.F.C.

JUDGEMENT

Richhpal Singh, General Secretary, Hissar Textile Mazdoor Akta Union, Hissar filed the complaint in the court of Kanwar Hari Singh, the then Ilaqa Magistrate, Hissar against all the above mentioned persons namely Iqbal Krishan Diwan, Iqbal Rai Narang, Ram Chand, Har Lal, Mahala Ram and Partap Singh, u/s 341 and 143 I.P.C. on 16th May, 1962. In his complaint the complainant alleged that there are above 500 quartets constructed for the residence of the labourers inside the Textile Mills, Hissar. The labourers reside in them with their families. The friends and relatives of the labourers have free entry to these quarters and they also join the marriage parties and other celebrations of the labourers. It was further alleged in the complaint that the Management of the Mills has posted its Watch and Ward Staff on the Main Entrance Gate of the Mills premises, so that the strangers may not have free access to the mill and create disturbance but there was

restriction on the entry to the quarters of the labourers, by the friends of the labourers. It was further complained by the complainant that the Jaswant Singh, Sultan Singh and Ram Hazoor and R.V.S. Mani had friendly relations with Satdev Sharma worker Hissar Textile Mills who was residing in quarter No. 36-A of the Mill Colony. On 17th December, 1961 Satdev Sharma was to celebrate the birth day ceremony of his son and for this purpose he had invited his friends to join the celebrations. Satdev Sharma was alleged to have talked about it to the Mills Management but the Management had not given any satisfactory answer. Satdev Sharma was alleged to have informed D.C., S.P. and General Manager, Hissar Textile Mills about the ceremony and the entry of his friends to his quarter. The complainant also received this information from Satdev Sharma and he also intimated S.P. there was an apprehension of breach of the peace if the management obstructed them from going to the quarter of Satdev Sharma.

Thereafter Jaswant Singh, Sultan Singh, Ram Hazoor and R.V.S. Mani along with the complainant reached the outer Gate of the mills at about 9-45 A.M. on 17th December, 1961. At that time Iqbal Singh, Security Officer, Iqbal Rai Narang, Executive Officer, Ram Chand, Har Lal, Bali Ram and Partap Singh all the six accusal had also come there on behalf of the Management. After some time Satdev Sharma also arrived there. It was further alleged that when the complainant and his companions wanted to enter the Mill through the gate the six accused obstructed them from going to the house of Satdev Sharma to which place they had a right to go. At that time soma police constables were also present. Richhpal Singh lodged a report in the P.S. Sadar Hissar on the sameday on

17th December, 1961 to this effect. When the police did not take any action the complainant lodged the complaint in the Court on 16th May, 1 962.

2. The complaint was ultimately transferred to the court of Shri Ramdev, P.C.S. who after recording the preliminary evidence, summoned the accused u/s 341 read with section 143 I.P.C. on 11th June, 1962. On the transfer of Shri Ramdev from this district the complaint was transferred to Shri A.N. Bhoil the then A.D.M., Hissar and on the transfer of Shri A.N. Bhoil from this District this was transferred to my file—vide order of District Magistrate. The complainant examined himself, Shri Raghbir Chander the then Moharrir H.C., P.S. Sadar Hissar. Shri R.V.S. Mani, Partap Singh enquiry clerk S.P. Office, Hissar and Jaswant Singh in support of his allegations. Sultan Singh was tendered for cross-examination. The complainant could not produce Satdev Sharma in the court and hence the case was closed vide the order dated 22nd April, 1963 of Shri A.N. Bhoil. The complainant Richhpal Singh P.W. 1, R.V.S. Mani, P.W. 3, Jaswant Singh, P.W. 4 have repeated the allegations mentioned in the complaint.

3. Shri Raghbir Chand the then M.H.C.P.C. Sadar Hissar P.W. 2 has deposed that Richhpal Singh had lodged a report in the P.C. Sadar, Hissar on 17th December, 1961 at 12 noon which was signed by him. Ex. P.A. is the correct carbon copy of that report on the file. P.W. 4 Partap Singh, Enquiry Clerk, S.P. Office, Hissar produced t wo applications dated 11th December, 1961 and 13th December, 1961 from Satdev Shar ma and Richhpal Singh respectively in court. However,

when he was asked whether he had brought an invitation card from Satdev Sharma sent by Shri Richhpal Singh, to Ms office he had stated that no such invitation card was received in the S.P. office.

4. All the 6 accused were examined u/s 342 Cr. P.C. but they denied the prosecution allegations. Accused Partap Singh, I. Iqbal Krishan and Iqbal Rai Narang stated that they were not present at the gate and the P.Ws were deposing falsely beca se they were the ex-workers of the Mills who had been dismissed from there. All the other three accused stated that the P.Ws mentioned were not accompanying Richhpal Singh and that in fact 5/7 other persons were coming along with Richhpal Singh who were armed with lathis and handas and were raising slogans and wanted to forcibly enter the Mills area. They further stated that there was police post posted by the District Authorities in the N ills area in those days and that Mr. Ghai P.S.T. was on special duty at that time and had talked to Richhpal Singh and his party whereupon the party left the p ace. They further stated that the P.W.s had been turned out previously from the Millsand in order to support a false case brought by Richhpal Singh they were giving false evidence to harass the Management of the Mills. The accused also produced R.S. Ghai and Karori Lal P.Ws in their defence. R.S. Ghai stated that he had been the P.S.I., since September, 1959 till June, 1962 when Mehta Chhabil Das was the S.P. at Hissar. In December 1961 S.P. Chhabil Das directed him on one day to get to the meals as he had the information that Comrade Richhpal Singh would forcibly enter the Mills along with others. On that particular date he reached the Mills Gate at abo t 9. A.M.

Mohan Lal A.S.L along with some other constables were posted there at the expense of the mill Management and they were present at the outer gate when R.S. Ghai reached there. He waited in the room adjoining the outer gate for the arrival of Comrade Richhpal Singh. At about 9-30 A.M. Richhpal Singh arrived along with 5/6 other people. They hal also son e flags with them and were also raising slogans for the cause of we labourers. R.S. Ghai D.W. I stopped Richhpal Singh and asked him not to do anything that may cause breach of the peace and after a minute or so the party of Richhpal Singh left the place. No other publicman was present at that time. Ram Chand along with two security men were present. Mr. Iqbal Rai Narang and Partap Singh accused were not present there. Iqbal Krishan accused was also not present there.

D.W. 2 Karori Lal brought the register of attendance of Officer and stated that 1. R. Narang who was posted as Executive Officer in those days was on weekly off on 17th December, 1961. This entry was entered in the register which he had brought with him. The copy of the entry in the register Ex..D. A.

5. I also went carefully through the record and heard the counsel for the complainant and the accused. The main case of the complainant is that he along with his companions wanted to enter the Mills area to attend the birthday celebrations of the son of Shri Satdev Sharma at his house and that he apprehending wrongful restraint from the accused, had intimated the S. P. to that effect. Now the prosecution case poses two important questions. Firstly whether on 7th December, 1962 there was anything as such as

the birthday celebrations of the son of Shri Satdev Sharma or that the complainant and his companions had some other object in view, i. e. to create disorder among the mills workers , and to disturb the peace of the Mill. Secondly whether these persons had any right to enter the mills area or that the Management could restrain their entry particularly when these persons had acted in an undesirable manner on previous occasions and were suspected by the Mills Management to have come for agitating the labourers. In this connection I would refer to the admission made by Shri Richhpal Singh in his statement that on 6th December, 1961 he along with Jaswant Singh and R. V. S. Math P.Ws were sentenced under section 148, 149 and 157 I. P. C. by Shri Hari Parkash, A. D. M. to 3 months R. I. Shri Richhpal Singh also admitted that the allegations in that case were that one Mr. Sagar Ram Gupta, Secretary of the I. N. T. U. C. came to address a meeting in the Textile Mill and that he Richhpal Singh instigated certain workers of the mills who onhis instigation caused injuries to other workers of the mill. He further admitted that Ram Hazoor one of the P. Ws cited in the list of the witnesses, was convicted by Shri A. N. Bhoil to 3 months R. I. Similarly we find that Shri R. V. S. Mani and Jaswant Singh P. W.s have admitted that they were convicted in the same case and the allegations were the same as mentioned above. It is further admitted by all the three D. Ws that their entry in the mill area had been stopped after the said case. Further more Shri R. V. S. Mani and Jaswant Singh who were previously the employees of the mill were turned out by the Mill Management after they had been convicted in that case. If this is the previous background of the complainant and his companions, what can be the good faith of these persons in

going to enter the mills area. The main fact for consideration is whether the birthday celebrations of the son of Shri Satdev Sharma was a hoax or a fact Shri Satdev Sharma has not been produced in this case although many adjournments were given by Shri A. N. Bhoil to this effect. Since his presence could not be secured the case of the prosecution was closed by Shri A. N. Bhoil vide his order dated 22nd April, 1963. As such it can be easily deduced that Shri Satdev Sharma did not want to come for- ward in the witness box pnd face the enquiry about the birthday celebrations of his son. If there would have been any birthday Shri Satdev Sharma would have definitely come forward and deposed to this effect. He find from the statement of Shri Richhpal Singh that he had sent a copy of invitation by Shri Satdev Sharma regarding the birthday celebrations, on 17th December, 1961 to the S. P., Hissar. From the perusal of the statement of Shri Partap Singh, Enquiry Clerk of S. P.,'s office, Hissar we find that no such copy was ever received in the office of the S. P. When we go through the evidence of Shri R. V. S. Mani and Jaswant Singh P. Ws we find that they denied if there was any birthday celebrations on that day. If there was no birth day on that day then obviously it is clear that Shri Richhpal Singh and his comp anions wanted to enter the Mills area not in good-faith, but to hold demonstrations and create agitation in the mills area. Shri Richhpal Singh complainant has also admitted in his cross-examination that he had distributed handbills for informing the labourers about the scheduled meeting to be held on 17th December, 1961 (the day of the alleged occurrence). That meeting could not be held because he could not get the permission for using the loud-speaker. These things got to show that the complainant wanted to hold the meeting in the

mills area and the police officials stood in his way and he could achieve his object. This is another indicator that the purpose of the entry was not lawful. This contention of he accused also finds corroboration from the statement of D. W. Mr. Ghai who clearly stated that the complainent along with 5/6 other people had come raising slogans for the cause of the labourers and that some flags were also with them. Considering these circumstances I am of the firm view that the purpose of the entry of the complainant and his party was not lawful, and that the birthday celebrations of the son of Shri Satdev Sharma , was a hoax. I am also of the opinion that the complainant and his party wanted to enter the mills premises to create disorder amongst the mill workers. The counsel for the complainant had put great emphasis on the fact that the complainant has given a previous intimation to the S. P. about his proposed entry in the Mills area and about his apprehension of the wrongful restraint by the Mills Management. The counsel for the complainant argued that if the complainant party had not a peaceful object to enter and wanted to enter into the Mills area forcibly, they would not have informed the head of the police and created obstacles in their way. This contention of the learned counsel for the complainant is frivolous and I reject it. It is admitted by the complainant that there were some police officials posted at the entrance Gate of the Mills at the cost of the Mill Management. In these circumstances the complainant could not have secured a forcible entry into the Mills premises. It has been clearly established on the basis of my above discussion that the complainant and his party did not want an entry into the mills area for a peaceful object. It is just probable that the complainant might have sent a letter

to S. P. of his intention to enter the Mills area just to create evidence in his favour in the case which he might have contemplated to file in the Court. However, the mere fact that the complainant sent intimation to the S. P. about the peaceful object of his intended visit to the house of Shri Satdev Sharma to join the birthday celebrations of his son, is not sufficient to establish that the complainant and his companions wanted to secure an entry for a peaceful object. Moreover, there are many circumstances which have been discussed above, which indicate that the purpose was an unlawful one.

6. Now regarding the right to enter the mills area we find from the statement of Shri Richhpal Singh complainant that the mills area is enclosed by a barbed fencing, There is only one entrance for the entire mills area which is guarded by the Watch and Ward Staff of the mills. Incoming and out-going people are checked and register is kept at the Gate in which the signatures are obtained from those who either come to visit the workers or the factory, other than the workers or their family members. In this way there is a check on the entry of outsiders. The statement of Shri R.V.S. Mani would show that the people could enter the mills area with the permission of the Mills Management and that they can restrain entry of the persons whom they think that they are not desirable. The main question for determination in this case is whether the complainant and his companions had any right to enter the mills area. If the complainant has not been able to establish his right to enter the mills area he has failed to prove the charges against the accused. It would be open to the Mills Management for the

safety of their factory or the workers that undesirable persons do not enter the mills compound.

7. The case of the accused is that Shri Iqbal Krishan, Shri Partap Singh and Shri Iqbal Rai Narang were not present at the time when Shri Richhpal Singh and his companion who were not the persons who are P.Ws in case came to enter the mills area, whereas Shri Ram Chand, Har Lal and Mahla Ram stated that they were present at that time when Shri Richhpal Singh along with 7/8 persons came armed with banners and lathis and shouting slogans in front of the Gate and before the police officials who were present at the Gate and who told them not to make an entry into the mills as their entry was prohibited by the Mills Management. It was on this that Shri Richhpal Singh and his companions went back. The P.Ws have admitted that the police officials were present at that time and that there was already a police post in the mills area in those days. Mr. Ghai D.W.I. had also supported this contention of the accused. In those days he was a security officer and was directed by the S,P. to see that there was no breach of the peace on that date in the mills area, as he had received an intelligence in this connection that Shri Richhpal Singh and others would make a forcible entry in the mills. There is no reason why the statement of this respectable person should not be believed. The statement of R.V.S. Mani P.W. that Shri Iqbal Rai Narang and Partap Singh did not at all obstruct their entry and that came late is in direct contradiction to the statements of other P. Ws. Besides this the statement of Mr. Ghai D. W fully supports the statement of Shri Ram Chand, Shri Har Lal and Mahla am accused. In these circumstances when it is proved that the purpose of the

entry of Shri Richhpal Singh was not lawful one, then rightly the mill management could restrain their entry. In this connection my attention was drawn to 1963 PLR 571 where Article 19(1) (b) of the Constitution has been amply discussed and it has been held that the employers of labour can restrain the entry of people on their premises of the persons who want to make demonstration in the factory premises. This fact is not at all an lifringement of fundamental riagts since nobody has a fundamental right to make any 'demonstration of any kind on private property.

8. In view of above discussion I hold that the prosecution has not been able to establish the case against the accused beyond reasonable doubt. Accordingly I. acquit the accused.

Announced.

Sd.). . .

Magistrate 1st Class,

The 28th October, 1963. Hissar.

(Seal of Court)

Regarding allegations on page 4.— (1) Regarding gate meetings :—It is regulated by permission as per agreement dated 4th April, 1966, and the Standing Order 33 (16).

(2) We deny any interference in collection of union subscription by the unions.

(3) The putting up of notice board. in front of labour gate is also as per agreement dated 4th April, 1966,

between the management and the Union.

(4) It is false to allege that we start recording with loud sound on the loudspeaker when Shri Richhpal Singh or others try to hold gate meetings at the Main Gate. In fact, devotional and national music is played at shift change only.

(5) It is absolutely false to allege that we interfere in their activities in the P. W. D. Workers Colony or in any public meetings.

Page 6.

Regarding police chowki inside the main gate.—There is no police chowki inside the main gate of the Mill. It is false and mischievious to allege that workers are being terrorised. The police constables are requisitioned on payment for safety and security of mill premises.

Representation on screening committee.— Only. to the parties who have entered collective bargaining agreement dated 4th April, 1966.

Representation from the Textile Maziloor Sabha. Hissar

107. Shri Balwant Rai Tayal : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the number of representations, received by the Labour Officer, Bhiwani, from the Textile Mazdoor Sabha, Hissar against the management of Hissar Textile Mills during the period. from 22nd April, 1967 to 30th June, 1968 ;

(b) whether any enquiry was held into the charges

levelled in the above-mentioned representations ; if so, the details of the report submitted by the said Labour Officer and also of the action ; if any, taken thereon ?

बन्सी लाल : (ए) चार ।

(बी) श्रम तथा सुलह अधिकारी भिवानी द्वारा जांच की गई थी, प्रबन्धकों ने सब लाछनो को अस्वीकार किया था । टैक्सटाइल मजदूर सभा, हिसार भी उन लाछनो को ठीक सिद्ध नहीं कर सकी । श्रम तथा सुलह अधिकारी, भिवानी ने प्रबन्धक पर कर्मचारियों की ट्रेड यूनियन गतिबिधियों में हस्तक्षेप न करने के लिए जोर दिया था ।

Representation by Hissar Textile Mills Workers

108. Shri Balwant Rai Tayal : Will the Chief .Minister be pleased to state—

(a) whether any representation dated 28th December, 1964 was received by the Labour Commissioner from the Hissar Textile Mills Workers Union against the management of the Hissar Textile Mills regarding the violation of the terms of agreement ; if so, the action taken thereon ;

(b) a copy of the said representation be laid on the Table of the House ?

श्री बन्सी लाल : प्रश्न का सम्बन्ध हरियाणा राज्य की स्थापना के पूर्व काल से है अतः हरियाणा सरकार के पास आवश्यक सूचना उपलब्ध नहीं है ।

Merger of Textile Mazdoor Ekta Union with Hissar Mazdoor Sangh

109. Shri Balwant Rai Tayal : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether any office bearer of the Textile Mazdoor Ekta Union submitted any application to the Government on 14th March, 1966 for merging the Ekta Union with the Hissar Mazdoor Sangh, if so, a copy thereof be laid on the Table of the House ;

(b) whether any enquiry was held in connection with the said application ; if so, a copy of the enquiry report be laid on the Table of the House ;

(c) whether it is a fact that the workers submitted a representation to the Government and also the Secretary of the Ekta Union wrote to the Registrar, Trade Union, on 22nd November, 1966, against the said merger ;

(d) if reply to part (c) above be in the affirmative, whether any enquiry was held in connection therewith ; if so, a copy of the enquiry report be laid on the Table of the House.

श्री बन्सी लाल : (ए) हां । प्रर्थाना–पत्र की प्रति सदन की मेज पर प्रस्तुत है

(बी) हां । जांच पत्रो की प्रतियां सदन की मेज पर प्रस्तुत हैं ।

(सी) हां ।

(डी) हां । जांच पत्रों की प्रतियां सदन की मेज पर प्रस्तुत है' ।

REGD. AID

Dated 14th March, 1966.

The Registrar,

Trade Unions, Punjab, Chandigarh.

Subject.—Notice of Amalgamation under section 25 of the Trade Union Act of 1926. Dear Sir,

The undersigned members and office bearers including the Secretaries of (i) Hissar Textile Mills Mazdoor Akta Union, Registration No. 7 and (ii) Hissar Textile Mazdoor Sangh, Registration No. 53 hereby give notice of amalgamation of the above-named two unions into one in accordance with the provisions of section 25 of the Trade Union Act, 1926. The amalgamated Unions hereinafter will be known as Hissar Textile Mazdoor Sangh bearing the Registration No. 53.

The procedure laid down under section 24 of the Trade Union Act, 1926 has fully been complied with by both the Unions in ascertaining the views of the members of the respective Unions.

Necessary action may kindly be taken to incorporate the above change in the records of the both the Unions.

Signatures of the Secretary and seven members

Yours faithfully,

Hissar Textile Mills Mazdoor Akta Union

Hissar Textile Mazdoor Sangh

(1) (Sd.) Shri Mani Ram (1) (Sd.) Baij Nath

(2) Sd.) Shri Satinder Kumar (2) (Sd.) Ram Pal Singh

(3) (Sd.) Shri Brij Lal (3) (Sd. Sukar Rai

(4) (Sd.) Shri Shiv Darshan (4) (Sd.) Giani Ram

(5) (Sd.) Shri Jaswant Singh (5) (Sd.) Dasrak Parshad

(6) (Sd.) Shri Sadhoo Ram (6) (Sd.) Sawal Ram Goel

(7) (Sd,) Shri Sat Narain (7) (Sd.) Narindra Kumar

(8) (Sd.) Shri Raghu Nath (8) (Sd.) Leela Singh

(9) (Sd.) Sagar Ram Gupta, M.L.A., Gen. Secy.

From

The Labour-cum-Conciliation Officer,

Bhiwani.

To

The Labour Commissioner and

Registrar, Trade Unions,

Haryana, Chandigarh.

No. 8784, dated Bhiwani, the 5th December, 1966.

Subject.—Notice of amalgamation under section 25 of the Trade Union Act, 1926.

Sir,

Kindly refer to your office correspondence resting with letter No. TU/12/10302923, dated 24th November, 1966, on the subject noted above.

I have the honour to state that the provisions of Trade Union Act have been complied with and the amalgamation has been found in order. In this connection 1 may submit that the facts of the case are within my knowledge and the allegations about the faked signatures are incorrect. Shri Mani Ram himself put the signature in the representation. Thus there does not appear any substance in the complaint made subsequently.

As regards complaint about the non-implementation of the agreements/compliance of the provisions of the Factories Act by the management of Hissar Textile Mills, Hissar, it may be submitted here that the complaints have been preferred in the past and the enquiries made into these complaints by the field staff did not substantiate any such allegations. I hese complaints have generally been made with a view to disrupt the peaceful industrial relation and regain power lost by the trade union organisation having association with communist party. The documents received vide correspondence referred to above are returned herewith as desired.

Yours faithfully,

(Sd.) . . . ,

Labour Officer-cum -Conciliation Officer

Bhiwani.

From

The Labour Officer-cum-Conciliation

Officer, Bhiwani.

To

The Labour Commissioner and

Director of Employment, Haryana,

240, Sector 16, Chandigarh.

No. 455, dated Bhiwani, the 24th January, 1967.

Subject.—Notice of Amalgamation under section 25 of the Trade Union Act, 1926.

Sir,

Kindly refer to your office letter No. 1500, dated 16th January, 1967 on the subject noted above.

I have the honour to state that the undersigned had the knowledge of the facts as the office bearers of the Unions concerned approached me for the purpose after the execution of settlements in regard to the Industrial Disputes pending with me as Conciliation Officer. The office bearers of the Unions were alive to the ills of multiplicity of Unions and had strong feelings to eliminate such handle in the hands of the

Managment. The said Union officers showed me the resolution signed by all the officers of the Union including that of Shri Sagar Ram Gupta, General Secretary, Hissar Textile Mazdoor Sangh, Hissar and were accordingly advised to forward the same to the Registrar, Trade Unions, Punjab, Chandigarh. The records produced by Hissar Mazdoor Sangh, Hissar and the proceeding recorded therein did lead to the conclusion about the genuing amalgamation of the Unions.

A copy of the photograph taken on this occasion showing the meetings addressed by Shri Satinder Kumar, the then General Secretary of Textile Mazdoor Ekta Union, Hissar and Shri Mani Ram President of the said Union is enclosed for ready reference. The latest letter received in this office in this behalf from Shri Ved Ram, son of Shri Devi Ram would also testify that the Unions had been amalgamated and the otherwise claim made by any person in this behalf is not based on fact. Copy of the said letter is enclosed.

A copy of the resolution is forwarded herewith, Shri Mani Ram has submitted a statement conforming the amalgamation of the Unions, which is enclosed in original.

Yours faithfully,

(Sd.)

Labour Officer-cum-Conciliation Officer,

Bhiwani

Resolution against the Hissar Mills

110. Shri Balwant Rai Tayal : Will the Chief Minister be

pleased to state—

(a) the number of resolutions received by the Labour Department from the Hissar Textile Mills Workers Union„ The Textile Mizdoor Eka Union and the Textile Mazdoor Sabha separately, against the management of the Hissar Mills during the period from 1964 to 15th July, 1968 together with the action, if any, taken thereon by the Labour Department ;

(b) a copy each of the said resolution be laid on the Table of the House ?

श्री बन्सी लाल : (ए) हिसार टैक्सटाइल मिल्ज मजदूर एकता युनियन की ओर से हिसार टैक्सटाईल मिल्ज हिसार के प्रबन्धकों के विरुद्ध दो । प्रस्ताव दिनांक 9—10—66 और 7— 11—66 प्राप्त हुए थे । श्रम विभाग द्वारा की गई जांच में उन प्रस्तावों में लगाए गए लाछनो में से कोई भी ठीक सिद्ध नहीं किया जा सका।

(बी) प्रस्तावों की प्रतियां सदन की मेज पर प्रस्तुत हूं ।

Workers Units.

Hissar Textile Mazdoor Ekta
Khazanchian,
Hissar

Ref. No. 364/66 Dated 9-10-66

तारीख 8–6–66 को हिसार टैक्सटाइल मिल मजदूर यूनियन का जलसा श्री मनी राम की प्रधानता में हुआ जिसमें निम्नलिखित प्रस्ताव पास किये गये : –

1960 से मिल मैनेजमैट ने गैर–कानूनी और नाजायज तौर पर ट्रेड यूनियन पाबन्दी लगा रखी है और वर्करों को ट्रेड यूनियन अधिकारों से वंचित कर रखा है । जो जब कि वर्करो में खुफिया वोटिंग के द्वारा का रिछपाल सिंह को अपने हल्के से नगर पालिका का सदस्य चुन लिया । उनको मिलने भी नहीं दिया जाता है । मैनेजमैट की हठ धर्मी के कारण वर्कर अपनी वैधानिक अधिकारों के लिये आवाज बुलन्द करता है तो मैनेजमैटं के दलाल, मिस्त्री और सुपरवाईजर खाते के अन्दर वर्करों को नाजायज तंग और परेशान करते हैं । मैनैजमैटं जिले के अधिकारियों से मिल कर वर्करों पर अत्याचार कर रहा है ।

आज का जलसा पंजाब सरकार से मांग करता है कि वर्करों को ट्रेड यूनियन अधिकार दिये जायें और का रिछपाल सिंह उस हल्के के मैम्बर उनको अपने वोटरों से मिलने दिया जाये । हिसार टैक्सटाइल मिल का मैनेजमैट लगातार कानून और समझोते की खिलाफ वर्जी कर रहा है । समझोते के अनुसार मिल के अन्दर 856 वर्कर परमानैट नही कर रखे हैं और बदली वालों को एक समान से काम नहीं दिया जाता है सातों के अन्दर मिस्त्री मास्टरों का रवैया गन्दा है इस के बारे में यूनियन ने काफी शिकायतें भेजी

है' । परन्तु लेबर विभाग के अधिकारियों ने कोई ध्यान नहीं दिया ।

आज का यह जलसा पंजाव सरकार के लेबर विभाग से मांग करता है कि कानन और समझौते पर अमल करवाये और यूनियन ने जो शिकायतें भेजी हैं उन की छान– बीन करके मैनेजमैटं के खिलाफ कानूनी कारवाई करे ।

जिन्दल पाईप फैक्ट्री के मालिक फैक्ट्री एक्ट और रूल्ज और कोड आफ डिसिपीलन की खिलाफ वर्जी कर रही है और वर्करों को केज्यूल लीव और त्यौहारी छुट्टियां नही देते । अगर कोई वर्कर अपने अधिकार के लिये आवाज उठाता है तो उस के साथ मार–पीट करते है' ।

आज का जलसा पंजाब के लेबर विभाग से मांग करता है वह जिन्दल पाईप फैक्ट्री के मालिकों से फैक्ट्री एक्ट और कोड आफ डिसिपीलन पर अमत करवाये अ और वर्करों को केज्यूल त्यौहारी छुट्टियां दिलवाये ।

नगरपालिका हिसार ने अपने कुछ कर्मचारियों को केज्यूल और त्यौहारी छुट्टियां नहीं दे रखी हैं । और न ही कर्मचारियों को पिछले चार महीनों का पैसा दिया है । इसके साथ वर्करों की कुछ और भी मांगें हैं । जो कि कानूनी हैं नगरपालिका के अधि– कारियों का कानून पर पालन न करना न्याय से उलट है ।

आज का जलसा मांग करता है कि नगर पालिका अपने कर्मचारियों की उचित मांगे जल्दी से जल्दी माने और उन चार महीने का पैसा दे ।

फगवाडा जगतजीत काटन मिल के वर्करों ने अपनी जायज मांगों के लिये मैनेजमैटं के सामने भूख हड़ताल कर रखी थी । टाइम बम फटने से दो भूख हडतालीयो की मौत हो गई और लगभग 10 के करीब जखमी हो गये यह कांड मैनेजमैट की साजिस से हुआ है ।

आज का जलसा इस कांड का पुरजोर शब्दों में खंडन करता है साथ ही पंजाब सरकार से मांग करता है कि वहां के मैनेजर श्री सहगल को गिरफ्तार किया जाय इस तमाम कांड की जांच करवाई जाये ।

लेबर इन्सपैक्टर, भिवानी

डिप्टी कमीशनर, हिसार, आपका

लेबर कमीशनर, चंडीगढ, प्रधान

श्री गवर्नर चंडीगढ ।

COPY

Phone 149,103

HISSAR TEXTILE MILLS MAZDOOR AKTA UNION

Regd. No. 7 Bazar Khazanchian,

Ref. No. HISSAR.

Dated the 7th November, 1966.

तारीख 6–11–66 को हिसार टैक्सटाईल मिल मजदूर एकता का एक आम इजलास श्री मनीराम की प्रधानता में हुआ, जिसमें निम्नलिखित प्रस्ताव पास हुए :–

(1) गत ह साल से मिल अधिकारियों ने ट्रेड यूनियन कामों पर मिल में गैर–कानूनी पाबन्दियां लगा रखी हैं और जब भी कोई वरकर इन पाबंदियों के खिलाफ आवाज बूलन्द करता है, उसे मिल से निकाल दिया जाता है । इन तमाम बन्दिशों के बाबजूद बाहर के गेट पर गेट मिटिंग की जाती है, तो उसको खराब करने के लिए किराये के टट्टू भेज दिये जाते हैं । या मिस्ती और सुपरवाईजरी वरकसे को डराने धमकाने के लिये भेज दिये जाते हैं । और अब कड हफतों से तो बाहर के गेट मैस पर भारी आवाज वाला लाउडस्पीकर लगा दिया है । जिससे शिपट छुटने के एक घंटा बाद तक गानों के रिकार्ड बजाये जाते हैं । ताकि गेट मीटिंग करने वालों की आवाज कोई न सुन सके । मिल अधिकारियों की यह तमाम हरकतें कोड आफ डिसीपलिन और विधान के खिलाफ हैं । इस से भी बढ़ कर धक्केशाही यह हो रही है कि मिल के हलके से चुने हुए पालिका सदस्य कामरेड रिछपाल सिंह को भी मिल क्याटरो में नहीं जाने दिया जाता । इसलिये यह मीटिंग हरियाणा सरकार, खास तौर पर लेबर विभाग से मांग करती है कि वो ऊपर लिखी हुई पाबंदियों को जल्द से जल्द दूर

करवाये, ताकि वरकर अपने ट्रेड यूनियन अधिकारों को आजादी से इस्तेमाल कर सके' ।

(2) इस से पहले हमेशा हिसार मिल के अधिकारी बोनस 'दिवाली से पहले बांट दिया करते थे, लेकिन इसबार बोनसकी बजाय उन्होंने एडवांस बांटना शुरू कर दिया हे । दो भी उस समय जब कि यूनियन की ओर से जोरदार आवाज उठाई गई, लेकिन इस मामूली एडवांस से काम नहीं चलता सर्दियां ऊपर आ रही है' । आम तौर पर वरकर साल भर के कपड़े बोनस की रकम से बनवाया करते हैं । क्योंकि वेतन से तो आजकल काम ही नहीं चलता । इस के इलावा दिवाली के त्योहार पर परिवार में कुछ न कुछ खर्च करते हैं । मिल अधिकारियों ने मजदूरों की मुश्किलों पर कोई ध्यान नहीं किया, बल्कि इसके उल्ट संगठन की कमजोरी का लाभ उठा कर बोनस की रकम से और मुनाफा कमाने का इरादा किया है । मिल अधिकारियों का यह रवैया बहुत मजदूर घातक है । इसलिये यह इजलास मिल अधिकारियों से मांग करता है कि तमाम वर्करों को बोनस दिवाली से पहले बांट दें, ताकि वरकरों में बेचौनी न बढे ।

(3) यह मीटिंग बढ रही महंगाई को सामने रखते हुये मित्र अधिकारियों से मांग करती है कि तमाम वरकरों का महंगाई भत्ते में फौरन बढ़ोतरी करे । साथ ही फरेम और दूसरे खातों में जो रेट कम किये है वो फौरन बहाल किये जाये ।

(4) यह मीटिंग हरियाणा राज्य और जिलों के अधिकारियों से मांग करती है कि सरकारी लेबर कालोनी में सस्ते अनाज और दूसरी जरूरी चीजों 9.की तकसीम के लिये जल्द से जल्द डिपो खोला जाये । ताकि सरकारी लेबर कालोनी और विनोद नगर में रहने वाले मजदूरों को सहूलियत हो ।

(5) 1960 के आन्दोलन की नाकामी के बाद से मिल अधिकारियों ने कुछ तथाकथित ट्रेड यूनियन नेताओं को खरीद कर अपनी हर मजदूर दुश्मनी कारवाई पर उनकी मोहर लगवानी शुरू कर दी । जब भी कोई आजाद यूनियन बनी, या वनने की कोशिश की, उसे या तो दबा दिया गया या खरीद लिया गया और अगर दोनों काम न हो सके, ते लेबर विभाग के जरिये और कुछ भ्रष्टाचारी अफसरों की सहायता से उन यूनियनों को खत्म करवा दिया गया । मिल मैनेजमैटं पहले की तरह दो पाकेट यूनियनों के मजदूर दुश्मनी कारवाई के लिये प्रयोग करते है' ।

1965 में कुछ वर्करों ने दोबारा हिसार टैक्सटाइल मिल मजदूर ऐकता यूनियन के नाम से एक यूनियन बनाई । मिल अधिकारियों और कुछ भ्रष्ट आफिसरों की कोशिशों के बावजूद वो यूनियन रजिस्टर्ड हो कर काम करने लग गई, परन्तु मिल अधिकारी एक बार फिर इस यूनियन के एक–दो पदाधिकारियों को खरीदने में कामयाब हो गये । और अब वो इसी कोशिश में हैं कि इस यूनियन को इंटक की यूनियन में मिला दिया जाये, इसलिये वो

पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस गैर कानूनी काम में कुछ भ्रष्ट अफसर भी फिर उनकी मदद कर रहे हैं ।

इसलिये यह मीटिंग रजिस्ट्रार ट्रेड यूनियन, हरियाणा राज्य से प्रार्थना करती है कि मिल अधिकारियों की तरफ से कराई जा रही वितेय की कारवाई को खत्म कर दिया जाये और हमारी यूनियन की ट्रेड यूनियन कानून और कायदा के मुताबिक मजदूरों के लाभ के लिए काम करने में मदद दी जाये ।

(6) यह मीटिंग हरियाणा राज्य के श्रम विभाग से प्रार्थना करती है कि बिभाग के किसी ईमानदार अफसर के जरिये 1960 के बाद से इस भिल में गैर कानूनी तौर पर बताये गये काम के बोझ की जांच करके वरकरों को उसका मुआवजा दिलाये ।

(7) पिछले चुनाव में हिसार मिल के मजदूरों ने यूनियन की आवाज पर कांग्रेसी उम्मीदवार के खिलाफ वोट दिये थे । इस हल्के से कांग्रेस के विरोधी को कामयाब करवाया था, लेकिन वो लोग जीतने के बाद नमक की कान में जाकर नमक हो गये । इधर मजदूर पिस्ता रह । ले क्नि उन की न जबान ही खुली और न ही कलम ।

अब फिर चुनाव आ रहे हैं और उम्मीदवार लंगर लंगोटे कस रहे हैं और मजदूर दोस्ती का सबूत देने के लिये बड़ी तेजी से चक्कर काटने लग गये हैं और वो समझते है कि मजदूर उनके पांच साल की बेरुखी कौ लच्छेदार बातें सुनकर बिल्कुल भूल जायेगा! इसके

इलावा पालिका चुनाव में बुरी तरह मुंह की खाने के बाद मिल अधिकारी एक बार फिर इस चुनाव में आ रहे हैं । उन्होंने मजदूर घातक सरगर्मियों में उनका साथ देने वाले उम्मीदवारों की सहायता करने के लिये अपनी थैलियों का मुंह खोल दिया है ।

इसलिये यह मीटिंग इस मिल में काम करने वाले तमाम मजदूरों को आगाह करती है कि वो इन बातों से होशियार रहे और आने वाले चुनावों में अपने और अपने परिवार के. वोट उन उम्मीदवारों के लिये सुरक्षित रखें, जो उनके लिये लड़ते आ रहे हैं और आइन्दा भी लड़ने का वायदा करते हैं ।

Complaints against Hissar Textile Mills

111. Shri Balwant Rai Tayal: Will the Chief Minister be pleased to state--

(a) the number of complaints received by the Labour Inspector. Hissar and Labour Officer, Bhiwani, separately, from the Textile Ma zdoor Sabha against the Hissar Textile Mills during the period from 1st January, 1967 to 15th July, 1968 together with the action taken thereon ;

(b) a copy each of the complaints referred to in part (a) above together with a copy each of the details of the action taken thereon be laid on the Table of the House ?

श्री बन्सी लाल : (ए तथा बी) प्रश्न का उत्तर बनाने में खर्च होने वाला समय तथा परिश्रम सम्भाविक लाभ से बहुत अधिक होगा ।

Memorandum against the Hissar Textile Mills

112. Shri Baiwant Rai Tayal : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether it is a fact that a deputation of Textile Mazdoor Sabha met him at the Canal Rest House on his recent visit to Hissar on 7th June, 1968 and submitted a memorandum against the Hissar Textile Mills ; if so, the details of the action, if any, taken thereon ; and

(b) a copy of the said memorandum together with a copy of the details of the action taken thereon be laid on the Table of the House ?

श्री बन्सी लाल : (ए) टैक्सटाइल मजदूर सभा, हिसार ने कोई यादी व्यक्तिगत रूप से नहीं दी ।

(बी) 'ए' भाग के उत्तर को दृष्टि में रखते हुए इस भाग के उत्तर की आवश्यकता नहीं हे ।

Complaint against Police Officers/Officials of Police Station, Hissar and Management of Hissar Mills

113. Shri Balwant Rai Tayal : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the number of complaints received by the S.P., Hissar from the Hissar Textile Mazdoor Ekta Union and the Textile Ma Mazdcor Sabha against the officer/officials of Police Station Sadar, Hissar and against the managements of the Mills located at Hissar during the period from December, 1964 to 15th July, 1968 together with the action, if any, taken thereon ;

(b) a copy each of the complaints referred to in part (a) above be laid on the Table of the House ?

Shri Bansi Lal : (a) Sixteen.

Annotated statement giving nature of complaints and action taken etc., is enclosed as "Appendix 'A' ".

(b) Copies of these complaints are enclosed as Appendix '13'. Action taken there has been indicated in column 5 of Appendix 'A'.

STATEMENT

APPENIX – A

Serial No.	Date of application	Contents of the application	Against Police officials/officers of P.S.. Hissar and Management	Action taken thereon
1	2	3	4	5
1.	13-12-64	Shri Gurdial Singh, President, Hissar Textile Mills Workers Union, applied to the General Manager, Textile Mills, Hissar with a copy to Labour Inspector, Labour Commissioner, Chief Minister, Punjab, Superintendent of Police, Hissar and Lal Bharat Ram, Delhi Cloth Mills, Delhi, complaining that on 10th December, 1964, some workers supported by the Management interfered in the collection of Union Fund and threatened the workers.	Management	Application was filed on 2nd February, 1965 as the allegations therein could not be sub-stantiated during the course of enqueries.

2.	6-1-65	Shri Tek Chand Gupta, Office Mantri, Textile Mills Workers Union, in his application addressed to the S.P., Hissar, copies to Labour Officer, Rohtak, S.H.O., Police Station Sadar Hissar and Chief Minister, Punjab, complained that certain bad characters employed by the Mill Management caused injuries to Ram Nath who then reported the nutter to the Police.	Do	The allegations made in the application were found false, and were in order to deframe the managenent. No cognaizable offence took place. The application was filed on 1st February, 1955.
3.	8-5-65	Shri Stinder Kumar, Joint Secretary, Hissar Textile Mills Workers Union, Hissar in his application addressed to S.H.O., Police Station Sadar conies to Chief Minister, Punjab, Labour Commissioner, S.P. Hissar and D.C., Hissar, Labour Officer, Rohtak alleging therein that Shri I.R. Naurang, Executive Officer of the Mill tried to kill Gurdial Singh, President and Shri Jaswant Singh, Vice-President of the Union by knocking them down under a jeep and also	Shri I.R. Naurang, Executive officer of the Mills	The ailigations were found false on enquiry by SHO P. S. Hissar. Even the compainion of the complain controdicated the allegations and the application was filed.

		threatened them with dire consequences in case they do not leave the Union. This happened on 7th May, 1965 at about 11-30 P.M.		
4.	12-5-65	Shri Tek Chand of Textile Mill Workers Union, Hissar in his application to Chief Minister, Punjab, etc., and S.P., Hissar, alleged that he apprehends danger to his life at the hands of Shri I.R. Naurang, Executive Officer of the Mill and certain other officers of the Mill. In his application he also reported certain other incidents which had already been discussed in his previous applications. He also alleged that Shri Naurang hatched a conspiracy to murder him and at his instance certain bad characters injured Shri Jai Ram Peon taking him as Tek Chand on 9th May, 1965.	Shri I.R. Naurang, Executive Officer of the Mill	The allegations were enquired into with regard to the incident of injuring Jai Ram Peon. Case FIR No. 111, dated 7th June, 1965 u/s 325/34 I.P.C. was registered at P.S. Sadar Hissar and the culprits were challaned. Further with regard to apprehension of danger to the life of Tek Chand persons were proceeded against u/s 107/151 Cr. P.C. as a precautionary measure.

5.	12-5-65	Shri Tek Chand Gupta, Mantri, Textile Mill Workers Union in his application to S.H.O., P.S. Sadar, Hissar under copies to S.P., Hissar, I.G.P./Chandigarh and Chief Minister, Chandigarh, alleged that there was apprehension to his life at the hands of Shri Naurang, Executive Officer of the Mill.	Ditto	On enquiries the allegations were found false from the statement of Shri Jaswant Singh, who also figured in the application.
6.	13-5-65	The Mill Workers Union sent a telegram to D.C., Hissar with copies to S.P., Hissar, alleging that Mill Management and Executive Officer are trying to attack Shri Tek Chand and Satinder Kumar. They are also trying to hush up the incident on 9th May, 1965.	Ditto	The allegations were enquired into with regard to the incident of injuring Jai Ram Peon. Action as explained at SI. No. 4 above was taken.
7.	6-1-65	Shri Tek Chand Gupta, Mantri, Hissar Textile Mill Workers Union in his application to S.P., Hissar copies to Labour Officer, Rohtak, S.H.O. P.S. Sadar Hissar, and Labour Inspector. Bhiwani, alleged that obstructions were put by the officers of the Mill at the time of the elections for the membership of the Union. through their	Management and A.S,I. Hardit Singh	The allegations made were found to be false on enquiry.

		men. The applicant apprehended that the Mill Management would again put hinderance in the Election for the Membership of the Union scheduled to he held on 10th January, 1965 and that A.S.I., Hardit Singh was the supporter of the mill management.		
8.	14-4-65	Shri Tek Chand Gupta, Mantri of Hissar Textile Mills Workers Union, Hissar in his application addressed to S.P.. Hissar and C.M., Chandigarh against one Constable Sumer Chand No. 805, alleged that the said constable approached Shri Satinder Kumar Mantri of the Union on 12th April, 1965 and asked the latter that he had been summoned by the S.H.O., in connection with the investigation of a theft case and that on the assertion of Satinder Kumar that he had never committed any theft the Constable abused him. He requested the S.H.O. that the officers concerned of the Mill	Management and Police Official	On enquiry it was found that the constable did no misbehave and abuse Satinder Kanit. Shri Satinder Kumar also met the S.H.O. at the mill gate just after the alleged occuurrence. Had there been any truth in the hurling of abuses by the Constable, he mast have complained against him to the S.H.O. at that time.

		management wanted to implicate him in some false case and justice should be done to them		
9.	15-5-65	Shri Satinder Kumar, Secretary, Hissar Textile Management Mill Workers Union, complained to S.P. Hissar, Labour Officer, Rohtak and Labour Commissioner, Chandigarh that while he was addressing a meeting of the workers on 15th May, 19 "5 at 7 A.M. six Sikh gentlemen armed with lathies ind kulharis came to him at the gate of the Mill, abused him and threatened with dire consequences. They left the place in the Jeep of D.N. Mathur, Assistant Security Officer of the Mill.	Management	To ascertain the truth, Shri Lachman Singh a Shop keeper, who runs his shop quite adjacent to the Mill was examined and he stated that no such occurrence ever happened. The contents of the application were found to be incorrect
10	21-6-65	Shri Satinder Kumar Sharma, General Secretary, Hissar Textile Mills Mazdoor Ekta Union, in an application to the General Manager of the Mill (with copies to S.P., Hissar rid others) alleged that the M nager had hatched a conspiracy to involve him in	Management and I.R. Naarrng, Executive Officer ,	On enquiry the allegations were found false. The applicant was informed accordingly.

		scme false case at the instance of Shri I.R. Narang, Executive Officer of the Mill.		
11	24-5-65	This application was sent by Satinder Kumar, Secretary of Hissar Textile Mills Workers Union, to S.H.O., P.S. Sadar, Hissar (with copies to I.G.P. and S.P.. Hissar) alleging therein that the watch and Ward employees did not permit Shri Ramesh Kumar to enter into the Mill Building for making enquiry regarding his provident fund case and that when (the applic nt) approached there, Shri I.R. Naurang, Executive Officer, abused him and threatened to implicate him in some false case	Against Watch and Ward and Shri 1.R. Naurang, Executive officer of the Mill	On enquiry it was found that both Ramesh Kumar and Satinder Kumar were under suspension and the mill authorities had given directions to Watch and Ward employees that unauthorised persons should not be allowed to enter the mill. Other contents were found false.
12	9-7-65	This is an application from Shri Satinder Kumar Sharma Maha Mantri, Hissar Textile Mills Mazdoor Ekta Union, to S.P. Hissar (with copies to Chief Minister, Punjab, Home Minister, Punjab, and I.G.P. Punjab) against S.I. Mohar Singh, the then S.H.O., P.S. Sadar Hissar and D.S.P. Shri Jaswant Singh.	Against S.H.O., P.S. Sadar, Hissar, Shri Mohar Singh and D.S.P. Shri Jaswant	On enquiry the allegations made were found false. The application was filed on 12th August, 1965 by S.P., Hissar.

		It was complained that the nephew of S.I. Mohar Singh was working in the Mills and therefore, the Mill authorities were using the S.H.O. according to their will. It was further complained that D.S.P. Shri Jaswant Singh was also trying to uproot the Union	Singh	
13	24-11-66	Shri Mani Ram, President, Hissar Textile Mills Mazdoor Ekta Union, in a complaint addressed to the General Manager, Hissar Textile Mills (with copies to S.P., Hissar and others) alleged that their union was a separate entity and should be recognised by the Mill Management and action should be taken accordingly	Mill Management	Enquiries were got made through S.H.O. Sadar Police Station, Hissar. Shri Beant Singh, S.I. reported on 19th December, 1966, that the application had no concern for any action called for by the Police. The application was thus filed.
14	3-12-66	Shri Rachhpal Singh, General Secretary, Hissar Textile Mills Mazdoor Ekta Union, in an application addressed to S.P.. Hissar alleged that the Mill Management had	Ditto	H.C. Rameshwar Dayal of P.S. Sadar Hissar reported that the copy of the requisite sanction for

		installed loud speakers at the Mill gate which were played at the close of their shift with the result that it was not possible for them to have a talk with the workers relating to the affairs of the Union		using loud-speakers had been received at police station. Consequently S.I. Eeant Singh S.H.O.. P.S. Sadar, Hissar re-commended that under thecircumstances the matter was not cognizable by the police. As such the application was filed by S.P., Hissar vide his order dated 1st February, 1967
15	26-6-67	Application No. 146/67 from the Mantri Mazdoor Sabha to the Deputy Commissioner, Hissar (with copies to S.P. Hissar, Labour Commissioner, Hissar and Chief Minister, Chandigarh) against the management of Hissar Textile Mills, Hissar to the effect that the latter should be stopped from the unauthorised use of the loud-speaker	Ditto	As the management of the Hissar Textile Mills, Hissar had obtained a valid permit for the use of loud-speaker, the application was filed by the S.P., Hissar *ride* his order dated 5th August,

				1960.
16	9-7-65	This application was sent by ShriSatinder Kumar Sharma, Secretary of the Textile Mill Mazdoor Ekta Union to the General Manager, Hissar Textile Mills, Hissar (with copies to Labour Inspector, Bhiwani, Labour Officer, Rohtak, Labour Commissioner, S.P., Hissar and D.C., Hissar) apprehending that the General Manager would involve him in some false case through Shri I.R. Naurang, Security Officer of the Mills	Ditto	On enquiry no substance was found in the application which had been given only as a `Penh Sandi'.

APPENDIX-B

कापी

श्रीमान

जनरल मैनेजर साहिब,

हिसार टंक्सटाईल मिल, हिसार ।

विषय : कोड आफ डिसिप्लन–की खिलाफवर्जी ।

मान्यवर,

यूनियन को ओर से 10 दिसम्बर, 1964 को हुमारे जो वरकर लेबर गेट पर चन्दा इक्टठा कर रहे थे तो आपने श्री केवल, बदरी, राजिन्द्र नागर, सुरेश, विहारी लाल, चन्द्रभान, हर भगवान, रामनिवास और राम चन्द्र वाच एण्ड वार्ड में खुले रुप में वर्करो को गेट पर आकर धमकाया और हमारे चन्दे की पूरी तरह को रुकावट डाली । इसके बाद श्री नारंग ने हमारें यूनियन के सरगरम मैंम्बर को धमकाया और बहुत बुरा व्यवबहार किया । परन्तु मिस्त्री आप की ओर से छोडे हुए थे उनको श्री नारंग ने कुछ नहो कहा । और यह भी मालूम हुआ है कि यह सब ड्यूटी पर से छोडे गये थे । आपका इस तरह युनियन के कामों में रुकावट डालना कोड आफ डिसिप्लन के खिलाफवर्जी है ।

इसलिये– आप से प्रार्थना है कि अपने इन मिस्त्रियों को रोके कि वह ट्रेंड युनियन के कामों में रुकावट न डालें ।

आपका,

गुरदयाल सिंह,

प्रधान ।

प्रतिलिपि–

1. लेबर इन्सपेक्टर, भिवानी ।

2. लेबर कमिशनर चण्डीगढ

3. कामरेड राम किशन, चीफ मिनिस्टर, चण्डीगढ

4. एम.पी., हिसार

5. लाला भरत राम, देहली कलाय मिल, देहली

(2) कापी

Phone No. 149

Hissar Textile Mills Workers Union Nagori Gate, Hissar

Ref. No. 298/65

श्रीमान

एस. पी. साहब, हिसार ।

6 जनवरी, 1965

विषय : मैनेजमेंट के गुंडों द्वारा श्री रामनाथ के साथ झगड़ा ।

मान्यवर,

तिथि 2 जनवरी, 1965 को रात के 11 बजे मैनेजमेंट के गुन्डों ने रामनाथ को उठाकर जलीन पर पटक दिया जिससे वह जखमी हो गया और इसकी रिपोर्ट सदर थाना को दे सी । मैनेजमेंट ने कुछ पेशेवर गुण्डे रखे है, जोकि रोहतास और श्री नन्दलाल थर्ड शिफ्ट के हैं । और यह सब वहां श्री नारंग और राजेन्द्र' नागर ने करवाया है ।

इस लिये आप से प्रार्थना है कि आप इस के बारे में पूरी तरह जांच करवाये ।

आपकी,

टेक चन्द गुप्ता,

अ. मंत्री ।

प्रतिलिपि–

1. एल.ओ., रोहतक

2. एसएचओ., थाना सदर, हिसार

8. कामरेड राम किशन, चीफ–मिनिस्टर,. पंजाब, चग्डीगड ।

(3) कापी

सेवा जो

श्रीमान एसएचओ

थाना सदर, हिसार ।

8 मई 1965 ।

विषय : यूनियन के प्रधान श्री गुरदियालींसह और उप–प्रधान.श्री जतवन्त सिंह पर हमला और धमकी श्री. आई.आर नारंग एग्जकटिव अफसर द्वारा ।

मान्यवर,

निवेदन है कि दिनांक 7 मई, 1965 को रात को करीब 11– 30 बजे श्री गुरदयाल सिंह और श्री जसवन्त सिंह दोनों बाहर (शहर) मिल कालोनी को जो रहे थे । रास्ते में श्री आई. आर. नारंग ने उन को मारने के लिये जीप के नीचे उन्हें कुचलना चाहा । उन दोनों ने नाली मे गिरकर जान बचाई । फिर श्री नारंग ने जी रोककर इन्हें मां–बहिन को गन्दी गालियां दी और धमकी दी कि (या तो युनियन छोङ दो वरना तुम्हें मरवा दूंगा) । श्री नारी ने कहा तुम्हें कालोनी में नहीं रहने देंगे और बहुत से अपशब्द कहे । धमकी दी कि अब तुम्हारी जान की खैर नहीं ।

आप से प्रार्थना है कि इसकी जांच करें और यूनियन के इन दोनों पद–अधिकारियों को जान खतरे में हैं । इन की रक्षा का प्रबन्ध करें ।'

धन्यवाद

भवदीय,

सतीन्द्र कुमार,

ज्वायंट सैक्रेटरी ।

प्रतिलिपि :–

1. चीफ मिनिस्टर, पजांब ।

2. लेबर कमिश्नर, पंजाब, चण्डीगढ़ ।

3. एस.पी., हिसार ।

4. डी.सी., हिसार ।

5. लेबर आफिसर, रोहतक ।

(4) कापी

सेवा में,

श्रीमान् एस.पी. साहिब,

हिसार ।

12 मई, 1965

मान्यवर,

निवेदन है कि दिनांक 9 भई, 1963 को रात को श्री जयराम (शाप इन्स्पैक्टर का चपड़ासी) के साथ जो दुर्घटना हुई हैउसके पीछे क्या रहस्य है । यह हम आपको सारी तकलोफ लिख रहे है । दिनांक 7 मइं, 1965 को जब भी आई.आर. नारंग जो कि मिल के अफसर है उन्होंने श्री गुरदियाल सिंह, प्रधान और थी जसवन्त सिंह, उप–प्रधान, पर जीप चढाने को चेष्टा की तथा गन्दी गालियां दीं । जिसकी तफतीश बापको 6 मई, 1965 को लिखकर हर भेज दी है .। उस दिन श्री नांरग ने यह भी कहा था कि तुम जाफर टेकचन्द से कह देना कि वह जव गेट पर आए तों कंफन बान्ध कर आये । इसी प्रकार को बाते भी नारंग ने 8 मई, 1965 को श्री सतीश कुमार को कहीं कि जाकर टेकचन्द से कहना कि सर पर कफन बान्ध कर आए । मैं जल्दी ही टेकचन्द से बदला लूंगा । श्री सतीश कुमार दे 8 मई, 1965 को रात को वर्करों मे बताया कि कल 9 मई, 1965 को कामरेड टेकचन्द मीटिंग करेंगे । और श्री नारंग ने जो कहा है उसेका जवाव दिया जाएगा । मै जरूरी काम होने के कारग चण्डीगढ चना गया था । श्री नारंग ने 8 मई, 1965 की सूचना के मुताबिक मुझे मारने को साजिश रची । उन्होंनें कुछ गुण्डो ने शराब पिलाकर 10 बजे रात से पहले ही मेला को कोठी के पास प्याऊ पर भेजा । और उन गुंण्डों ने (मुझे) समझ करचपडासी को बहुत बुरी तरह मारा । चपड़ासी को वह जान से मार देते । जब चपड़ासी ने यह कहा कि मैं वह नहीं हूं जिसे तुम मारना चाहते हो । मुझ गरीब को न मारो । इस बात पर वह गुण्डे उसे छोड़कर मिल को ओर भाग गये । इस सारी साजिश के

पीछे मिल मैनेजमेंट और श्री नारंग का हाथ है और ठीक इसी तरह को धमकी श्री नारंग ने श्री सतीश कुमार को भी दी है । अतः आप से प्राथंना है कि आप इस वारे में अच्छी तरह जांच करें । श्री नारंग ने खुली धमकियां पी हैं जिससे साफ जाहिर है कि हमारी जान को खतरा है । आव तक मिल रोड पर इस तरह का कोई वाक्या नहीं हुआ था । क्यया हमारी सुरक्षा का प्रबन्ध करे ।

आपका,

मंत्री ।

प्रतलिपि–

1. चीफ मिनिस्टर, पंजाब, चण्डीगढ ।

2. गृह मन्त्री, पंजाब, चण्डीगढ ।

3. आई.जी., पंजाब, चण्डीगढ ।

4. लेबर कमिश्नर, पजाब, चण्डीभढ ।

5. लेबर आफिसर, रोहतक ।

6. लेबर इ.सपंक्टर, भिदानी ।

7. डी.सी., हिसार ।

8. एसएचओ., थाना सदर हिसार. ।

(5) कापी

Hissar Textiles Mills Workers Union, Napori **Gate, Hissar** Ref. No.544/65 dated 12-5-65.

श्रीमान एस.एच.ओ.,

थाना सदर, हिसार ।

तिथि 12 मई, 1965 ।

मान्यवर,

सेवा में निवेदन है कि मैं य नियन के काम से रात–दिन मिल की ओर आता जाता रहता हूं । थी नारंग, मिल अधिकारी ने तिथि 7 मई, 1965 को श्री गुरदियाल सिंह व जसवन्त सिंह पर जीप चढ़ाने की कोशिश की और श्री नारंग ने कहा था कि मैं टेक चंद को देखूंगा और उससे बदला लूंगा । तिथि 6 मई, 1965 की घटना भी श्री नारंग ने ही करवायी थी और श्री नारंग ने मिल कर मिल के अन्दर काफी गुण्डे पाल रखे हं' । और उनको जीप में हर समय साथ रखता है । मुझे श्री नारंग से ज का खतरा हं क्योंकि वह मैनेजमेंट का अधिकारी है और इसलिये मुझ से दुश्मनी निकालना चाहता है । और मुझे श्री नारंग ने जीप के द्वारा कोई दुर्घटना कर दी तो उसकी जुम्मेवारी मैने जमेट और सरकार पर होगी । इसलिये आपसे प्राथंना है कि आप शीघ्र कार्यवाही करें ।

आपका,

टेक चन्द गुप्ता,

मंत्री ।

प्रतिलिपि :–

1. एसपी., हिसार ।

2. आई.जी., चण्डीगढ़ ।

3. चीफ मिनिस्टर, चण्डीगढ ।

जरुरी कार्यवाही के लिये ।

(6) Copy

Copy of telegram dated 13th May, 1968 from the Mill Mazdoor Union D.C., Hissar.

Mill Management and Shri Narang Executive Officer trying attack Tek Chand and Satinder Kumar by Mill Gundas, providing them liquor armed with lathier hockeys Shri Nai rang also planning accident through Jeep to harm Tek Chand. Satinder Kumar, Mange F am also trying hush up incidents 8th instant showing Inspector Peon saying Rohtas gundas gang requesting safety and enquiry.

(7) कापी

Phone No. 149

Hisar Taxtiles Mill. Workers Union Nagori Gate, Hlssar.

Ref. No. 313/65 Dated 6-1-65

सेवा में,

श्रीमान एस.पी. साहिब,

हिसार ।

विषय : 26 तारीख को चन्दे के दिन ।

मान्यवर,

पिछली 20 तारीख को यूनियन की मेम्बरशिप के दिन मैनेजमेंट ने अपने आदमी के द्वारा काफी अड़चन डाली हे और वर्करों को धमकाया जिसके बारे में एक पत्र 13 दिसम्बर, 1964, को आपको लिखा और 26 दिसम्बर, 1964 को एक पत्र श्री गुरिदयाल सिंह, एस.एच.ओ, थाना सदर को दे कर आये । जब कि 20 तारीख को फिर युनियन कर मेम्बरशिप होनी है । मैनेजमेंट द्वारा फिर अड़चन डाली जाएगी और वहां पर श्री हरदित सिंह, ए.एल.आई,जो मुकर्रर है वह मेनैजर की पूरी मदद कर रहा है । इस लिए आपसे प्रार्थना है कि आप स्पैशल अपना आदमी मुकर्रर करें' ताकि कोई गलत काम न हो ।

आपका,

टेक चन्द गुप्ता,

अ. मन्त्री ।

प्रतिलिपि–

1. एल.ओ., रोहतक ।

2. एसएचओ, थाना सदर, हिसार ।

3. एल.आई., भिवानी ।

(8) कापी

ता. 14 अप्रेल, 1965 ।

सेवा में,

श्रीमान् एस. एच.ओ., थाना सदर,

हिसार ।

विषय : श्री सुमेर सिंह, पुलिस पेटी न. 829 के खिलाफ शिकायत ।

मान्यवर,

सेवा में निवेदन है कि तिथि 22 अप्रेल, 1965 को सुमेर सिंह, पुलिस वाला यूनियन के मंत्री श्री सतीन्द्र कुमार के पास क्या जब कि वह अपनी चार्चशीट की इनक्वायंरी करा रहा था और हमे ऐसा मालूम हुआ कि आप भी मिल के मेनगेट पर थे । श्री सुमेर सिंह ने जा कर कहा कि तुम्हें एसएचओ. साहब ने थाने पर बुलाया है, क्योंकि तुमने चोरी की है और उसके बारे में जांच करनी है । जब

श्री सतीन्द्र कुमार ने पूछा कि मैने चोरी कहां पर की है तो पुलिस वाले ने बुरा भला कहा व गालियां भी दीं । डसके बाद श्री सतीन्द्र कुमार को आपके पाए पेश किया गया । आपने ऐसी कोई बातनहीं कही । आपने केवल कई मिल वाली की शिकायत के बारे में बताया कि मैं उसकी जांच करने आया हूं । आप शिकायतों के बारे में जरूर जांच कीजिए । हमें इसके बारे में कोई एतराज नहीं है मगर श्री सुमेर सिंह का इस तरह फा बर्ताव करना ठीक नहीं था । आप इसके बारे में जरूर कार्यवाही करें ।

मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप एक बात का ख्याल रखें कि मिल मैनेजमेंट और वर्करो के झगड़े चरन रहे हैं जिसमें मैनेजमेंट, ट्रेड यूनियन कार्यकर्ताओं को झुठे आरोपों में फंसाना चाहतें है' । इसलिये आप कोई कार्यवाही भी करें उसके बारे में पहते पूरी जांच कर लें ।

धन्यवाद ।

आपका,

टेक चन्द मंत्री ।

एस. पी., हिसार ।

कामरेड रामकिशन, चीफ मिनिस्टर, चण्डीगढ ।

श्रीमान

एस. एच. ओ., थाना सदर, हिसार ।

मान्यवर,

निवेदन है कि आज 15 मई, 1965 सुबह सात बजे मैं मीटिंग कर रहा था कि उस समय न मालूम उस सभय नौ सरदार जिन के हाथों में लाठी और कुल्हाडी थी मेरे पास गेट पर आये और मुझे गन्दी गालियां दीं और धमक्की दी कि अगर तुम गेट मीटिंग करते रहे तो ठीक नहीं है । मैने उन से बार बार प्रार्थना की कि मैं किसी का नुक्सान तो नहीं करता हूं लेकिन वह नौ सरदार मुझे फिर धमक्की दे कर कि सम्भल जाओ वरना तुम्हारी खैर नहीं है । यह कह कर मिल में चले गये । करीब 70 कदम जाने पर श्री डी. एन. माथुर, असिस्टेंट सकोरिटी आफिसर के साथ जीप में बैठ कर मिल में चले गये । मैंपहले भी आपको सूचित कर चुका हूं कि मिल मैनेजमेंट मुझे गुण्डों द्वारा मरवाना चाहते हैं । मेरा जीवन खतरे में है । आप इक्वायरी करके मेरी रक्षा का प्रबन्ध करें ।

आपका,

सुरेन्द्र कुमार, सैक्ट्ररी ।

प्रतिलिपि

1. एस. पी., हिसार ।

2. लेबर आफिसर, रोहतक ।

3 लेबर कमिश्नर, चण्डीगढ ।

(10) कापी

Hissar Textile Mill Mazdoor Ekta Union Hissar

No. 21/65 21 जून, 1965

सेवा में,

श्रीमान् जनरल मैनेजर,

हिसार टैक्सटाईल मिल्ज, हिसार ।

मान्यवर,

हमें मालूम हुआ है कि आप मेरे और श्री टेक चन्द पर कोई नया झूठा गलत मुकदमा करने की साजिश कर रहे है' । इस के बारे में आप ने अपने हैंड आफिस को पत्र भी लिखा है कि हमें दोनों ट्रेड यूनियन कार्यकर्ताओं को फंसाने की इजाजत दी जाए । हमें यह भी मालूम हूआ है कि हमारे खिलाफ गृह मन्त्री पंजाब और केन्द्रीय गृह मन्त्री को गलत पत्र लिखे हैं । आप के इस रवैये का खंडन किया जाता है । हम आप को स्पष्ट कह देना चाहते हैं कि अगर आपने हमारे ऊपर श्री आई. आर. नारंग के नाम पर कोई मुकदमा करने की साजिश की तो उसकी सारी जिम्मेवारी आप की होगी ।

आपका,

हस्ताक्षरित : सतीन्द्र कुमार शर्मा,

जनरल सैक्रेटरी ।

प्रतिलिपियां भेजी जा रही हैं :–

1 लेबर इन्सपैक्टर, भिवानी ।

2. लेबर आफिसर, रोहतक ।

3 लेबर कमिश्नर, चण्डीगढ । 4. एस. पी., हिसार ।

5. डी. सी., हिसार ।

(11) कापी

सेवा में,

श्रीमान् एस. एच. ओ. साहिब,

थाना सदर, हिसार ।

दिनांक 24 मई, 1965

मान्यवर,

आज सुबह ही श्री रमेश कुमार करीब 8 बजे अपने प्राइवेट फंड के बारे में पूछ ताछ कदने के लिये मिल में जाने लगे तो उसको मैनेजर पर वाच एण्ड वार्ड ने रोक दिया और कहा कि तुम्हारा गेट

बन्द है । श्री रमेश कुमार ने कहा कि मुझे गेट बन्द होने का नोटिस दो । और श्री डी. एन. माथुर, असिस्टेंट सैक्रेटरी ओफिसर ने कहा मैं हुक्म देता हूं कि तुम अन्दर नहीं आ सकते । और हमारे पास लिखित कोई नोटिस नहीं है । इस के वाद करीब 9 बजे श्री आई. आर. नारंग ने आकर श्री रमेश कुमार को गालिया दीं । इतने में मैं आ गया तो मुझे भी श्री नारंग ने धमकी दी कि तुम्हारे ऊपर कोई झूठा केस लगवाकर जेल करवाऊंगा । और तुम्हारी मरम्मत करवाऊंगा । मैने आपको पहले भी लिखा था कि मेरी जान खतरे में है । मुझे श्री नारंग से बहुत खतरा है । कृपया इन्क्वायरी करके मेरी सुनाई की जावे ।

धन्यवाद ।

आपका

सतीन्द्र कुमार शर्मा

प्रतिलिपि :–

1 एस. पी., हिसार ।

2 आई. जी., हिसार ।

(12) कापी

7-81/65 Phone 148, 103

No. 63/65

Hissar Textiles Mills Mazdoor Ekta Union, Bazar Khazachian, Hissar 9-7-65

सेवा में,

श्रीमान् सुपरिन्टैन्डेन्ट पुलिस, हिसार ।

विषयः—मोहर सिंह, एस. एच. ओ., सदर और श्री जसवन्त सिंह, डी. एस. पी., के खिलाफ शिकायत ।

मान्यवर,

निवेदन है कि दिनांक 8 जुलाई, 1965 को श्री मोहर सिंह, एस. एच. ओ. साहिब, ने सतीश कुमार, श्री टेक चन्द, श्री गावखन और राम अवल को साढ़े तीन बजे बुला कर दोपहर थाने में बिठा लिया । हिसार टैक्सटाईल मिल और यूनियन के आपसी झगडे चल रहे हैं । हम ने कई बार एस. एच. ओ. से पूछा कि हमें क्यों बुलाया . गया हे? लेकिन हमें कुछ और बताया गया । थोड़ी देर के बाद एव. टी. एम. से दो जमादार श्री रामचन्द्र और सूरज प्रकाश आये और आते ही उन्होने एक दरखास्त एस. एच. ओ., को दी । फिर यह बताया गया कि श्री राम चन्द्र ने तुम्हारे खिलाफ दरखास्त दे रखी है कि उसे जान का खतरा है । इस लिये मैं 107/151 में तुम्हारा चलान करुंगा । हमने कहा कि उस से पहले हमारी दरखास्ते जो हमने दे रखी हैं उनका आपने क्या किया? उस पर एस. एच. ओ. ने कहा कि तुम्हारी दरखास्तो का कुछ भी नहीं

बनेगा । कुछ देर बाद श्री बलवन्त राय तायल आ गये, हमने उनके सामने तमाम तफशीश रखी, उस पर उन्होंने एस. एच. ओ. से काफी देर तक वात की । फिर इस के बाद श्री तायल और एस. एच. ओ., डी. एस. पी. के पास चले गये, वहां बातचीत होने पर हमें छोड़ दिया और एस. एच. ओ. ने कहा कि तुम्हें फिर बुलायेंगे । थाने में श्री मोहर सिंह का रवैया ठीक नही था । हमारे साथ ठीक तरह पेश नहीं आये । श्री राम का एक भतीजा मिल में भरती है, और मिल वाले पैसे की ताकत से सदर पुलिस को मनमर्जी से प्रयोग करते हैं । जब हम थाने से वापिस आ रहे थे. तो रास्ते में. डी. एस. पी. श्री जसवन्त सिंह मिले और हमें रोक कर बुरा भला कहने लगे और कहा कि आज तो श्री तायल के कहने पर तुम्हे छोड़ दिया हैं । मै फिर तुम्हे किसी मुकद्दमे में फंसाऊगा । हिसार टैक्सटाइल मिल मैनेजमैंट के अधिकारी श्री जसवन्त सिंह, डी. एस. पी. के घर आते रहते हैं मैनेजमैटं यूनियन को खत्म करने के लिये सरगग्म ट्रेड यूनियन कार्यकर्ताओं को झूठे मुकदमें में फंसाना चाहता है । ट्रेड यूनियन खायें कर्ताओं पर पहले भी मैनेजमैट ने पुलिस से. मिल कर दो झूठे मुकदमें बनवा दिये ढै' । अतः प्रार्थना है कि श्री जसवन्त सिंह, डी. एस. पी. और रावो मोहर सिंह, एस एच. ओ., ट्रेड यूनियन कार्यकर्ताओं के खिलाफ झूठे मुकदमे बनाने की साजिश कद रहे हैं । आप इस तमाम मामले की इन्क्वायरी किसी निष्पक्ष अधिकारी से करवायें ।

आपका

सतीन्द्र कुमार शर्मा,

महामन्त्री ।

प्रतिलिपिः––

1. चीफ मिनिस्टर, पंजाब, चण्डीगढ ।

2. गृह मन्त्री, पंजाब, चण्डीगढ ।

3. आई. जी. पी., पंजाब, चण्डीगढ।

(13) Copy

Phone No. : 149

103

Hissar Textiles Mills Ekta Union,

Bazar Khazanchian,

Hissar

Dated 24-12-66,

सेवा में,

श्रीमान् जनरल मैनेजर साहिब,

हिसार टैक्सटाइल मिल, हिसार ।

श्रीमान् जी,

आपका पंत्राक एच. पी. ओ. 42 कई– 24941, दिनांक 21 नवम्बर, 1966, का मिला । आपका यह कहना बिल्कुल गलत है कि हमारी यूनियन को किसी के साथ विलय हो चुकी है । इस सिलसिले में हमारे पास लेबर विभाग का कोई हुक्म नहीं आया और न ही मैने अपनी किसी दरखास्त पर दस्तखत किये है । इस के अलावा मुझे यह समझ नहीं आयी कि आप इस सिलसिले में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे हैं ।

जिस चुनाव की मैने आप को सूचना दी है वह चुनाव बिल्कुल दुरुस्त है और हमारी यूनियन के यही औहदेदार है । अगर आप हमारी चिट्ठियों पर कोई कार्यवाही नहीं करेंगे तो यह कोड आफ डिस्पिलिन की खिलाफवर्जी होगी ।

भवदीय,

मनी राम, प्रधान ।

प्रतिलिपियां :–

(1) लेबर इक्सपैक्टर, भिवानी ।

(2) लेबर आफिसर, भिवानी ।

(3) लेबर कमिश्नर, चण्डीगढ ।

(4) एस. पी., हिसार ।

(5) जिलाधीश, हिसार ।

(6) केन्द्रीय रजिस्टरार ट्रेड यूनियन ।

बखिदमत मुपखिटेडैट साहिब, पुलिस, हिसार,

श्रीमान जी, गुजारिश है पिछले करीबन 2 माह से हिसार जिले के आंधिकारियों ने भारी आवाज वाला लाउडस्पीकर 2 हारन के साथ मिल के बाहर वाले गेट पर लगा रखा है और वह दिन में 3 बार 2–2 घंटों के लिये बजाया जाता हैं । दोंनों हारनो की मुह एक ही तरफ यानी सरकारी लेबर कालोनी की तरफ कर रखा है । ये सब इन्तजाम हमारी ट्रेड यूनियन में रुकावत ङालने के लिये किया हुआ हैं ।

क्योंकि जब वर्कर काम खत्म करके मिल से बाहर आते हैं तो हम लोग गेट पर उन्हें ठहरा कर यूनियन कीकुछ बातें कहा करते हैऔर वह बातें अधिकारियों को अच्छी नहीं लगती । इस लिए इसमे नाजायज व गैरकानूनी तौर पर रोड़ा अटकाते हैं । क्योंकिं जब दो हारनों से जोर की आवाज गेट पर आ रही होगी तो हम किस तरह वहां खड़े होकर कुछ कह सकते हैं । लेकिन मिल वालों का ये इन्तजाम सिर्फ हमारे लिये है । क्योंकि कल वानी 2 दिसम्बर, 1966 की रात को उन की पिंद्रू यूनियन के एक वर्कर राजिन्द्र नागर ले जब वहां गेट मीटिंग रात को 9 बजे की तो उस बक्त उन्होंने लाऊड स्पीकर बन्द कर रखे थे.। मेरी आपसे प्राथंना है कि आप किसी जिम्मावार आफिसर से इक्कायरी करा कर मिल

अधिकरियों को इस तरह की सीनाजोरी और जमानती से बाज रहने की हिदायत करे । आपके बढी मेहरबानी हीगी ।

आपका,

(हस्ताक्षर) रच्छपाल सिंह,

जनरल सैक्रेटरी ।.

कापी लैबर कमिश्नर हरियाणा, चंडीगढ बराय जरूरी कार्रवाई ।

(15) Copy

The Textile Mazdoor Sabha Phone No 449

Ref. No. 146/67 Nagori Gate,

Hissar.

Dated 26-6-67.

श्रीमान जिलाधीश महोदय

हिसार ।

विशेष : लाउड स्पीकर दुरपयोग ।

श्रीमान जी,

निवेदन है कि हिसार टैक्सटायल मिल की मैनेजमैटं मेन गेट रात के समय नाजायज तौर पर लाउड स्पीकर बजाता है इस के बारे मे पहले काफी वर्करो ने सरकार को प्रार्थना पत्र लिये कि उन के

सोन में बाधा पडती है इस के साथ ही मैनेजमैंट हमारे ट्रेड यूनियन के कामों में रूकावट डालता है ।

आपसे प्रार्थना है कि इनकी भविष्य में लाऊड स्पीकर बजाने के लिये पाबन्दी लगाए।

भवदीय

साईन्ड

मन्त्री

प्रतिलिपि :–

1. एस. पी. साहब, हिसार ।

2. लेंबर कमिश्नर चण्डीगढ ।

3. मुख्य मंत्री जी, चण्डीगढ़ ।

(16) Copy

प्रति लिपि क्रमांक 80/65

सेवा मे

जनरल मैनेजर,

हिसार टैक्सटाइल मिल

हिसार ।

हमें मालूम हुआ है कि आप मेरे और श्री टेक चन्द पर कोई नया झूठा और गल्त मुकदमा करने की साजिस कर रहे हैं । इस के बारे में आपने अपने हैड आफिस को भी पत्र लिखा है कि हमे ट्रेड यूनियन कार्यकर्त्ताओं को फंसाने की इजाजत दी जावे । हमें जैल मालूम. हुआहै कि हुमारे खिलाफ गृह मन्त्री, पंजाब और केन्द्रीय गृह मन्त्री को गल्त सलत पत्र लिखा आपसे इस रवैया का खंडन किया जाता है ।

हम आप को स्पष्ट कह देना चाहते हैं कि अगर आपने हमारे ऊपर श्री नाम पर कोई नया मुकदमा चलाने की साजिश की तो उसकी तमाम जिम्मेवारी आप पर होगी ।

प्रतिलिपि : आपका

1. लेबर इन्सपेक्टर, भिवानी । (हस्ताक्षर)

2. लेबर आफिसर, रोहतक । सतिन्द्र कुमार शर्मा

3. लेबर कमिश्नर, चण्डीगढ ।

4. एस. पी., हिसार ।

5. डी. सी., हिसार ।

Haryana Roadways Buses plying between Jhujhun and Delhi

114. Shri Balwant Rai Tayal Will the Chief Minister be pleased to state—.

(a) the number at present of buses belonging to the Haryana Roadways plying between Jhujhnu and Delhi ;

(b) the number of tickets issued for travel by each bus from village Pipli to Delhi on the above mentioned route during the last two and a half years ?

Shri Bansi Lal : (a) Three.

(b) Pre-printed denominational tickets showing the different stages are issued to the passengers by the Haryana Roadways on this route. The -tickets do not bear the names of the stations from and to which the passengers travel. It is, therefore, not possible to ascertain the number of tickets issued for travel from village Pippli to Delhi by the buses belonging to Haryana Roadways on Jhujhun Delhi route during the last 2½ years.

CALL ATTENTION NOTICES

चौधरी जोगिन्द्र सिंह : आन ए प्वायंट आफ परसनल ऐकसपलानेशन सर । क्योंकि मेरे बारे में हाउस में काफी शोर हुआ है इस लिये मैं

श्री अध्यक्ष : देखिए यह कुछ काल अटैशन मोशन्ज है उनको पहले खत्म कर दूं उसके बाद फिर आपको टाईम दूंगा ।

Call Attention Motion No. 13 given notice of by Shri Mangal Sain, M.L.A., regarding the alleged beating of S.H.O., Police

Station, Ratia, district Hissar, is disallowed on the ground that it pertains to an individual case and its remedy lies in a court of law.

Call Attention Motion No. 14 given notice of by Rao Birender Singh, M.L.A., regarding the inordinate delay in the division of joint corporations and institutions under the Punjab Re-organisation Act, 1966, is admitted, The hon. Member may kindly read his motion.

Rao Birender Singh : Sir, I want to move a call attention motion to draw the attention of the Government to the inordinate delay in the division of joint corporations and institutions mentioned below :-

1. Pepsu Road Transport Corporation;
2. Mandi-Kulu Transport Corporation ;
3. Punjab Export Corporation;
4. Small Scale Industries Corporation ;
5. Punjab Marketing Board;
6. Land Development and Seed Corporation;
7. Poultry Development Corporation;
8. Dairy Development Corporation;
9. Punjab Khadi Board ;
10. Agricultural University; and
11. Several Industrial Corportions.

Punjab Re-organisation Act was passed nearly three-years ago. Ever since the formation of Haryana in November, 1966, this State is suffering huge financial losses on account of its inability to obtain its assets out of these Corporations and Boards. Great administrative inconvenience is also being experienced as Punjab Officers are in charge of them. The development of the State is also suffering. There is no time to lose as under the Act even the Union Government will not be able to help Haryana if division of assets and liabilities is not finalized within three years of the passing of the Punjab Re-organisation Act.

Chief Minister : On 11th, Sir.

Mr. Speaker : A statement will be made by the Chief Minister on the 11th of this month.

Call Attention Motion No. 15 given notice of by Shri Daya Krishan, M.L.A., regarding the non-implementation of the scheme of supply of food-grains to the labourers out of the World Food Aid Fund, is disallowed, as the matter is not of urgent public importance, and the hon. Member cal forward his proposals, suggestions to the Minister concerned.

Call Attention Motion No. 16 given notice of by Shri Roop Lal Metha, regarding the alleged resentment at the announcement of the Land Acquisition Officer, Haryana at Ballabgarh, for acquiring land and 200 buildings is disallowed, as the matter is not of public importance and the aggrieved can seek remedy at another forum.

PERSONAL EXPLANATION BY CHAUDHRI JOGINDER SINGH

Mr. Speaker : An hon. Member wanted to raise a Point of Order. What is that ?

Chaudhri Joginder Singh : On a point of personal explanation, Sir.

Chaudhri Maru Singh Malik : The matter has been referred to the Privileges Committee and the hon. Member can make his statement before that Committee. He cannot make the statement here.

Mr. Speaker : I think, A Personal Explanation can be made. However, the hon. Member should keep it brief. I will not give him more than five minutes. Let the matter be dealt with by the Privileges Committee. He should make only a Personal Explanation.

चौधरी जोगिन्द्र सिंह : चूंकि मैं चार पांच रोज से हाउस से ऐबसेंट रहा हूं और' मेरे बारे में काफी हंगामा हुआ तो उसके बारे में मैं चाहता हूं कि कुछ आप लोगों को बताऊं कि क्या है । 30 तारीख को मैं, चौधरी लाल चन्द, सरदार तेजा सिंह दर्दी हम तीनों आदमी लैहरा हलका में सरदार हर चन्द सिंह जी है' उन की इमदाद के लिये जाने के लिये प्रोग्राम बनाए हुए थे । हम चौधरी प्रताप सिंह के फ्लैट के सामने खड़े थे । यह तो बिस्तर वगैरा, समान वगैरा लेने के लिये चले गए और मैने कहा कि मैं यहां इन्तजार करता हूं । इतने में मेरी एक धर्म बहन है यहां वह आ गई । उसने मेरे से कहा कि घर चल और घर से चाचा जी वगैरा, मदर वगैरा आए हुए हैं बात करनी है । मैं उसके साथ

चला गया । वहां जाने के बाद मुझे चौधरी चन्दगी राम के घर पर ले जाकर काफी प्रैस करते– रहे कि इसमें फायदा है गवर्नमेंट को स्पोर्ट कर इस में फायदा है । मैने कहा कि मैं आपोजशिन के साथ बैठा हूं हमारे साथी हैं फिर अपना अपना प्रैस होता है, अपना सिद्धान्त होता है । वे काफी टाईम कोई दो ढाई घंटे मुझे प्रेस करते रहे पर मैं नहीं माना । मैने कहा मुझे जाने दो मैने जाना है मेरे साथी इन्तजार कर रहे हैं । उन्होंने कहा कि अगर जाना है तो हम तेरे को छोड़ आते है'' । वह मुझे छोड़ने को आए और मुझे सी. एम. साहिब की कोठी पर ले गए (शेम' सूझ) वहां जा कर कहने लगे जरा बैठ तो सही । मैने कहा मैने बाहर जाना हूँ मक्षे यहां कहा ले आए तुम । वह कहने लगे दो मिनट बैठ तो सही दो मिनट बात तो सुन ले आगे जो तुम ने करना है सो करना तेरी मर्जी हूँ । वहां चीफ मिनिस्टर साहिब पास वैठे हुए थे । फिर वह कोका कोला ले आए । मैने कहा कि मैं नहीं पीता । वह कहने लगे ऐसी भी क्या नाराजगी है सोडा तो पी ले इसमें क्या नमक है । मैने कहा कोई वात नहीं उसके बाद मैने कोका कोला पिया । मैंने काफी टाईम पहले एक रिवाल्वर के लाईसेंस की दरखास्त दे रखी थी जो रिजैक्ट हो गई थी । वह अब भी मेरी जेब में है । उन्होंने कहा इसी चीज से नाराज है कि लाईसेंस रिजैक्ट कर दिया । लो यह अभी करे देते हैं । सोडा जो मैंने पिया पता नहीं उस में क्या था (शेम शेम) मेरे पर कुछ नशा सा हो गया । उन्होंने कुछ ऐप्लीकेशन्त दीं और कहा कि यह रिवाल्वर के लाईसेंस की ऐप्लीकेशन्ज है । कोई खराब खराब

न हो जाए इन पर साईन कर दे दो–तीन थीं उन पर मैने साईन कर दिए । कुछ मेंरे पर नशा सा था उसमें मुझे पता नहीं क्या था मैने साईन कर दिए । उसी दिन रात के मेरी उस ऐप्लीकेशम्ज पर सी. एम. साहिब के साईन है । उसी तारीख के साईन उसी तारीख का लाईसेंस मेरे पास मौजूद है । और यह जो ऐप्लीकेन्ज मेरी रिजैक्ट हुई थी उसका यह लैटर भी मेरे पास मौजुद है अगर इजाजत हो तो उसकी दो लाईन आपको पढ़ कर सुना दूं.....

श्री अध्यक्ष : यह मैटर रैफर कर दिया गया है प्रिवलेज कमेटी को सिर्फ एक दो बातें बताएं जो टाईम आप का है खत्म है ।

चौधरी जोगिन्द्र सिंह : उसके बाद वहां से पता नहीं किस समय कहां लें गए लेकिन जब अगले दिन मैं जागा तो मैने पूछा भई मैं कहां हूं । कहने लगे हास्पिटल में है' तेरी तबीयत ज्यादा खराब हो गई हूं । फिर मुझे जूस पिलाया गया जिसमें नशे की कोई चीज थी । नशे में मुझे पता ही नहीं चला कि रात है या दिन । जब मुझे होश आया और जागा तो मैने पूछा कि मैं कहां हुं? उन्होंने कहा कि हास्पिटल में हो । लेकिन जब मैने इधर उधर देखा तो म्रुझे ऐसा लगा कि जिस कमरे में मैं पहले था, यह कमरा उस कमरे से बहुत वड़ा हूँ । मैने कहा कि जिस गलत चीज है, मैं हास्पिटल में नहीं हूं । जब मैने खड़े होकर बाहर देखा तो पता चला कि मैं अजमेर के एक होटल में हूं जिसका नाम नागपाल होटल था और कमरा नं 10 (शोर) जो आदमी मुझे ले गये थे वह कमरा उन्हीं के नाम पर ही मिला हुआ था (व्यवधान

) इसके बाद जब मैं कुछ ठीक हुआ तो मैने उनसे कहा कि मैं वापिस जाऊंगा लेकिन फिर उन्होंने मुझे खाने पिलाने की कोशिश की । मैंने कहा कि मैं नहीं खाऊंगा । मैंने उन्हें कहा कि या तो तुम मुझे छोड़ दो वरना मैं पुलिस में जाऊंगा और शोर मचाऊंगा । उन्होंने कहा कि छोड़ देंगे । उस दिन हम जयपुर के एक होटल जिस का नाम सीरसागर था, कमरा नं 50, में आ गये । मुझे उन पर एतबार नहीं था इस लिए कुछ खाया पिया भी नहीं था । बहां से कल सुबह चल पड़े लेकिन उन्होंने कहा कि हम तुम्हें चण्डीगढ में नहीं छोड़ेंगे, हिसार मै छोड़ेंगे । मैने. कहा चलो कोई बात नहीं (व्यवधान) मुझे हिसार छोड़ दिया गया । हिसार में मुझे पता चला कि मेरे बारे में अखबारों में काफी कुछ आया हुआ हूँ । वहां मुझे मेरी सिस्टर भी मिली जो मेरी बड़ी फिकर में थी । हिसार में मेरे मिलने वाले काफी लोग थे, वहां भी इन के आदमियों ने मुझे बहुत प्रैस किया । मेरे एक नजदीकी दोस्त श्री सीताराम हैं, मैने उन्हें कहा कि मुझे चण्डीगढ जाना है, चण्डीगढ पहुंचा दो । रात का वक्त था मैं उसकी गाड़ी लेकर अभी थोडी देर पहले चण्डीगढ पहुंचा हूं । यह पांच चार दिन का वाक्या टेप । अगर मेरी सीट चेंज करने के बारे में कोई चीज हो तो उसको कैंसिल कर दिया जाये । मैं पक्के तौर पर, जैसे राव साहिब अपोजिशन में हैं उसी तरह अपोजिशन में हूं । (विरोधी दल की तरफ से तालियां) ।

मुख्य मंत्री : अपोजीशन ने अच्छा ड़ामा खेला है । (शोर)

POINTS OF ORDER

(i) Re-moving of a privilege motion in respect of cases pending in or going to a court of law

चौधरी रणबीर सिंह : स्पीकर साहिब, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । इसके बारे में मैने पहले भी सदन में बताया था । कल आपने रूलिंग पार्टी और विरोधी पक्ष में आपस में समझौता कराया था और यह रूलिंग दी थी कि डा० मंगल सैन की प्रिविलेज मोशन को एडमिट किया जाता है । इस व्यवस्था के प्रश्न को मैं कल भी लाना चाहता था लेकिन कुछ नहीं कह सका । अब आपके जरिए इस मामले पर आपकी रूलिंग चाहता हूं कि जो केसिज अदालत में चल रहे हैं । उन के बारे में हाउस में प्रिविलेज मोशन लायी जा सकती है या नहीं? इससे पहले क्या प्रथा थी और भविष्य में क्या रहेगी, इसके बारे में मै आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

(ii) re-Questioning of a Ruling of the Speaker.

Rao Birender Singh: On a point of Order, Sir. After the hon. Speaker had given his Ruling yesterday, can an hon. Member now i.e. at a later stage question his decision?

Mr. Speaker: I shall give my ruling on it on Monday, next.

राव बीरेन्द्र सिंह : सपीकर साहिद वह सैसेशन, बड़ा शाकिंग डिस्कलोजर है । जोगिन्द्र सिंह के साथ जौ कुछ हुआ है इससे सारा हाउस कंसर्न रखता है । इनसे यह मालूम होता है कि.... स्पीकर साहिब,.. ...

Mr. Speaker : I understand your point.

Rao Birender Singh: Sir, if you allow me, I went to speak on this matter.

Mr. Speaker : I think this was only a personal explanation and the hon. Member will have ample opportunity.

Rao Birender Singh: This is such a serious matter Speaker Sahib.

चौधरी रणबीर सिंह : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर । स्पीकर साहिब, हाउस में श्री जोगिन्द्र सिंह जी ने जो पर्सनल एक्सप्लेनेशन के नाम पर एक व्यान दिया है यह नहीं देना चाहिए क्योंकि यहां पर किसी ने भी उन के खिलाफ कोई बात नहीं कही । लेकिन चूंकि आपने उन्हें इजाजत दे दी है इस लिए उन्होंने व्यान दिया इस ध्यान के चूकी चौधरी चन्दगी राम का नाम लिया गया है । चूंकि चौधरी चन्दगी राम हाउस में आकर अपना जवाब नही दे सकते इस लिए उनका नाम ब्यान में से काटा जाना चाहिए ।

राव बीरेन्द्र सिंह : वे प्रिविलेज कमेटी में आकर बोल सकते है । (व्यवधान) ।

चौधरी रणबीर सिंह : उन का नाम हाउस में नहीं लेना चाहिए लेकिन चूंकि लिया जा चुका है इस लिए इसको हाउस की कार्यवाही में से डिलीट कर, हटा दिया जाए और प्रैस वालों से भी दर्खास्त कर दी जाये कि उनका नाम अखबारों में न छापें जब तक

कि प्रिविलेज कमेटी की रिपोर्ट न आ जाये । जो आदमी सदन में जवाब नहीं दे सकता उसका नाम लेने की कोई अच्छी प्रथा नहीं होगी इस लिए मेरी प्रार्थना है कि इसे कार्यवाही से निकाल दिया जाये ।

Mr. Speaker : This was a sort of personal explanation allowed for five minutes as a special case. Because as you said, it was a sensational news,. I allowed him to speak. We will have no discussion on it. If, however, there is time later, we can think about it.

चौधरी रणबीर सिंह : स्पीकर साहिब, इनका नाम हाउस में नहीं लिया जाना चाहिए क्योंकि.....

Mr. Speaker : Is he an officia ?

Shri Mangal Sein: No . Sir.

चौधरी रणबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, वे कोई आफिसर नहीं हैं, हमारे प्रदेश के एक वासी है और पंजाब गवर्नमैटं के रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेन्ट हैं । मैं तो हाउस में जवाब दे सकता हूं लेकिन वे तो नहीं दे सकते । इसलिए मेरा आप से निवेदन है कि नाम लेने का तरीका वहुत गलत है, जिस ढंग से ब्यान कराया गया है यह कोई अच्छी चीज नहीं है । इस गलत प्रथा को रोकने के लिए मै' आपकी सहायता चाहता है ।

Mr. Speaker : I do not think there is any defamatory thing said about Chaudhri Chandgi Ram. Was there any ? I only heard that he was taken there and that he was t here for

about an hour or so. No defamatory remarks were made about Chaudhri Chandgi Ram as far as I see.

चौधरी रणबीर सिंह : यह तो ठीक है कि उन्होंने सीधे तौर पर डैफेमेटरी नहीं कहा लेकिन जिस तरह से चौधरी मुख्तियार सिंह जी ने जिक्र किया था कि उस में उन्होंने मकान का नम्बर और सैक्टर नम्बर दिया था (शोर) अगर माननीय सदस्य उन का नाम लेते. हैं तो उसके साथ दूसरी सारी बातों को जोड़ कर विचार करना चाहिए थो । लेकिन जो बात मैं कह रहा हूं उससे आप खुद मेरे साथ सहमत होंगे कि जो भाई सदन में जवाब नहीं दे सकते उन्हें यहां पर बदनाम न किया जाए ।

Mr. Speaker : I really do not think any defematory statement has been made about Chaudhri Chandgi Ram and if there is any, there are other courses open to contradict, if you wish to do so.

मलिक मुख्तियार सिंह : स्पीकर साहिव, मेरी अर्ज यह है कि जो इन्फर्मेशन हमें मिली थी वही हमने हाउस में दी । जोगिन्द्र सिंह के बारे मैं हाउस में कितना हंगामा हुआ यह सब को मालूम है । इन्फर्मेशन के मुताबिक मैने सैक्टर नम्वर दिया था, नाम नहीं दिया था । इसके अलावा जो डी०डी० पुरी की कार को इस्तेमाल करने या और जो दूसरी बातें हैं उनको कहने के लिए आपने पांच मिनट का टाईम उन्हें दिया जिस में उन्होंने सब कुछ बता दिया । आपने भी कहा कि यह बात बडी संसेशनल है, मुझे उम्मीद है कि चौधरी साहिब इसके लिए मुझे एक्सक्यूज करेंगे ।

Mr. Speaker: I think the hon. Member is utilizing the opportunity (laughter).

मुख्य मंत्री : स्पीकर साहिब, अपोजीशन को झूठे बहाने खूब वनाने आते है' ।

चौधरी रणबीर सिंह : एक दफा अपने. दिल की भड़ास निकाल लें, अपनी हार को छिपा लें, इस वात में कोई हर्ज की बात नही है ।

BILL

THE HARYANA APPROPRIATION BILL, 1969

Mr. Speaker : Hon. Members, a Minister is to introduce the Haryana Appropriation Bill, 1969.

Finance Minister (Shrimati Om Prabha Jain) : Sir, I beg to introduce the Haryana Appropriation Bill.

Finance Minister : Sir, 1 beg to move--

That the Haryana Appropriation Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved-

That the Haryana Appropriation Bill be taken into consideration at once.

राव बीरेन्द्र सिंह (अटेली) : मुअजिज स्पीकर साहिब, इस हाउस का माहौल पिछले दो रोज में खासा दुखदाई रहा । उसके वाद आज जबकि एप्रोप्रिएशन बिल सरकार ने पेश किया वह भी एक खास हालात में पेश हुआ ।

(उपाध्यक्ष महोदया पीठासीन हुई) अपोजीशन के चार मैम्बर अभी भी ससपैन्ड हैं और सरकार अपोजीशन को माईनारिटी में रिडयूस करके अपना एप्रोप्रिएशन बिल पास कराना चाहती है....

मुख्य मन्त्री : माईनारिटी में मेजारिटी से ही रिड्यूस हुए है' ।

राव बीरेन्द्र सिंह : डिप्टी स्पीकर साहिबा, इन हालात में यह कहना मुनासिब होगा कि यह सरकार धक्के के साथ, हरियाणा की जनता के साथ धक्का करके, जबदंस्ती एक गलत तरीका अख्तियार करके एप्रोप्रिएशन बिल को पास करना चाहती है ।

एक सदस्य : जनता ने फैसला दिया है ।

राव बीरेन्द्र सिंह : घबराते क्यों हो. चन्द दिनों में सामने आ जाएगा । खैर, डिप्टी स्पीकर साहिबा, अच्छा होता यदि सरकार आज के दिन कुछ सही तरीके अख्तियार करके, जनता के अन्दर अपने लिए कोई कानफिडेन्स पैदा करके, कोई अच्छा कदम उठा कर, इस इजलास की कार्यवाही शुरू करती? मैं समझता हूं कि अपोजिशन के त्रिए यह बात इससे पहले भी नामुनासिब थी कि सरकार जनता के नुमायदों को ऐसे एक इम्पोंटैटं मंजर के ऊपर हाउस में बैठने से रोक दे धक्का करके और उसके बाद हम इस हाउस में बैठ कर सहयोग दे सरकार को जौर इस एप्रोप्रियेशन बिल के ऊपर डिसकशन हो । लेकिन आज जो नया वाक्या हमारे समाने है, जो यह नई, एक सैन्येशनल, एक शौकिंग बात, श्री जोगिन्द्र सिंह ने सुनाई है, उसके बाद तो में समझता हूं कि न

जनता में सरकार के लिए विश्वास रहा और न अपोजीशन ही सरकार के अन्दर कतअन, कोई विश्वास रख सकती है।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, यह एक वाक्या है जिस तरीके से इस हरियाणा की छोटी ही स्टेट मे' ला एण्ड आर्डर चलाया गया । पिछले कुछ महीनों के अन्दर एक मैंबर को गिरफ्तार किया, दूसरे को दबाया, तीसरे के वांरट हासिल किए और झूठा मुकद्दमा बनाया, एक कालेज में पुलिस और अफसरों की मदद से जमने की कोशश की गई, दूसरे कालेज को पुलिस और अफसरों की मदद से भंग करने की कोशिश की गई इस्टिच्यूशंज को खराब किया गया, एक मैम्बर को खुश करने की खातिर उसके हलके की दूसरी कोआप्रेटिव सोसाईटी को खत्म कर दिया, चौधरी नेकी राम के लिए एक काम हुआ तो किसी दूसरे के लिए कोई दूसरा काम किया गया । हाई कोर्ट में रिट चल रही है । गवर्नमेंट को नोटिस इशु हुआ और सुनाहै' स्टे आर्डर भी हो गए है' । रोजाना हाई कोर्ट के अन्दर रिटस हो रही है । इस गवर्नमेंट के खिलाफ लेकिन सरकार के कान पर जू तक नही रेंगती । और आज हालात सामने आए कि हाउस के एक ओनरेबल मैम्बर को एनटाइस करके उसके मकान से झूठ बोलकर कि उसकी माता जी और बहिन जी बुला रही है (विरोधी दल की ओर से शेम, शेम की आवाज) ले जाया गया और उसको कुछ लोगों ने चीफ मिनिस्टर की कोठी पर पेश किया, उसके बाद उसको उसकी मर्जी के खिलाफ 4–5 दिन गैर हाजिर रखा और हमारी सरकार कहती रही

कि हमें डस चीज का कोई इल्म नहीं । चीफ मिनिस्टर साहिब ने व्यान देने से इन्कार किया और उसी मामले में हम अपोजीशन वाले जब हाउस में आवाज उठाते है' तो हमारे चार मैम्बरों को सस्पेंड कर दिया जाता है । डिप्टी स्पीकर साहिबा, हरियाणा स्टेट के अन्दर ऐसे हालात हों, एक मैबंर के साथ यह हो और एक ऐसे शहर मे हो, जो तीन स्टेटों की राजधानी हो, जहां पंजाब की भी हकूमत हो, हरियाणा की भी हकूमत हो, दो दो राज्यपाल और एक चीफ कमिश्नर हो, तो आपही बताईए कि हरियाणा के अन्दर क्या कोई शहरी आजादी महसूस कर सकता है? किसी की फ्रीडम सेफ है? ऐसे हालात में तो सिर्फ एक ही चीज रह जाती है कि इस सरकार को हरियाणा का रूल करने का कोई हक नहीं ।.. (विघ्न).. । डिप्टी स्पीकर साहिबा, यह गवर्नमेंट is sick child of sikening Congress politics in India. इससे ज्यादा यह कुछ नही । (विघ्न)... हरियाणा की स्टेट को अगर बनाना हो तो इस मरकाह को जाना पड़ेगा । जनता की आवाज अगर सुननी हे तो इस सरकार को जाना होगा, जनता को यदि इन्साफ देना. है तो इस सरक। र को जाना होगा, इस सरकार को यहां से निकलना होगा । डिप्टी स्पीकर साहिबा, हरियाणा के बडीन्ग रोज के अन्दर इस सरकार का कैन्सर जव तक रहेगा तब तक यह फूल कभी व्लोसम नहीं कर सकेगा । ।.... (विघन).... ।

एक सदस्य : जनता ने तो कांग्रेस के हक में ही फैसला दिया है ।

राव वीरेन्द्र सिंह : डिप्टी स्पीकर साहिबा, जनता का फैसला, अगर आज इलैक्शन हो, तो पता चले । ये जो बड़े जोर शोर से बोलते हैं ये तो इन भाईयों की मेहरबानी से च्रुने गये है' जो यहां बैठे है' और जो इनके लीडर थे (कांयेस को छोड़कर आए हुए असन्तुष्ट कांग्रेसियों की रुपलाल महता आदि की तरफ इशारा)....(विघ्न)....मैं तो पहले भी आपोजीशन में आपके मुकाबिंले में बोलने के काबिल था । डिप्टी स्पीकर साहिबा, आज मै' ज्यादा कुछ न कहकर सिर्फ इस बात की मांग रखन चाहता हूं कि हरियाणा की 70 फीसदी से ज्यादा जनता आज उन लोगों के पीछे है जो आपोजीशन में बैठे हैं । 80 फीसदी वोट ये पहले लेकर आए थे । 10 और 20 फीसदी हरियाणा के लोग बाकी लोगों के साथ हैं जिन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया या यों कहिए कि कांग्रेस को तिलांजलि दे दी है । इस लिए, अगर जनता के हाथ इन्साफ करना है तो मैं चौधरी बंसी लाल जी से अर्ज करूंगा..... वे शायद जानते थे कि मैं क्या अर्ज करूंगा । चीफ मिनिस्टर बनने से पहले तो वे इतने बुरे आदमी नहीं थे....

कांग्रेस की तरफ से कुछ सदस्य : वे अब भी बुरे नहीं हैं ।

11.A.M.

राव बीरेन्द्र सिंह : उनको शायद इस बात की शर्म थी कि जायज बात को इन्कार नहीं कर सकूंगा, इसलिए उठकर चले गए । खैर, आज अगर इस मामले में गैरजानिबदा– राना तरीके से इनक्वायरी हो और कसूरवार को सजा मिले, खवाह वह चीफ मिनिस्टर हो,

चाहे मिनिस्टर हों या उनके रिश्तेदार हों, तभी जनता के अन्दर विश्वास पैदा हो सकता है इसके लिए जरूरी है कि चीफ मिनिस्टर तत्काल इस्तीफा दे दें ताकि इन्क्वायरी ठीक ढंग से पूरी हो सके । अगर चीफ मिनिस्टर साहिब, इस गम्भीर बात पर भी इस्तीफा नहीं दे ते, तो हरियाणा की जनता शायद उनको मजबूर करे । डिप्टी स्पीकर साहिबा आज वाक्यात इस बात का तकाजा करते हैं कि यूनियन टैरेटरी के अन्दर एक ऐसा क्राईम हो, जनता के साथ यह ज्यादती हो चौहान साहिब होम मनिस्टर है, बड़े जबर्दस्त आदमी हैं । मैं उनका बड़ा अहतराम करता हूं । उनकी हकूमत हो यहां पर और फिर यहां एक एम ० एल ० ए० का पता न लगे । इस चण्डीगढ एडमिनिस्ट्रेशन को शंक किया जाना चाहिए । अगर इन हालात में चौहान साहिब इन्साफ नहीं दे सकते, हरियाणा की जनता को, तो इस गवर्नमेंट को मैं समझता हूं डिसमिस करना चाहिए । गवर्नर साहिब को इस गवर्नमेंट के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए । जब तक यह कार्यवाही पूरी नहीं हो जाती और लोगों को इन्साफ नहीं मिलता है । इस सरकार का इन बैन्चिज पर बैठने का कोई हक नहीं है (तालियां) । जब तक जनता को इन्साफनही मिलेगा और यह इन्क्वायरी पूरी नहीं हो जाती, तब तक हमें यह विश्वास पैदा नहीं हो सकता कि हरियाणा में रूल आफ ला चलेगा । हरियाणा के अन्दर यह गैगस्ट्रिजम नहीं चलेगा । मैं तो अपनी तरफ से कह सकता हूं और मैं समझता हूं कि हमारे साथियों के सब के जजबात यह हैं कि हम ऐसी सरकार के साथ इस हाउस में बैठना जुर्म को बात समझते हैं । हम इस

सरकार के साथ कोआप्रेट करने के काबिल नहीं, क्योंकि एक आनरेबल मेम्बर सरकार पर यह इल्जाम लगाए ।

श्री बनारसी दास गुप्ता : डिप्टी स्पीकर साहिबा, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है । मैं आप से यह जानना चाहता हूं कि क्या राव साहिब एप्रोप्रियेशन बिल पर स्पीच कर रहे हैं या किसी और चीज पर ।

मलिक मुख्तियार सिंह : डिप्टी स्पीकर साहिबा, ये हमें स्पीच करना सिखायेंगे, इनको यही पता नहीं है कि बोल सकते हैं यह नहीं । (कुछ सदस्यों की और से विघ्न)

राव बीरेन्द्र सिंह : आप को यही पता नहीं है कि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की डिमांड है । इस पर हैम बोल सकते हैं ।

वित्त मन्त्री : डिप्टी स्पीकर साहिबा, जैसा कि कल स्पीकर साहिब ने कहा था कि जो डिमांड हाउस में रखी जायें उन्हीं पर बहस हो सकती है । राव साहिब बोलने का मौका पहले भी ले चुके हैं और बार बार उसी बात को दोहरा रहे हैं । मैं समझती हूं कि हाउस का टाईम जाया नही करना चाहिए । जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का जो सबजैक्ट दिया हुआ है उन्हीं पर बोल सकते हैं हाउस के सामने ला–एण्ड–आर्डर के बारे में कोई डिमांड नहीं रखी गयी है । इस लिए इस पर नहीं बोल सकते ।

राव बीरेन्द्र सिंह : आप तो पांच करोड़ रुपया मांग रही हैं । आप तो इस हरियाणा से पांच पैसे की भी हकदार नहीं है ।

वित्त मन्त्री : डिप्टी स्पीकर साहिबा, ला–एण्ड–आर्डर के लिए एक पैसा भी नहीं मांगा गया है ।

राव बीरेन्द्र सिंह : पुलिस के लिए आपने इसमें कुछ नहीं मांगा ।

वित्त मन्त्री : डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैने बताया कि पुलिस के लिए हमने कुछ नहीं मांगा ।

राब बीरेन्द्र सिंह : आज नहीं मांगा है तो कल मांग लेंगी ।

उपाध्यक्षा : ला–एण्ड–आर्डर पर बोल सकते हैं ऐसे हाउस के रवायात हैं ।

राव बीरेन्द्र सिंह : डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैने हाउस के जजबात, अपोजीशन के जजबात आपके समाने रखे । मुझे विश्वास है ट्रेजरी बैन्चिज पर भी बहुत से नेक दिल आदमी हैं । उन में बहुत लोग ऐसे हैं जिनकी अच्छी जमीर है जैसे मित्तल साहिब हैं । अभी तशरीफ लाये हैं, खां साहिब है' । फरिश्ता सरित हैं, चौधरी रणबीर सिंह जी है, चौधरी जगदीश चन्द्र जी हैं । मैं यहां किस किस का नाम बताऊं और भी बहुत से भाई बैठे हैं । अगर मैं किसी और भाई का नाम बताऊंगा तो आज शाम से उनको ये रोकना शुरू कर देंगे । इसलिए मैं ज्यादा नाम नहीं ले सकता । खुरशीद अहमद जी, आपको कौन नहीं जानता । आपका नाम भले आदिमयो में कैसे लूं? डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं उम्मीद करता हूं कि इन हालात में और इन वाक्यात में जब तक हमें यह विश्वास

न हो कि हरियाणा में खाह रूल एक दिन का हो खाह एक महीने का हो.... (विघ्न)

चौधरी जगदीश चन्द्र : डिप्टी स्पीकर साहिबा, प्वायंट आफ इन्फर्मेशन । मैं यह इन्फर्मेशन चाहता हूं इन भले आदमियों से क्या आपको कुछ उम्मीद नहीं है?

राव बीरेन्द्र सिंह : हमें तो बहुत उम्मीद है आप का मैने पहले नाम लिया हे । आप से उम्मीद थी तभी तो आपका नाम लिया है । डिप्टी स्पीकर साहिबा, मुझे तो पूरा विश्वास है जो हरियाणा के नुमायन्दे उधर बैठे हैं इस किस्म के व्यवहार को बहुत जोरो से कन्डेम करेंगे और प्रोटैस्ट करेंगे, जिन तरीकों से, जिस ढंग से स्टेट के अन्दर गैगंस्ट्रिजम चल रहा है । इसको खत्म किया जाना चाहिए और इसके खत्म करने का एक ही तरीका है । वो ऐसी नाजायज हरकत करने वाली सरकार का साथ छोड़ दें और वे अपोजीशन के साथ मिल कर हरियाणा की जनता के जख्म पर कुछ मरहम लगाये । यहां की एडमिनिस्ट्रेशन को टोन अप करने के लिए कोई सेवा के काम करें । इ स सरकार के हथकण्डों को खत्म करें और अपनी तरफ से इस सरकार को मुस्तैदी होने के लिए मजबूर करें । इन शब्दों के साथ, में, डिप्टी स्पीकर साहिबा, यह अर्ज करना चाहता हूं कि जब तक इस मामले की पूरी छानबीन बिल्कुल गैरजानीबदाराना तरीके से सरकार के दबाव के बगैर नहीं हो सकती, जब तक यह सरकार कायम है, इस सरकार के कायम होने की वजह से. चण्डीगढ में इतना बड़ा जुल्म हो और

एक आनरेबल मैम्बर का पता नहीं चले । डिप्टी स्पीकर साहिबा, श्री जोगिन्द्र सिंह ने जो वाक्यात हम लोगों को लाबी के अदर बताऐ हैं, टाईम थोड़ा है मैं बता नहीं सकता लेकिन इनको लोगो के लिए कारों के अन्दर ले जाया गया ताकि इनको कोई पहचान न सके । इनकी शेर जैसी बड़ी बड़ी मूछें थीं, बेहोश करके इनकी मूछें साफ कर दी गयी । इनका वो रोबदार चेहरा ट्रेजरी बैन्चिज का कोई .मैम्बर उनकी तरफ देख नहीं सकता था । इन की मूछें साफ कर दी गयी और इधर पुलिस के वायरलेस खड़क रहे हैं कि इनको कोई सड़क पर पहचान न ले यह हालत है आज के एडमिनिस्ट्रेशन की । मैं डिप्टी स्पीकर साहिबा, इस किस्म से हाउस के सामने ये बातें आना, यह कोई मजाक नहीं है । ये ट्रैजरी बैन्चिज वाले आग खेल रहे है' । इन्हें मालूम नहीं है कि बालकोनी पर बैठे हुए हैं । इन्होंने जो यह रवैया अख्तियार किया है बहुत बेहया है । (हंसी) डस किस्म की बातों पर हंसते है' और ये गलत ब्यान देते हैं और कहने है' कि यह जो चिट्ठी भेजी गई है वह अपोजीशन की तरफ से आयी है । यहां पर आनरेबल मैंम्बर, ने कहा है कि चीफ मिनिस्टर ने मेरे से दस्तखत कराये हैं यह सवून मौजूद है ।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, जिस रोज आनरेबल मेम्बर को अगवा किया जाता है हरियाणा की गवर्नमैंट हरियाणा सरकार के कर्मचारियों पर मुझे अफसोस आता है कि वे रातों रात सैक्रेटेरियेट से उसका लाईसैन्स इशु करते हैं । आम आदमी लाईसैसं लेने के लिए

महीनों फिरते रहते हैं । डी० एस०पी ०, एस ० पी०, डी० सी० के पास उस को धक्के खाने पड़ते है' नब भी लाईसैसं नहीं मिलता । पहले जब आनरेबल मेम्बर अपनी हिफाजत के लिए लाईसैंस मांगते हैंतो इस सरकार ने उसको लाईसैंस देने से इन्कार कर दिया । उसने अपनी हिफाजत के लिए पुलिस नहीं मांगी अपनी हिफाजत खुद करना चाहता है । मैने पर्सनली चीफ मिनिस्टर साहिब से दरखास्त की लेकिन फिर भी उसकी पिस्तौल का लाईसैंस नहीं दिया गया । मैने उन से कहा कि इनकी जान की हिफाजत का जिम्मेदार कौन होगा । जब आप से वो पुलिस नहीं मांगता है तो उसको हथियार का लाईसैंस दें लेकिन चीफ मिनिस्टर साहिब ने इन्कार कर दिया । ये बातें पिछले सैशन की हैं और उन्होंने उनका रिवाल्वर का लाईसैस रिजैक्ट कर दिया । यह हालत है कि उस दिन रात को ही चीफ मिनिस्टर साहिब लाइसंस उनके सुपुर्द कर देते हैं । इस तरह से यह गवर्नमेंट चल रही सै । यह सरकार चलाने का तरीका है । ये सरकार के कर्मचारी हैं जो इस तरीके से इनके हाथों में खेलते हैं और कांस्टीच्यूशन का मजाक बनाया हुआ है । सरकारी अफसरों को अपने हाथ में कठपुतली नाच बनाया हुआ है । डिप्टी स्पीकर साहिबा, हिन्दुस्तान देख रहा हूँ, हरियाणा की जनता देख रही है कि हरियाणा में इतना बड़ा अन्याय हो रहा है और हरियाणा के साथ तो भगवान भी नाराज हैं । हरियाणा की जनता को भगवान की तरफ से भी सजा मिल रही है । एक तरफ यह अन्यायी सरकार और दूसरी ओर ईश्वर के यहां से ना बारिश हे, न बीजाई है, न बिजली हूँ, न पानी है, न

इन्साफ है, न अफसरों की जमीर रही है और न इन मैम्बरों के अन्दर जमीर रही है । डिप्टी स्पीकर साहिबा, ऐसे हालात में मैं समझता हूं कोई भी महफूज नहीं रह सकता ।

श्रीमती चन्द्रावती : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, मैडम । डिप्टी स्पीकर साहिबा, इस तरह से सारे हाउस को और अफसरों को कन्डेम करना मैं समझती हूं कि राव साहिब जैसे जिम्मेवार मैम्बर के लिए शोभा नहीं देता । It is the contempt of the whole House.

राव बीरेन्द्र सिंह : मैने तो सच्चाई अर्ज को है, वाक्यात सामने पेश किये हैं, आनरेबल मैबंर को रातों–रात दस्तखत करके लाईसैस दिया गया । रात को सैक्रैटेरियेट खुलते हैं क्या और कभी सैक्रेटेरियेट से भी लाइसंस इशु होते हैं? कितना सस्ता इन मैम्बरों को समझ लिया गया है कि रात को लाइसैंस दे कर खुश कर लो । इस तरह से इस हाउस की तौहीन और इस हाउस के आनरेबल मैम्बरों की तौहीन यह सरकार करती है । क्या आप दो दो चार चार मैम्बरो को अगवाह करके या उनको जबरदस्ती बाहर रखके उनकी जमीर खरीद सकते हैं?. मुझे फख होता है यह बात कहते हुये कि चौधरी जोगिन्द्र सिंह जैसे भी जमीर वाले मैम्बर हैं जो कि इस हाउस की शान को बढ़ाते हैं । अगर हमारे अंदर कोई कमी है तो ऐसे मैम्बरों की होंद से वह कमी भी दूर होती है और यह हाउस इज्जत का हकदार बनता है । डिप्टी स्पीकर साहिबा, जो वति मैने अर्ज की हैं यह एक इवेंट नहीं है, इस किस्म की

इवेंट्स को चेन है जिस से हरियाणा सरकार की पालिसी का पता चलता है । जिस से हरियाणा सरकार ने जो डीमारेलाइजेशन गवर्नमंट एम्पलाईज की कर रखी है उसका पता चलता है। डिप्टी स्पीकर साहिबा. आप मानेंगे मेरा बात को कि हरियाणा का गरीब आदमी यह उम्मीद नहीं रख सकता कि वह आजादी से अपनी आवाज उठा सकता है । अगर एक मैम्बर हाउस के कैम्पस सै उठाया जा सकता हूँ तो कौन गरीब किसान, इंडस्ट्रिएलिस्ट या ट्रांस्पोर्टर इन के पास अपनी जमीर बेचने से बच सकता है । कारखानेदार जब तंग होगा तो क्यों न वो पैसे दे के सरकार की खातिर सब कुछ करने के लिये तैयार होगा? तो इन वाक्यात के पेशेनजर अपोजीशन की तरफ से और हरियाणा की गरीब जनता की तरफ से जो कि 70 फीसदी के नुमांयदे हैं हमारी सब की यह मांग है और आप भी गवर्नर साहिब को कहें कि जब तक यह वाक्यात खत्म नहीं हो जाते, जब तक अदालत इन की जांच नहीं कर लेती तब तक चीफ मिनिस्टर साहिब कौ अस्तीफा दे देना चाहिये । फिर देखिये क्या होता है? गांधी के नाम पर राज करने वालों का और उनका मान बढ़ाने का एक ही तरीका हूँ और वह यह है कि कुर्सियों पर ही चिपके रहने की खातिर मत इस तरह के काम करो । यह मेरी इन से दरखास्त है । डिप्टी स्पीकर साहिबा, इन्होंने अपनी तरफ से कोई मैम्बरो हमें अपनी तरफ से नहीं दिया, आज भी यह अपनी मैजोरिटी कौ बढ़ा कर, मैम्बरों को भगा कर अगर यह बजट पास करना चाहते हैं तो हम इनको सहयोग नहीं देगें । हम भारत सरकार और हरियाणा के गवर्नर के

आगे यह मांग रखेंगे कि तब तक हरियाणा की सरकार की किसी कार्यवाही के अंदर हमारा कोई सहयोग न समझा जाये जब तक कि जो बातें मैने कही हैं उन की जांच नहीं करवा ली जाती ।

चौधरी रणबीर सिंह (किलोई) : उपाध्यक्ष महोदया, इस विनियोग विधेयक में जितनी मांगे रखी हैं और जिन विषयों के बारे में रखी है' उन पर मेरा बोलने का कोई विचार तो नहीं था लेकिन विरोधी दल के नेता. ने बजाये कोई कंस्टूक्टिव सुझाव देने के यहां पर एक ड्रामा सा खेलने की कोशिश की है इस लिये मुझे कुछ कहने की जरूरत पड़ी है । मैं डिप्टी स्पीकर साहिबा, आप से आज्ञा चाहूंगी कि आप हमें भी छूट दें ताकि हम उनकी बातों का जवाब दे सकें । यह एक मामूली सी मांग है, जब विरोधी दल के नेता को पूछा गया कि यह कौन सी डीमांड है तो वह बता नहीं सके हालांकि मांग इसमें मौजूद है । इससे हिसाब लगाया जा सकता है कि हमारे विरोधी दल के नेता कितना पढ़ कर आते हैं । खैर इस तरफ मैं और नहीं जाना चाहता । डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैने पहले भी इस सिलसिले में कुछ कहा था और अब फिर कहता हूं कि आज जिस तरह से यह ड्रामा किया गया यह सदन से बाहिर बैठे हुये कुछ दोस्तों के प्लैन की एक कड़ी है । इन की एक लगातार साजिश है और वह इस सदन को भंग करना चाहते हैं । इस लिये तरह तरह के ड्रामे वह आज जनता के सामने रख रहे है' । कौन नहीं जानता कि संयुक्त मोर्चा की सरकार के वक्त में उन्होंने कैसे ड्रामे किये थे, इस भवन के दूसरे हिस्से में किस

तरह से उस सदन के सदस्यों को पर्चियां डालने की इजाजत न दी और सरदार बलदेव सिंह जो डिप्टी स्पीकर बने थे उन को पर्ची डालने की इजाजत नहीं दी गई थी? लोग जानते है' कि संयुक्त मोर्चे के भाइयों में कितनी सच्चाई है । विरोधी दल के नेतागण अगर हमें कोई बुराई देते तो हम समझते उनका हक है ऐसा करने का और उनकी आदत भी कुल । लेकिन यह मैं नहीं जानता था कि वहू अपने ही एक मेम्बर के बारे में कहानी निकाल लायेंगे । उन्हेंने यह बताया कि असैम्बली के एक मेम्बर ने केवल एक रिवाल्वर का लाइसैंस लेने के लिये यह लिख कर दे दिया कि मैं अपनी पार्टी छोड़ कर कांग्रेस में आ जाऊंगा । मैं समझता हूं कि कोई मेम्बर भी सिर्फ लाइसैंस लेने के लिये इतने नीचे स्तर पर नहीं आ सकता । (विघ्न)

राव बीरेन्द्र सिंह : आप समझे. ही नहीं ।

चौधरी रणबीर सिंह : आज हम को कहते है कि हमारी गिनती उन से कम है आज तो अच्छा मौका मिला था आपको इम्तहान देने का और जिस वक्त आप के चारों साथी हाजिर थे जिस वक्त यह प्रस्ताव रखा गया था कि चार सदस्यों को सदन के बाकी दिनों के लिये निकाला जाये उस वक्त ताकत आजमाई हौ जाती । प्रजातर के अंदर हार को हार मानना ही अच्छा होता है । प्रजातंत्र में हार को हार मानकर ड़ामा करने से हार जीत में नही तबदील हो सकती । मैं राव साहिब से कहूंगा कि राव साहिब आपने जब पिछले सदन की बैठक चल रही थी तो सदन में उस वक्त बड़े

जोर से ऐलान किया गया था कि हम किसी को दल बदलने के लिये अबैटमेंट नहीं करेंगे कि वह अपना दल छोड़ करके दलबदलू हो जाये । मैं देख रहा हूं कि आज भी वह हाथ हिलाते हैं कि बिल्कुल नहीं करेंगे । आप भी जानते है' मैं भी जानता हूं कि विरोधी दल के नेता राव बीरेन्द्र सिह हैऔर चुने हुये हैं लेकिन इससे फालतू' अबैटमेट और क्या हो सकती कि नेतागीरी भी छोड़कर दुसरे साथी को देने के लिये तैयार हैं. (विध्न). उसको कहते कि वह नेता बन जायें तो और क्या अबैटमेंट होती है? अगर कोई न्यायधीश जांच क रे तो मानना पड़ेगा दु:ख के साथ कि वह राव साहिब को दोषी ठहरायेगा । वह माने या न माने लेकिन इससे बढ़ कर कोई और वड़ा परलोभन नहीं हो सकता कि.. (विघ्न)... यह तो मुझ को मालुम है क्या मैं' उसको नहीं जानना चाहता । हरियाणा के लोग जानते है कि सदस्यों को भगाने की बिमारी किसने शुरू की, कहां से यह चली है और कौन भगाता है इन सदस्यों को ।

श्रीमती शकुन्तला : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर । पहले चौधरी साहिब ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया था कि कौन से नम्बर पर बोल रहे हैं । अब हमें इन का पता नहीं लग रहा है कि यह कौन से नंबर की डिमांड पर बोल रहे है'।

उपाध्यक्षा : यह आपका कोई प्वायंट आफ आर्डर नहीं है । आपको स्पीच को समझने के लिये अलर्ट रहना चाहिए ।

चौधरी रणबीर सिंह : उपाध्यक्ष महोदया, मेरी बहन हैं मुझ को गिला नहीं कि वह समझी नहीं हैं और उन को कोई एतराज हो गया । मैं उनको बता दूं कि मैं व्यवस्था के प्रश्न पर नहीं बोल रहा हूं वह अब समझ लें कि मैं मांगों पर बोल रहा हूं । बडे करीव से बोले थे उनके नेता और उन्होंने तो कोई मांग नम्बर नही बताया था मै ने तो मांग भी बताई है । फिर भी अगर मुझ को दोषी ठहराती है तो कोई बात नहीं वह बहन है' बहन भाई से प्यार भी करती है और कई बार गलत वात भी कह देती है । बहन के नाते मुझे उन पर कोर्ट गिला नहीं है बेशक वह मुझे दोषो ठहरा सकती हैं.. (विघ्न) अगर वह जानना चाहती हैं तो मैं फिर मांग का नंबर भी बता दूंगा एक मिनट में । नौ नंबर को मांग हु (एक आवाज : दस है) (हंसी) दस नहीं दस में तो वह भाई कमरे में बैठे थे । वह कहने थे कि वह वहां दस नंबर के कमरे में गये थे । पहले हम कभी गये थे जव अंग्रेरु का साम्राज्य था और उस वक्त दूसरे भाई जो हैं अंग्रेजों के हिमायती थे । उस दस हम दस नंबर में थे आज दस नंबर में नहीं हैं..... (विघ्न)..... आप भी हमारे साथ दस नंबर में थे और आज भी आप दस नंबर बनने की कोशिश में हैं तो हम को तो आप पर रहम ही है । तो उपाध्यक्ष महोदया, यह गिनती की बात करते हैं और कहते हैं कि उन के चार सदस्य बाहर रख कर मांगों को पास करना चाहते हैं । एक बात तो कबूल कर लें कि वह कम हैं । एक नेता इन के ही विरोधी दल के एक नेता खुद मान गये कि वह कम है और राव बीरेन्द सिंह जी उसे टोकते थे कि नहीं तुम गलत कहते हो

लेकिन मैं उन से कहना चाहता हूं सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलो से .. ... मैं कवि नहीं हूं और .मैने कविता कभी कहीं नहीं है लेकिन राव साहिब के ड्रामा ने आज मुझे कुछ कविता कहने का भी मौका दे दिया....... (विघ्न). .. इन्होंने कहा कि वह ज्यादा तादाद में हैं । खैर गिनती भी हो ली और सब ने देख ली । चौधरी मुख्तियार सिंह जी वैठे. है लेकिन उन के साथी मंगल सैन जी चले गये जो बड़े जोर जोर की आवा६ में नारा लभा रहे थे कि बह 28 तारीख को इस सरकार को फैंक देंगे । बड़े वड़े सरकारी कर्मचारी भी कागज जरा दबाते थे कि पता नहीं शायद 28 को कुछ हो जाए । खैर चार तारीख को गिनती हुई तो विरोधी दल 12 राये से हार गये और अगले दिन फिर गिनती हुई तो 13 से हार गये और कल तो भाग ही गये मैदान से । और इन के नेता जो बाहर बैठे हैं कहते हैं कि संयुक्त मोर्चा का राज आ रहा है । ठीक है आ रहा होगा लेकिन एक बात मैं मान सकता हूं उनकी कि जो जाल उन्होंने बिछाया था उस जाल में राव बीरेद्र सिंह और चौधरी मुख्तियार सिंह फंस रहे हैं । राज उनका तो आ नहीं सकता है लेकिन अगर पहते की तरह सारे ही मैम्बर खड़े हो जायें और कोई न बात करने दें और न कुछ सुनने दें तो राष्ट्रपति का शासन आ सकता है अगर वह चाहें तो । लेकिन उस से इन को डर भी लगता हूँ (हंसी) क्योंकि उस का तजरुबा देखा । उन का राज रहता तो यह समझते थे कि पर्चियों में बड़ी आसानी से शायद हेरा फेरी करके जीत जाते..... (विध्न).. आज हमारे विरोधी दल के नेता संयुक्त मोर्चे की बातें करते हैं और उस

की अच्छाइयों की बातें करते है और कांग्रेस की बुराइयों को बताते हैं । लेकिन यह बताते हुए मेरा सिर शर्म से नीचा न होता कि हरियाणा के सब से बड़े क्रातिंकारी पंडित मांगे राम जी मडोठी के रहने वाले थे । उपाध्यक्ष महोदया, विरोधी दल के नेता जब मुख्य मंत्री थे तो इस हरियाणा प्रदेश में एक उप–चुनाव हुआ था । जिस आदमी ने 12 साल देश की आजादी के लिये जेल में काटे और हमेशा अपनी जिदगी को हथेली पर लिये पिरे उस की उस उप–चुनाव में पर्ची न डालने दी जावे इस से बुरी बात और क्या हो सकनी हूँ । मै किसी गरीब हरिजन की बात नहीं कहता किसी गरीब व्यापारी की बात नहीं कहता मैं उस क्रातिकारी की बात कहता हुं जिस ने चौधरी सर राम के खिलाफ चुनाव लड़ा था जब कि अंग्रेज का राज था और अंग्रेज का राज जमींदार लीग की हिमायत में था । आप देखें जो आदमी उस वक्त भी चुनाव लड सका बह आदमी हमारे विरोधी दल के नेता के राज में पर्ची न डाल सका । ऐसा राज वह हमें देना चाहते हैं और उस का डरावा हमें देना चाहते हैं । प्रजातंत्र में हार भी होती है और जीत भी होती है । मै एक महंत बाबा जी से हार गया था क्योंकि पर्ची का सवाल कप और हार कबूल को और हार हो जाए नो कबूल करनी चाहिए । मैं कोई याचिका वाचिका लेकर कहीं नहीं गया, समझा लोगों ने हरा दिया तो ठीक है लोग जिता दें तो ठीक है । मैं राव साहिब का मशकूर ह कि मेरा नाम नहीं लिया लेकिन हमारी सव की तरफ इशारा कहा कि उधर बैठे भाई उन की मदद से जीते हैं । जितने भाई उधर बैठे है‘ उन की हमने सिफारिश की

थी तो टिकट मिला तो वह जीते । हमें कैसे बनाने वाले आ गये वह । जिन भाइयों का नाम लिया है उन सं पहले हम सदन के मेंबर बने थे हम ने बनाया था उन को । यह ठीक है चौधरी चांद राम जी ने 1967 के चुनाव मे मेरे ऊपर मेहरबानी की थी और वह मेरे साथी थे और हमारे मंत्री थे और पंडित भगवत दयाल मुख्य मंत्री थे लेकिन न ही पंडित भगवत दयाल और न ही चौधरी चांद राम की ही हिमायत मुझे उस वक्त बचा सकी और न ही मेरी अपनी हिमायत मुरके बचा सकी और मैं एक बाबा जी के मुकाबले में साढ़े आठ हजार वोट से हारा । ठीक हूँ लोगों के अख्तियार की बात है और इस में कोई बात नहीं है और इस बार मैं चौधरी चांद राम जी की मुखालफित से भी जीत आया । हां इस । लिये तो मैं कहता था. .... (विघ्न)..... इन्होने इश्तहार दिया था जब वह उप– मुख्य मंत्री थे और फिर भी हार गया लेकिन अब इस इश्तहार से जीत गया । अब की बार इशत हार का इतना असर हो गया है न जाने भगवान ही मदद– पर आ गया और आसमान टूट कर गिर गिर होगा । एक बात मै जरूर कहता हूं कि हार को हार मानना कबूल करे । हम को कहते है. कि हम राष्ट्रपति शासन से डरते है हम नहीं डरते हैं । आप के नेता आप को उसमें धकेल रहे है । भै कहता हूं कि इस धोखे से बचो अगर बचना चाहते हो । कल जो कुछ विरोधी नेताओं ने काम किया है वह बहुत समझ का काम किया क्योंकि इस काम ने प्रदेश को राष्ट्रपति राज के मुंह में जाने से रोक किया पता नहीं कितने दिनों तक रोके रखेंगे । आज फिर उस जादू का असर हो गया मुझे ऐसा मालूम पडता

है । मै जानता हुं कि कई 'भाई इसके साथ सहमत होंगे, मे उन भाईयों का नाम नहीं लूगा क्योंकि प्रजातन्त्र में बड़ी बड़ी बातें होती है । प्रजातन्त्र में बडे बड़े दरखत उखड़ जाते है, इन का तो क्या क्हना । पहले हम भी इसी तरह उखड़े थे और फिर उखड़ कर लग गये । लेकिन जो दूसरे भाई नये नये लगे हुए हैं, जिनको विशेष जानकारी नही है, वे शायद एक ही आंधी के झोंके से उड़ जायेंगे, एक छोटी सी आंधी ही उन के लिए काफी है । इस लिए मैं उन भाईयों से कहता हूं कि वे इस आंधी से बचें और देश को जो हम लोग धोखा दे रहे हैं उसे अवाईड करें । मैं राव साहिब से कहना चाहता हूं कि हरियाणा में 1968 के चुनाव में देश को अच्छा रास्ता दिखाया मै समझता हूं कि यह सही रास्ता था, न जाने वह रास्ता गलत था या सही, उसके बाद देश में एक आंधी आई जसका असर लोगों पर पड़ा और उसके साथ ही एक और आंधी आई । हमने लोगों को उस आंधी में सही रास्ता दिखाया । राव साहिब कहते है कि हम आठारहवी सदी में बदल गये हैं । ले किन हम ने जनता को तो रास्ता दिखा दिया और जनता समझ गई, अगर आप नहीं समझे तो हमारा क्या कसूर है, आप को समझ का कमर हो सकता ह, (इन्ट्रप्शन) । मैं समझता हुं कि राव साहिब बहुत समझदार हैं, उन्होंने कल बड़ी समझ से काम लिया है, राव साहिब की समझ थी जो बचा गई ।

राव बीरेन्द्र सिंह : आपने अपनी मेजारिटी तो दिखाई ही नहीं, बड़ी जबर्दस्त मेजोरिटि बना रखी है ।

चौधरी रणबीर सिंह : राव साहिब, आप के भाई जो गिनती करने वाले हैं । आपने उन को बहुत दूर बैठाया हुआ है, उनको राव साहिब के साथ बैठना चाहिए था क्योंकि हम से गिनती मे कई दफा गलती हो जाती है, गिनती करने वालों को दूर न बैठाएं, बाबु सत्यानारायण जी को अपने करीब बैठाओ.... (इन्ट्रप्शन)

श्री सग्यनारायण सिंह : आन ए प्वायट आफ आर्डर, सर । डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं इन से पूछना चाहता हूं कि ये कौन सी गिनती की बात कर रहे हैं । रू यह जातुपाने के बाई इलैक्शन की गिनती का नम्बर गिना रहे हैं । या किसी और का? (इन्ट्रप्शन)

उपाध्यक्षा : यह प्वायंट आफ आर्डर नहीं है ।

चौधरी रणबीर सिंह : उपाध्यक्ष महोदया, मैं विरोधी दलों के सदस्यों जैसी बातों का आदी नहीं हुं, मै कबूल करता हूं कि जातुसाने के बाई इलैक्शन में आप जीते और हम हार गये, इसमे शर्म की कौन मी बात है क्योंकि प्रजातन्त्र मे कोई कभी जीता है और कभी कोई हारता है । राव साहिब, हार कर उधर चले गये जो यहां बैठे थे । यह प्रजातन्त्र का एक नक्शा है, एक झांकी है । प्रजातंत्र की झाकी को देखने से इन्कार करना, इससे काम नहीं चलता, मानने से काम चलता है । डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैंने जो शुरू किया था उस पर आना चाहता हूं कि कल जो ड्रामा खेला वह बहुत अच्छा खेला लेकिन आज फिर पिछले ड्रामे का असर दोबारा आ गया उस जाल में फंसने का फिर इरादा हो गया क्या?

इतना अजीब ड्रामा सुनाया गया जिसको कोई समझकर मान नहीं सकता कि श्री जोगिन्द्र सिंह जी, जो कि इतने मजबूत, बहादुर मेम्बर हैं, उन्हें कहे कि हम उठा ले गये और उन से यह कहलवाया गया कि उनकी एक दरखास्त थी जिस पर चीफ मिनिस्टर साहिब ने लाईसेंस दे दिया और उन्होंने एक का कागज पर लिख दिया जिस में पार्टी छोड़ने की बात लिखी है कमाल का ड्रामा खेला है । क्या यही हमारा स्टेंडर्ड है? हिन्दुस्तान की लोक सभा और राज्य सभा में एक कानून पास किया गया था राव साहिब कि हर सदस्य को नहीं, बल्कि हर हिन्दुस्तानी को हथियार रखने का जन्मसिद्ध अधिकार है । मुझे पता नहीं यह सही है या गलत है, आपके समय में भी शायद यह प्रथा चलती रही होगी । रोकों, अगर कोई खराब प्रथा अभी चलती आई हो । उसकी रोक दो, उसको बदल दो, मै आपके समाने हाथ जोड़ता हूं.... ।

मलिक मुख्तियार सिंह : चौधरी साहिब, हाथ जोड़ दो, फिर रुकेगी यह प्रथा ।

चौधरी रणबीर सिंह : तो फिर क्या सीखोगे, अगर प्रजातन्त में अपने हाथ जोड़ना भी नहीं सीखा तो क्रा सीखा? डंडा तो मार नहीं सकते, अगर आप नहीं सीखे तो आपको सिखा देता हूं, खुद हाथ जोड़ कर सिखा देता हूं । हाथ जोड़ना तो ठीक है लेकिन जो ड्रामा आपने कल खेला है यह कहीं नहीं ले जायेगा । इस लिए ऐसे ड़ामे' करना न सीखें । चौधरी नेकी राम के बारे में कौ–आप्रेटिव सोसायटी मन्जूरी दिलवाने का लांछन लगाया है ।

कितनी को–आप्रेटिव सोसाईटियां बनाई गई हैं । कितने जुल्म की बात है कि लोग को–आप्रेंटिव सोसाईटियां बनायें और हम उन को रोकें, यह मेरी समझ में नहीं आई । राव साहिब, मैं आप से पूछता हूं कि क्या आप के शासन चलाने का यही तरीका था कि लोग को–आप्रेटिव सोसाईटियां बनाना चाहें तो आप उसको रोकते रहें और अगर सरकार न रोकती हो तो अदालत के जरिये रोके देते हैं । कमाल की बात है, यह तो चन्द आदमियों का शासन हुआ जो आपने बनाया था, प्रजातन्त्र का नहीं था । राव साहिब, मैं 1945 में कान्स्टीव्चूएंट असंम्बली का मैम्बर था जब आप फौज के आफिसर थे । अगर हम भी इसी तरह की सोसाईटिया बनाते तो आपको उधर बैठने का मौका न देते । हम तो कहते हैं कि सब को मौका मिलना चाहिए । जब सब को सोसाईटियां बनाने का मौका है फिर भी अगर थाप अदालत के पास जाते हैं । तो आपको खुद शर्म महसूस करनी चाहिए... (व्यवधान)

राव बीरेंद्र सिंह : जब नाजायज काम करते हैं तो अदालतों में जाना ही पड़ता है ?

चौधरी रणबीर सिंह : आपकी एक बात के साथ मैं सहमत होता हूं मुझे मालूम नहीं कि यह सरकार के कर्मचारियों ने स्वयं किया या सरकार की सलाह से किया कि कालेजों के चुनावों के समय में जो पुलिस भेजी गई यह कोई अच्छा काम नहीं था । अगर कालेजों में पुलिस सरकार की मर्जी से गई तो सरकार को इस वातपर अफसोस करना चाहिए और अगर पुलिस अपने आप गई तो

पुलिस के अफसरों को समझाना चाहिए । जो आफिसर गल्ती करते हैं उनको समझाना चाहिए कि राव साहिब के राज के जो तरीके हैं वे अब बदले जा रहे हैं, आप भी बदल जाएं । वे तरीके बदलने चाहिएं और बदले जायेंगे । राव साहिब, गुस्ताखी माफ करना, मै आप का नाम बार बार इस लिए ले रहा हूं ताकि आपका नाम जिन्दा रहे क्योंकि राव साहिब को एक मुश्किल हो गई है कि जो भाई इस सदन के मैम्बर नहीं हैं वही उनको हटाना चाहते हैं । अगर मैम्बर हटा दे तो मुझ को कोई गिला नहीं । राव साहिब ने खुद कहा था कि पहले मैने तो बड़े बड़े मुमताज ओहदे हासिल किय और एक मुमताज ओहदा अब मिला है विरोधी दल के नेत्रत्व का और वह ओहदा भी दूसरों को देना चाहते हैं । राव साहिब, आप राव बलबीर सिंह के बेटे और राव तुलाराम के पोते हैं, कहां इन बातों में आ गये हो । या तो आप कबूल करो कि मैंसव कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हूं, अगर नहीं तो हौसला रखो । वे बाहर खड़े थे यानि इलैक्शन नहीं लड़ रहे थे और आपको हराना चाहते थे, लेकिन फिर भी आप जीत कर आये । हमें इस बात का कोई एतराज नहीं कि मुख्य मन्त्री क्यो बने थे, एक कायदे के मुताबिक मुख्य मन्त्री बने और बाद में राव साहिब आपस में गिला करते रहे ।

उपाध्यक्ष महोदया, सदन मे' जो ड्रामा किया जाता है, वह अच्छा नहीं है, हमें इस ड्रामें को बन्द करना चाहिए । हरियाणा में दो बार देश को नये रास्ते दिखाये, पता नहीं कहां तक गलत थे या

सही थे । लेकिन हमें इंगलैड की तरह यह साबित कर देना चाहिए कि यहां पर भी कांग्रेस पार्टी एक या दो मैम्बरों की मैजारिटी के साथ राज चला सकती है, अगर राव साहिब भी साथ दे दें तो बड़ी खुशी की बात होगी । हम इस थोड़ी सी मेजारिटी के साथ ही राज चला सकते हैं । और हरियाणा की जनता के साथ भी फैसला कर लेंगे । अगर जीत गये तो भी ठीक है अगर हार गये तो हम हर मान लेंगे । (व्यवधान)

एक आवाज : सीवन फायरिंग में आप ही का भतीजा था (व्यवधान) ।

चौधरी रणबीर सिंह : उपाध्यक्ष महेदया, मै तो इसको भूलना चाहता था लेकिन कई माननीय सदस्य बताते है कि जिस डी० एस० पी० का नाम लिया जाता है, वह आप का ही भतीजा था । कोई मानयोग सदस्य बता दें कि जिस डी० एस०पी० का नाम लेते हैं, क्या वह वहां हाजिर था? वह चूकिं चौधरी रणबीर सिंह का भतीजा है, तो क्या जरूरी है कि इसी कारण से उसको मुल्जिम बनाना है? बाहर तो कहते है कि तुमको मुख्य मन्त्री बनाना है मगर यहां कई एक मैम्बरों से नाम बुलाते हैं कि उसके भाई को, उसके भतीजे पर धक्कम–धक्का करने का लाछन लगाते हैं ।

मेरे बारे में तो आप एक बात कबूल करें कि ये बातें रणबीर सिंह के ऊपर असर नहीं करेंगी न कर सकती हैं । मैंतो इस बात को मानता हूं कि अगर कुछ सरकारी मुलाजिमों ने, लोगों की, चाहे वे

हरिजन हों या शक्तिशाली हों, नसबन्दी जबरदस्ती करने की कोशिश की है तो वह गलत है । उपाध्यक्ष महोदया, मुझे तो इस बात का भी विश्वास नहीं है कि इस सरकार की तरफ से इस प्रकार की सख्ती की जा सकती है । सीवन की दुर्घटना से पहले का ए क वाक्या मै आपको सुनाता हूं । खान अब्दुलगाफर खां भी वहां मौजूद थे । एक सदस्य ने मुख्य मन्त्री जी से कहा था कि नसबन्दी की जबरदस्ती की जाती है । उस सदस्य की बात सुनकर मुख्य मन्त्री जी ने हमारे सामने करनाल के डिप्टी कमिश्नर को कहा कि इन शिकायात में जान मालूम देती है और आप इन शिकायात को नहीं आने दें । हम नसबन्दी चाहते हैं, हम फैमली प्लैनिंग को बढ़ावा देना चाहते हैं । लेकिन जबरदस्ती नहीं । मैं, डिप्टी स्पीकर साहिबा, इस बात को छुपाना नहीं चाहता कि मुख्य मन्त्री जी ने जिस वक्त यह बात कही थी, बड़े जोर से कही थी । मैंने मैने तो मुख्य मंत्री जी को कभी इतने जोर से बोलते नहीं देखा था । मेरी तो आदत है कि मै जोर से भी बोल जाता हूं और गुस्से से भी बोल जाता हूं मगर मेंने मुख्य मन्त्री जी को इससे पहले बड़े नर्म बोलते देखा था ।

चौधरी चांद राम : इसके बावजूद भी गोली चल गई?

चौधरी रणबीर सिंह : गोली चल गई या न चल गई, यह तो अदालत बताएगी, मुझे तो कुछ बताना नहीं है कयोंकि अदालत का मामला हो गया हूँ । मगर मै तो इस बात को मनाता हूं कि अगर कसूर मेरा है तो मुझे फांसी लगनी चाहिए और अगर कसूर दूसरे

का है, चौधरी साहिब का है, तो मै तो उनसे यह भी नहीं कहूंगा कि चौधरी साहिब अफसोस भी जाहिर कर दो । डिप्टी स्पीकर साहिबा, प्रजातंत्र मे हम लोग कई बाते करते हैं । सच और झूठ कह देते हैं लेकिन मेरा अपना विश्वास है कि हमें इस सदस्य की बात को सच्ची ही बात माननी चाहिए । जब तक वह बात झूठ साबित न हो जाए, चौधरी चांद राम जब तक अपना दोष न मान लें तब तक हमें इनके ऊपर दोष नहीं लगाना चाहिए । खैर, चौधरी चांद राम जी अगर गरीब आदमियों की हमदर्दी के कारण कोई बात कहें तो और बात है । इस से मै भी उनके साथ सहमत हूं कि हमें गरीब आदमियों की हमदर्दी करनी चाहिए । ऐसी बातें करना मेरा भी फर्ज है उन का भी और दूसरे सदस्यों का भी कि प्रजातंत्र के शासन में किसी गरीब आदमी के साथ धयका न हो । अगर कहॉ बकयदगी से कोई धमकी करे या करने की कोशिश करे, चाहे नेकी के लिये करे या नशाबन्दी के लिये करे, सरकार का फर्ज है कि उसको रोके । इससे मैं सहमत हूं।

राव बीरेन्द्र सिंह : सरकार न रोके तो मैम्बर का क्या फर्ज है?

चौधरी रणबीर सिंह : वह तो आप ज्यादा जानते हैं । मुझे कुछ बताने को आवशकता नहीं हूँ । ही, अगर आपकी तरह से मेरे दिमाग में हवा चढे तो मैं भी बता दूं ।..... (विध्न)..... वह तो मैं जानता हूं. । वह आप भूल गए । करने. वाले होते तो यह न करते जो आपने करा दिया । उपाध्यक्ष महोदया, मैं कोई बात छुपाया नहीं करता पंडित भगवत दयाल जी जो पहले मध्य मन्त्री

थे उन्होंने जब विरोध का बीड़ा उठाया । मैंने उस वक्त भी उनसे कहा था कि शान्ति करो । शांतिसे पार्टी में सब मसले तय हो सकते हैं । उपाध्यक्ष महोदया, मेरे सामने हमारे प्रधान ने अखबारनवीसों को कहा था कि अगर पार्टी के अन्दर किसी को कोई शिकायत हो तो उसका हल पार्टी के अन्दर ही किया जाना चाहिए । इतना ही नहीं उन्होंने यह भी कहा था कि अगर अपनी शक्ति का इम्तहान भी कोई करना चाहे तो उसे भी पार्टी के अन्दर रह कर किया जा सकता है । तो अगर हमें बंसी लाल जी से कोई नाराजगी होगी तो अपनी पार्टी में शक्ति अजमायेंगे । दूसरों का सहारा लेने जायेंगे तो कमजोरी मानी जायेगी । कमजोर क्यों बने? मजबूत रहना चाहिए । राव साहिब, आपको शक्ति मिली है, कमजोर न बनो, शक्तिशाली रहो । अगर शक्ति है तो जो पकडे रहना जोर के आगे झुका नहीं चाहिए । हमारे दुःख पर क्यों नमक छिडक्ते हो? (हंसी) यह कोई अकलमंदी नहीं बताएगा । (विध्न) मैं मानता हूं, राव साहिब ऐसा करने वाले नहीं हूँ । ये तो अगले को ही फंसाना चाहते है । दो होशियार आदमियों का मुकाबिला चल रहा है । यह जो सबेरे ड्रामा हुआ वह भी आपने अच्छा नहीं किया । कल वाला बड़ा बढ़िया था । आपने सबर से काम किया । लेकिन आज वाला ड्रामा फिर गलत दिशा में चल पडे । जरा रोजाना इस तरह से न किया ए । आपकी जब भी मीटिंग होती है. मेरे. पड़ौस में ही होती है । मेजर अमीर सिंह मेरे साथ आए थे । आज सुबह भी मैं बलवन्त राय तायल की कार में आया था..... ।

चौधरी जी सुख : जो ड्रामा आप लिखकर डैस्क पर भेज देते हो वह पढ़ना तो पड़ता ही है ।

चौधरी रणबीर सिंह : यही तो गिला है । मैं तो लिखकर भेजता नहीं । मेरे पहले जो लीडर थे, वे भेज देते होंगे । खैर, डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं आपके द्वारा इन दोस्तों से प्रार्थना करूंगा कि वे हमारे लिखे हुए ड्रामे मत पढ़ा करें वरना फंस जायेंगे ।... (विध्न)

एक सदस्य : कल जो फँसा दिए आपने ।

चौधरी रणबीर सिंह : हमने तो नहीं फंसाये । आप लोग तो खुद फर्मे । मैंने कब कहा था कि चार चार खड़े हो जाओ । राव साहिब खडे सियाने हैं । विरोधी दल के नेता होते हुए भी उन्हें सलाह नहीं दी कि भाई ऐसा मत करो । तो, डिप्टी स्पीकर साहिबा, अगर सीवन की तो सजा मिल जाए मगर यहां की सजा न मिले तो न्याय अच्छा नहीं होगा ।

राव बीरेन्द्र सिंह : सीवन की राजा दो, हम मान लेंगे ।

चौधरी रणबीर सिंह : मैं तो यह समझता हुं कि रहम की दरख्वास्त कबूल हो नी चाहिए और मुझे उम्मीद भी है कि हुमारे नेता जरूर ऐसी दरख्वास्त को कबूल करेंगे । वे जरूर इस बात को सोचेंगे कि राव साहिब जो इतने बड़े आदमी है जब वे एक दरख्वास्त लेकर आए हैं तो उसे जरूर कबूल करना चाहिए । लेकिन मेरी

आपसे यह प्रार्थना है कि फिर यह न कहना कि हम गिनती में ज्यादा हैं ।

राव बीरेन्द्र सिंह : ज्यादा तो हैं ही ।

चौधरी रणबीर सिंह : अगर आप इन चार को अपने साथ प्लस भी कर ले तब भी बहुत कम हो । ये तो सारी कहने की ही बातें हैं । सचाई जो है सो है ही लेकिन फिर भी अगर आप हमें मौत की तरफ ले जाना चाहते हो तो वह बात दूसरी है.... (हंसी)..., (चौधरी चांद राम और श्री चन्दासिंह आदि कुछ सदस्य बोलने के लिए खड़े हुए)

उपाध्यक्षा : देखिए, इस वक्त 12 बजने में करीब 13 मिनट हैं । साढ़े बारह बजे मैने गिलोटिन एप्लाई करना है । उसके बाद कोई मैम्बर नहीं बोलेगा । 15 मिनट फाईनेन्स मिनिस्टर साहिबा भी बोलना चाहती हैं । इस लिए, जो भी बोलना चाहें कहे सवा बारह बजे से पहले पहले अपनी स्पीच खत्म करनी पडेगी । राव बीरेन्द्र सिंह. चौधरी रणबीर सिंह सब की तरफ से बोल गए । अब आप इधर टाईम दे दीजिए ।

उपाध्यक्षा : चौधरी चांद राम ।

चौधरी चंदा सिंह : डिप्टी स्पीकर साहिबा, यह माना कि यहां दो पक्ष बैठे हैं । एक इधर और एक उधर, मगर बीचमें हम भी बैठे हैं । हमें भी टाईम मिलना चाहिए ।

उपाध्यक्षा : मै इस चीज को मानती हूं । इस लिए मैं चौधरी चांद राम जी से प्रार्थना करूंगी कि वे कृपया पांच मिनट में अपनी स्पीच खत्म कर दे ताकि मैं 10 मिनट चौधरी चन्दा सिंह जी को दे सकूं ।

चौधरी चंदा सिंह : डिप्टी स्पीकर साहिबा, अपाको हमारा भी ध्यान रखना चाहिए । वे तो बार बार बोलते रहते' है' ।

उपाध्यक्षा : आल राईट । चौधरी चांद राम जी, अगर आप मेरे से एग्री करें तो चौधरी चन्दा सिंह को पहले दस मिनट का टाईम दे दूं । उसके बाद आप बोल लेना ।

चौधरी मुख्तियार सिंह : डिंप्टी स्पीकर साहिबा, आन–ए–प्यायंट आफ आर्डर ।

उपाध्यक्षा : देखिए इसमें प्यायंट आफ आर्डर की कोई बात नहीं है । अगर आनरेबल मैम्बर इस चीज को मान जायेंगे तभी मैं चन्दा सिंह जी को बोलने के लिए कहूंगी अदरवाईज चांद राम जी ही बोलेगे क्योंकि मैं उनका नाम ले चुकी हूं ।

चौधरी मुख्तियार सिंह : डिप्टी स्पीकर साहिबा, मेरा प्यायंट आफ आर्डर है रू उपाध्यक्षा रू अच्छी बात ।

चौधरी मुख्तियार सिंह : चौधरी चंदा सिंह जी ने अभी क्रूहा कि एक पक्ष इधर धैठा है और एक पक्ष उधर बैठी है और बीच में वे बैठे हैं इस लिए उन्है भी खोलने के लिए टाईम मिलना चाहिए ।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, बार बार लिखते लिखते तो कमल की स्याही भी सूख गई कि वे गवर्नमेंट के पक्ष में हैं । इसलिए आप के द्वारा मैं उन से चाहूंगा कि वे अपनी पोजिशन को वाजेह करें कि वे किधर हैं । इस तरह तो वे हाउस को मिसलीड कर रहे हैं । यह कच्छी आजादी हुई ।

विरोधी दल की तरफ से कुछ सदस्य : चौधरी मुख्तियार सिंह जी ठीक कहते हैं ।

Deputy Speaker : But still he is an Independent.

Rao Birender Singh : He is trying to mislead the Chair.

उपाध्यक्षा : चौधरी चान्द राम जी आप 20 मिनट तक बोल सकते हैं यानी 12 बज कर 10 मिनट तक..

मलिक मुख्तियार सिंह : डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैने भी जरूर बोलना है चाहे आप इनको 12 बज कर 10 मिनट तक टाईम दे या कितना ही दे । हाउस को कितने ही देर के लिए चलाये लेकिन मैंने जरूर बोलना है ।

उपाध्यक्षा : अगर हाउस का टाईम बढ़ेगा तो, मैं आपको जरूर इजाजत दे दूत ।

राव बीरेन्द्र सिंह : डिप्टी स्पीकर साहिबा, वे एक ग्रुप के लीडर हैं । उन्होंने एप्रोप्रियेशन बिल पर बोलना है....

Malik Mukhtiar Singh has his priority. He is Leader of an

Independent Group. He cannot be ignored. Similarly, Chaudhri Chand Ram is army Leader of another Party. He too has to be given time, whereas Chaudhri Chanda Singh is nowhere.

मलिक मुख्तियार सिंह : डिप्टी स्पीकर साहिबा, ...

उपाध्यक्षा : चौधरी मुख्तियार सिंह जी, मैं जो कुछ कर रही हूं ठीक कर रही हूं । जिसको मै ठीक समझती हूं उसको मैं टाईम दे रही हूं । इन बातों से आपक कोई ताल्लूक नहि है ।

मलिक मुख्तियार सिंह : हमारा ताल्लुक बोलने से है ।

वित्त मन्त्री : डिप्टी स्पीकर साहिबा, जो शब्द मुख्तियार सिंह जी ने कहे हैं ये चेयर की डिगनिटी के खिलाफ हैं । इस लिए ये कार्यवाही से एक्सपन्ज कराये आर्ये ।

उपाध्यक्षा : ये शब्द कार्यवाही से एक्सपंन्ज कर दिये जायें ।

चौधरी चांद राम (बबैन, एस० सी०) : डिप्टी स्पीकर साहिबा, सरकार कहती है कि हम बड़े स्टेबल हैं । अभी मेरे भाई कह रहे थे कि गवर्नमैंट बड़े मजे से चल रही है । हम मेजारिटि में हैं । आखिर डैमोक्रेसी का मतलब ही राह है कि एक पार्टी की गवर्नमैटं हो । ठीक है कि चुनाव में कांग्रेस के 48 आदमी जीत कर आये थे । लेकिन आज क्या कोई सरकारी बैन्चिज पर बैठने वाला आदमी यह कह सकता है कि हम 48 आदमी कांग्रेस टिकट पर जीते थे और उनकी तादाद उतनी ही है? नौ दिसम्बर को 15 आदमियों ने कांग्रेस छोड़ी और एक आदमी ने एलान किया कि मैं

बाद में इस्तीफा दे दूंगा । अब आप देखिए 48 में से 15 आदमी अगर निकाल दिये छाये तो केवल 33 रह गये ।

चौधरी सरूप सिंह : प्यायंट आफ आर्डर, सर । मैं आपकी मार्फत यह पूछना चाहता हूं कि ये किस चीज पर बोल रहे हैं?

चौधरी चांद राम : आप तो चौधरी सरूप सिंह जी, डिप्टी सपीकर भी रहे हैं । आपको सब चीजों का मालूम है । मैं गवर्नमेट का रुप, गवर्नमैटं का ढांचा, ये गवनंमैंट कैसे रन कर रही है । यह गवर्नमैंट कांग्रेस पार्टी की या किसी और को भी साथ मिलाये हुए है ।

चौधरी सरूप सिंह : प्यायंट आफ आर्डर, सर डिप्टी स्पीकर साहिबा यह जो बहस चल ग्ही है यह एप्रोप्रियेशन बिल पर हूँ । चौधरी चांद राम जी स्ट्रेक्चर, ढांचा इनके बारे में फरमा रहे हैं । तो इस पर मैं आपकी रूलिंग चाहता हूं।

मलिक मुख्तियार सिंह : यह आपके लिए..... (शोर)

उपाध्यक्षा : चौधरी मुख्तियार सिंह पहले एक आदमी प्यायंट आफ आडंर पर वोल रहा है । इसलिए आप बैठ जाइये ।

चौधरी सरूप सिंह : डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं यह कह रहा था कि इस तरीके से तो ये डिबेट कहीं नहीं रुकेगी । हमारे रूल है, प्रोसीजर, है । उन्ही रूलों के अनुसार डिबेट रेगूलेट करनी चाहिए । बहस एप्रोप्रियेशन बिल पर चल रही है. इसका मतलब यह तो

नहीं कि उसमें सारी पार्टी की भी बांतें शामिल हो जायें । जव ये चीजें कायदे के मुताबिक नहीं है तो मैं आपकी रूलिंग चाहता हूं ।

Deputy Speaker : All right, I admit your Point of Order, and I will give my ruling there on later. Then, w s another point of Order also

सूबेदार प्रभु सिंह : डिप्टी स्पीकर साहिबा, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है । मैं अर्ज करना चाहता हूं कि सारे हाउस में आपोजीशन ने जब इन्फर्मेशन की बजाए रिऐकशन किया है तो हरिजन मेम्बर को भी करने दे । यहां हरिजन मेम्बर पर पाबन्दी क्यों लगायी जा रही है ।

उपाध्यक्षा : यह कोई प्वायंट आफ आर्डर नहीं है । अभी मेरे सामने चौधरी सरूप सिह जी यह कोई प्वायंट आफ आर्डर आया । मैं मानती हूं कि एप्रोप्रियेशन बिल पर ही बोलना चाहिए मगर फिर भी हाउस की रवायात यह रही है कि मेम्बर अक्सर इन बातो पर भी बोलते हैं । लेकिन फिर भी इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए । मै मेम्बरों से यही कहुगी जैसा प्रोसीजर है, उसी के अनुसार बोलें । ज्यादा कोशिश एप्रोप्रियेशन बिल पर ही बोलने की करें ।

चौधरी चांद राम : डिप्टी स्पीकर साहिबा, मेरा कुछ टाईम तो प्वायंट आफ आर्डरों में ही चला जायेगा । मैं तो गवर्नर एडरैस पर भी कुछ नहीं बोल पाया था ।

उपाध्यक्षा : आप बोलिए 15 मिनट हैं ।

चौधरी चांद राम : जहां तक चौधरी सरूप सिंह जी के एतराज का सवाल है । एप्रोप्रिएशन बिल में सारी गवर्नमैंट ने डिमान्डज पेश की है इसलिए हम बोल सकते हैं । मै इस गवर्नमंट का रूप बता रहा हूं आया यह गवर्नमंट बहैसियत कांग्रेस मेम्बरों के मेजारिटि में है या नहीं । आज 48 मेम्बरों में से 9 मेम्बर इधर बैठे हैं और जिन में से ह आदमी यकेबाद दीगरे वापिस चले गये । अब आप देखिए आप के 9 आदमी निकल गये तो 39 आदमी रह गये । एक आदमी पेटीशन में हार गया । उपाध्यक्षा. आप एप्रोप्रियेशन बिल पर बोलिए ।

चौधरी चांद राम : डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं यह बता रहा हूं कि गवर्नमैंट का कितना बहुमत है । अभी चौधरी रणबीर सिह जी फरमा रहे थे कि हम मेजारिटि में हैं । मैं यह जानना चाहता हूं, यह हाउस जानना चाहता है और हम जनता को बताना चाहते हैं कि जो कांग्रेस के 48 मेम्बर जीत कर आये थे वे कांग्रेस की तरफ बैठे हैं या कम बैठे है । यह फैसला हम को करना है । ये रोज दल बदल, डिफेक्शन की बातें करते है दल बदल कराके मेजारिटि में कहते हैं । और इसीलिए वे एप्रोप्रियेशन विल लाये हैं परन्तु उनको कोई हक नहीं पहुंचता है कि वे यह बिल लाते । आज बड़े से बड़ा हिन्दूस्तान का लीडर यह कहता है कि दल बदल खराब है । आज जो ट्रेजरी बेन्चीज पर बैठे हुए वे दल बदलूओ के बलबूते पर मेजारिटि में बैठे हुए हैं । मैं इस बात को दोहराना नहीं

चाहता कि इन्होंने चार मैम्बरों को सस्पेंड किया और फिर यहां हाउस में अपनी मेजारिटि दिखाते हैं । लेकिन में इतना जरूर बता देना चाहता हूं कि जिस गवर्नमैटं ने ये सप्लीमेंटरी एस्टीमेट पेश की है, क्या वहू पार्टी मेजारिटि में है? वह पार्टी मेजोरिटि में नहीं है । मैं उन भाईयों को जो दो तीन भाई उधर शामिल हुए हैं उनको बता देना चाहता हूं कि मै तो उन आदमियों में से हूं जो टिकट बांटने वालों में से थे । बहुत से भाई उधर ऐसे बेठे है जिन के बारे में मै ने खुद कहा था कि इनको टिकट दी जाए । (विघ्न) मैं उन को जिनाने वाला था, उनके चचा साहिब मेरे पास आए थे और उन्होंने कहा था कि हमारी मदद कीजिए हम आपोजीशन के साथ रहेंगे । (शोर)

12.00.oon

चौधरी राजेन्द्र सिंह : आन ए प्यायंट आफ पर्सनल एक्सप्लेनेशन, सर । चौधरी चांद राम जी ने ठीक कहा, यह कांग्रेस के मिनिस्टर थे... (विघ्न) ।

राव बीरेन्द्र सिंह : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर, जब एक मैम्बर बोल रहे हों हाउस के अन्दर उस पर अगर किसी ने पर्सनल एक्सप्लेनेशन देना हो तो वह स्पीच के एण्ड में होता है । इस लिए आप को इन्हें रोकना चाहिए ।

उपाध्यक्षा : यह चेयर की मर्जी होती है, आप चेयर को चौक नहीं कर सकते ।

चौधरी राजेन्द्र सिह : डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं कह रहा था कि चौधरी चांद राम जी डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे कांग्रेस के और मैं कांग्रेस का 1967 में उम्मीदवार था । मैने जलसा करवाया था लेकिन चौधरी चांद राम जी ने कांग्रेसी होते हुए इन्डोपैंडैंट के हक में स्पीच दी थी ।

मलिक मुख्तियार सिंह : डिप्टी स्पीकर साहिब, मैं प्वायंट आफ आर्डर पर बोलना चाहता हूं और वह यह है कि राव साहिब ने आपके सामने प्वायंट आफ आर्डर के जरिए सबमिशन की थी कि अगर कोई मैम्बर पर्सनल एक्सप्लेनेशन देना चाहे तो वह एट दी एंड आफ दी स्पीच हो सकता है, लेकिन आप ने यह फरमाया था कि यह चेयर को डिस्कीशन है चाहे तो उस को इजाजत दे दे । लेकिन चेयर जो है वह रुल्ज आफ कन्डक्ट एंड बिजनैस से बाहिर नहीं जा सकती । रुल्ज के अन्दर यह लिखा हुआ है कि पर्सनल एक्सम्लेनेशन का मौका एट दी एंड आफ दी स्पीच दिया जाएगा । तो मैं जानना चाहता हूं कि चेयर इसके अबव कैसे चल सकती हूँ ।

उपाध्यक्षा : आप का प्यायंट आफ आर्डर कितनी देर तक चलता रहेगा।

मलिक मुख्तियार सिंह : अगर आप देर पूछना चाहती हैं तो फिर यह चलता ही रहेगा।

Deputy Speaker : Point of Order does not mean a speech.

मलिक मुख्तियार सिंह : आप रूल्ज के खिलाफ कैसे रूलिंग दे सकते हैं । मैं समझता हूं कि रुल्ज की उलंघना कहीं की जा सकती । यह पर्सनल एक्सप्लेनेशन बाद में आ सकता है becauce the hen. Member dose not give way.

उपाध्यक्षा : कोई भी आनरेबल मैम्बर चेयर को इस तरह से चौलिंज नहीं कर सकता चेयर की रूलिंग के बारे में । मैं जो रूलिंग पहले दे चुकी हूं वही रहेगी । (शोर)

Malik Mukhtiar Singh : We shall have to give Ruling in accordance with the Rules of Procedure and Conduct of Business of this House.

Deputy Speaker : The hon. Member cannot challenge it and this is my Ruling.

Malik Mukhtiar Singh : But not against the Rules.

हम भी रूल्ज के खिलाफ कोई बात नहीं मान सकते ।

चौधरी चांद राम : इस हाउस में बड़ा जिक्र हुआ कि हम ने ला गुड आर्डर और जनरल एलमिनिस्ट्रेशन को ठीक तरह से सम्भाला है और यह भी कहा कि हम ने सीवन के मामले में और बाकी दीगर मामलों में हर वक्त इन्साफ देने की कोशिश को । लेकिन डिप्टी स्पीकर साहिबा, इस सरकार ने उन बेगुनाह लोगो को जिन्होंने कोई चोरी नहीं की, डाका नहीं डाला, कोई ब्लैक मार्किट नहीं की ब्लैक मार्किट वाले तो इन के राज में पनपते हैं उन को बेरहमी के साथ गोलियों से मारा । सीवन में तो परिवार नियोजन

करने के लिए इन्होंने हरिजनों को मारा । लेकिन मैं पूछता हूं कि टीकले गांव में क्या हुआ, वहां पर एक जाट बुढ़िया को इस लिए मारा कि दफा 100 के वारट की बात थी । उस में भी यह कहते हैं कि जुडिशल इन्क्वायरी नहीं करवा सकते, सीवन में भी कहते है कि जुडिशल इंक्कायरी नहीं 'करवा सकते । एडमिनिस्ट्रेशन में किसी की जात ब्रादरी या रिश्तेदारी का क्या सवाल है । आज अगर इस बात पर इंक्वायरी नहीं की जाती कि फलां आदमी फलां का रिश्तेदार है या फलां ब्रादरी का है तो यह इन्साफ की बात नहीं । आखिर उन गरीबों का क्या कसूर था जिन के ऊपर इन्होंने गोलियां चलाई । उन्होंने कहा कि हमारे तीन चार बच्चे हैं हम खुद ही आप्रेशन करवा लेंगे लेकिन उस का नतीजा यह हुआ कि वहां पुलिस ने सौ आदमियों की लाईन लगाई और उनको गोलियों से भुना । क्या यह कोई बहादरी की बात है कि मासूम और निहत्थों पर गोलियां चलाई जाएं । मेरे पास सैकड़ों दरखास्ते हैं जो यह बताती है कि किस तरह इन्होंने पुलिस के जरिए लोगों के जबरदस्ती आप्रेशन किए । आज यह लोगों को रोटी, कपड़ा और मकान नहीं देते बल्कि उनको मच्छर समझ कर गोलियों से भुनना चाहते हैं । और उन को जबरदस्ती खस्सी करना चाहते हैं । इन को उन सें यह खतरा है कि कहीं वह इन के खिलाफ कांति न ला सकें क्योंकि यह पिछले 22 सालों सालों में उनको रोटी नहीं दे सके । उस खतरे से बचने के लिए उन के साथ यह इस तरह का सलुक कर रहे हैं । उनको जमीन, मकान और रोटी तो यह दे नहीं सके और गलियों सें उड़ा रहे हैं ।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, यहां पर ही बस नहीं, वहां पर नौजवान लड़कियों को नंगा किया । आज मैं गांधी जी की आत्मा की तरफ देखता है, गांधी जी ने इनको हरिजन का माम ठीक ही दिया था क्योंकि इनका कोई रखवाला नहीं, इन के साथ कोई हमदर्दी करने बाला नहीं है । यह गांधी जी की फोटो लगी हुई है, उन की यह शताब्दी मना रहे हैं । डिप्टी स्पीकर साहिबा, यह इनका दिसम्बर, 1988 का कोड है जिस मे लिखा हुआ है।

The Slate Government in order to encourage the people to work for this programme have decided on the recommendations ns of the Slate Family Planning Committee that a man who motivates 20 cases for sterlization opperations, i.e. for vasectomy and to be colony operations will be awarded a transister, in addition to incentive money per case (Voices from the Opposition Scheme). I am of this view that 'his step will go a long way in achieving the physical targets in IUCD insertions and sterlization operation. I do trust that you would surely oblige me in making this for night an objective success.

मै पूछता हूं कि उन से कि क्या उन ने अपना करवा लिया? फिर आप देखे हमारे समाने मिनिस्टर हैं जो एक एक वक्त में दो दो बच्चे जनती है' उन से पूछ लो कि फैमिली प्लैनिंग करवा ली । वह सीवनी में जाती है और औरतें रो रो कर दर्द भरी कहानियां... .. (शोर).... जमुना नगर में जा कर श्रीमती ओम प्रभा जैन व्यान देती हैं कि देखिए सीवन के मामला की कोई इंक्वायरी करने की जरूरत नहीं । क्यों? इसलिये कि फैमली प्लैनिंग प्रोग्राम को

धक्का पहुंचेगा । बीबी जी आपको तो धक्का पहुंचेगा और लोगों को आप मारती जाएं गोलियों से और साथ में यह बहाने करती जाएं । मै समझता हूं कि करते तो किसी तगड़े आदमी का करते मजबूत आदमियों के अप्रेशन करते तो आपको पता लग जाता कि फैमिली प्लैनिंग करने वालों का हशर क्या होता है । इन गरीब हरिजनों से वोट ले ले कर और इन गरीबों ने अपने वाईकाट करा करा कर आपके बैलों की जोड़ी को वोट डाले और आपको कामयाब किया और आप उन से यह गद्दारी कर रहे हो उन को मच्छर समझ कर मसल रहे हो । मैं कहता हूं कि हरिजनों की नसल कशी कर रहे हैं । करनाल के डी० सी० ने दो हजार अप्रेशन का दावा किया कि इतने करनाल में किए । आप इन्कवायरी करवा ले कि इन दो हजार में से 1,600 अप्रेशन सिफ हरिजन के हुए है । अकेले रादौर ब्लाक में जो 1244 अप्रेशन किए उन में से 133 हरिजनों के ही किए गए हैं । किन के किए हैं? यह मेरे पास चिठ्ठिया हैं

उपाध्यक्षा : चौधरी साहिब 12 बज कर 12 मिनट हो गए हैं मैं आपको दो तीन मिनट ओर दे सकती हूं क्योंकि आप देंखे कि सवा बारह बजे खत्म करना है और आपको पांच मिनट ज्यादा दिए जा रहे हैं.... (विष्य)..... प्वायंट आफ आर्डर किए गए इसीलिये आपको और टाईम दिया है और सवा बारह बजे खत्म कर दें

चौधरी चांद राम : मेरा तो कसूर नहीं उसमें.....

उपाध्यक्षा : चेयर का भी क्या कसूर है । अगर हाउस कहे तो टाईम बढ़ा देते हैं । आवाजें रू बड़ा दो, कब दो ।

Is it the sense of the House that the time be extended ? Voices from the Opposition : 'Yes'. Voices from the Treasury Benches : 'No.

Deputy Speaker : The time cannot be extended as per sense of the House .

उपाध्यक्षा : यह तो सारे हाउस की संस से बढ़ेगा ऐसे नहीं बढ़ सकता है ।

चौधरी चांद राम : यह मेरे पास कुछ दरखास्तें हैं इन से पता चल जाएगा कि यहा सिर्फ हरिजन ही नहीं हैं । यहां पर तो दो तीन मुसलमान भी है जिन की शरैयत के खिलाफ और उनकी नसबन्दी नहीं की जा सकती है । यह एक उमेद खां वल्द अब्दुल्ला है जिन को 22 साल है उसका आप्रेशन कर दिया । फिर यह एक और है यासीन खां उमर तीस साल आप देखे कि बाइस बाइस साल और तीस साल की उमर वालों के आप्रेशन कर दिए । एक हरिजन चौकीदार वीर सिह है जो रोता रहा कि उसके कोई लड़का नहीं सिर्फ एक लड़की ऐ इ स लिये न करो लेकिन जबरदस्ती उसका आप्रेशन कर दिया । इसी तरह मुलखा सिंह और साधु राम कहते है कि उनको पुलिस जबरन धवके मार कर पकडु कर ले गई और आप्रेशन करवा दिया । मैं यह सारी उनकी दरखास्ते हाउस की

टेबल पर रखता हूं ताकि पता लग जाए किस तरह से यह इनकी फैमली प्लेनिंग हो रही है । एक झियूर बरादरी का आदमी है बैकवर्ड क्लास का वह बेचारा खेतों में काम करता है वहां से जबरदस्ती पकड़ कर ले जाते हैं पुलिस उसे हांक कर वैन में बिठा कर ले जाती है और उसका आप्रेशन कर दिया जाता है । उसका इतना खून निकलता है कि वह बेहोश हो जाता है और आज भी वह कहता है कि वह नाकाबल हो गया है । बवैन में एक फौजी है जो कहता है कि पता नहीं उस ने बरमा में कितने सैंटर में काम किया और क्या कुछ उसने इनामात हासल किए.

मलिक मुख्तियार सिंह : चौधरी साहिब, यह खुरशीद एहमद का और खान साहिब का भी कर देंगे आपने क्या ठेका उठा रखा है (हंसी)

चौधरी चांद राम : यह पांच छः दरखास्तें मैं हाउस की टेबल पर रखता हूं ताकि वक्त जाया न हो । मैं कहना चाहता हुं कि जितने चौकीदार थे उन में से बहुत सारे हरिजन थे और तहसीलदार की चौकीदार पर ही चल सकती थी । आप इन्कवायरी कर के देख लें कि जितने चौकीदार थे उन में से 90 फी सदी चौकीदार की नसबंदी कर दी हूँ । यह फिर लाटरी की स्कीम चली और इसका क्या हाल है वह भी देख लो । रजिस्ट्री करानी हो तो कहते हैं कि लाटरी का टिकट लो कोई लाइसेंस लेना हो तो लाटरी का टिकट बेंचो लाजमी तौर पर । प्राइमरी स्कूलों के बच्चे रो रहे हैं कि टिकट खरीदने पड़ेंगे । जबरदस्ती यह सारा काम हो रहा है ।

पलड का काम हूँ उसकी भी बात करता हूं (विघ्न) मैं ने कहा कि एक तरफ तो बिचारे गरीब मर रहे हैं और कह रहे हैं कि हाई कोर्ट का जज लगा कर इन्कवायरी करा दो और दूध का दूध और पानी का पानी कर दो । मुझे एक शेयर याद आता है

बेगुनाहो के खुन की बारिश में बजमें इशरत सजाए बैठे हो

उठ भी सकती है दफ्तन लाशें जिन पर मसंद विछाए वैठे हो ।

मै चेतावनी देता हूं । यह लोग कहते हैं कि यह बहुत हैं तो इस बारे में मैं अर्ज करता हूं कि :

होने को शराफत का पुजारी है तू, पाबन्दे रसूम दीनदार है तू

क्या अपने जमीर से मिलाकर आंखें कह सकता है, शैतानियत से आरी है तू ।

उपाध्यक्षा : आपका टाइम खत्म हो गया है ।

चोधरी चांद राम : फन्ड के बारे में क्या हो रहा है यह तो आपको कुछ बता दू । उपाध्यक्षा रू नहीं, अब नहीं, टाइम हो गया है ।

सूबेदार प्रभु सिंह जी : अब आप पांच मिन्ट के लिये बोल लें ।

सूबेदार प्रभु सिंह (भिवानी खेड़ा, ऐस०सी०) : चुंकि मुझे पांच मिनट का हुकम मिला है इस लिये मैं पांच मिन्ट में ही बोलूगा । इस इधर से कुछ शेरोशायरी शुरू हुई तो मुझे भी एक शेयर याद आ गया रू

न समझे उमर गुजरी बुत्ते काफर को समझाते

पिघल कर मोम हो जाता अगर पत्थर को समझाते ।

(विघ्न) डिप्टी स्पीकर साहिबा, चौधरी मुख्तियार सिंह जी को मुझ से बड़ा प्यार है और सभी दोनों को मे रो बड़ी हमदर्दी है (विन) यह पांच मिनट तो मेरे ऐसे ही मे हो जाएंगे (विध्न)..... .मैं ने चांद राम पर नहीं बोलना है मुझे अपने हलका पर बात करने के लिये पांच मिनट मिले है' । तो मै अर्ज करता हूं तीन चार दिन से इधर से कई कुछ सुनते रहे हैं । हमें तरह से उमीद थी कि हमारे राव साहिब अपोजीशन के लीडर हैं, बहुत स्याने है, लायक हैं और दूसरे लीडर भी है ' । हम समझते थे कि इन से कुछ इनफर्मेशन मिलेगी मगर अखबारों से जब हम सुबह लोगो से सुनते है तो वह इन्फर्मेशन के लिए नहीं रिक्रोऐशन के लिये पढ़ते हैं । अजीब बात है और ऐसी उमीद हमें नहीं थी । डिप्टी स्पीकर साहिबा, कहानियां बनाई जाती हैं और बात भो अजीब किस्म की कहांनियां जो धूनी पर बैठ कर गरीब आदमी नहीं बनाते हैं और अनपढ़ भी नहीं बनाते (विघ्न) जरा कलेजा थाम कर बैठी और जरा कुछ सुन तो लो । तो मैं यह कह रहा था कि गलत किस्म को बातें बनाने से हरियाणा को ही नहीं हरियाणा तो छोटा सा प्रांत है हम देश को बदनाम करने जा रहे हैं और यह गलत प्रथा डाली जा रही है । कोई कहता है किसी को हारट अटैक हो गया किसी को कोका कोला का नशा हो गया । मै कह ता हूं कि अगर हम इधर से दो ऐम० एल० एजगायब करके राव वीरेन्द्र सिंह के खिलाफ

मुकद्दमा दर्ज करा दें तो वह भी एक ड्रामा हो सकता है मगर यह प्रथा गलत है ।

राव बीरेन्द्र सिंह : वह आप पिलाते क्या हैं हमें भी बता दें ताकि हम भी पिला दे (हंसी) ।

सूबेदार प्रभु सिंह : राव साहिब जानना चाहते हैं कि पिलाते क्या थे वह । हमें पता नहीं कि क्या पिलाते हैं । आपने क्या पिला कर उन को भे जा था वह बता दें ताकि हम आप पर मुकदमा दर्ज करा दें । फिर कहते है कि आपने छुपाया है । इस किस्म की गलत बयानियां एक जिम्मे दार आदमी क अच्छा नही लगता ।

राव बीरेन्द्र सिंह : अब बता दें, फिर मुकद्दमे सत्त्वे बना लेना (व्यवधान)

सूबेदार प्रभु सिंह : डिप्टी स्पीकर साहिबा, अगर किसी आपोजीशन मैम्बर ने गवर्नमैटं से कुछ मांगा है और गवर्नमैटं उसे कुछ दे देती है तो ठीक है, अगर न दे तो इल्जाम लगाते हैं (विध्न)

चौधरी जोगिन्द्र सिंह : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर । (विध्न) डिष्टी स्पीकर साहिबा, आनरेबल मैम्बर जो दलील दे रहे है वह गलत है, मेरे पास रिजैक्शन वाला कागज है, मैं आपको दिखा सकता हूं ।! विरोधी दल की तरफ से तालियां) ।

एक आवाज : आपका टाईम हो गया है, चौधरी साहिब ।

सूबेदार प्रभु सिंह : मैं कहना तो कुछ और ही चाहता था लेकिन यह बीच में सिलसिला शुरू हो गया है । मुझे तो सिर्फ पांच मिनट मिले हैं, ये पांच मिनट भी आपको बीस मिनट नंबर आते हैं, इनको घड़ी नजर नहीं आती होगी । मैं कह रहा था कि मैं अपोजीशन लीडर्ज की बहुत इल्लत करता हूं, ये बड़े काबिल आदमी हैं । इन्होंने जो हरियाणा में ड्रामा खेलना शुरू कर दिया है इसको बन्द करें और हरियाणा को बचायें । हरियाणा की जनता को यह बता दें कि हम बा–इज्जत आदमी है, गलत किस्म की कहानियां बना कर हम राज नहीं कर सकते । उपाध्यक्षा रू आपका टाइम हो गया है ।

सूबेदार प्रभु सिंह : मुझे दो मिनट और दे दें, टाईम तो हो ही गया है।

उपाध्यक्षा : दो मिनट और दे देती हूं ।

सूबेदार प्रभु सिंह : डिप्टी स्पीकर साहिबा, यहां पर गिनती का जिक्र किया गया था । आपोजीशन के लीडर कहते हैं कि कम गिनती के लोगे' को ज्यादा दिखाया गया है । डिप्टी स्पीकर साहिबा, हाथ कंगन को आरसी क्या, गिनती के लिए तो हम यहां बैठे हैं । आप गिन सकती हैं । अंबेजी भाषा में गिनती की जा सकती है, हिन्दी में की जा सकती है, मद्रासी में की जा सकती है, जिस जबान मे वे समझते हाउस जबान में गिनती गिना देते हैं । लोगों को मिसगाईड करने से कोई फायदा नहीं है । (श्री बलवन्त

राय तायल की तरफ से विड न) बलवन्त राय को बड़ी बेचौनी हो रही है,. इजाजत मैने इधर से ली है और आप कहते हे कि टाईम हो गया है । डिप्टी स्पीकर साहिबा, मै बतलाना चाहता हूं कि 28 तारीख को जब सिलसिला शुरू हुआ तो पिछली सरकार के नुमायदों ने मैम्बरो को अपने साथ मिलाने के लिये एक इश्तिहार निकाला जिसकी कुछ शर्ते मैं आपको सामने रखना चाहता हूं :–

(1) बिकने वाले एम०एल०ए ० की बोली का भेद 24 घंटे तक गुप्त रखा जायेगा ।

(2) एम०एल०ए० की बोली कम से कम दस हजार से शुरू करके उसकी मूर्खता के अनुसार बढ़ाई जाएगी (हंसी) ।

राव बीरेन्द्र सिंह : डिप्टी स्पीकर साहिबा, ये अपना मैनिफंस्टो पढ़ रहे हैं या कुछ और है ।

सूबेदार प्रभु सिंह : यह मैनिफस्टो राव बीरेन्द्र सिंह को सरकार का है । हां, मै' कह रहा था कि –

(3) बिकने बाले एम०एल०ए० को बोली की जर–जमानत पेशगी मिलेगी।

(4) बिकने वाले एम०एल०ए० को कम से कम एक हफता खरीददार का वफादार रहना जरूरी होगा ।

(5) मर्यादा खत्म होने पर ईमानदार या वफादार रहना जरूरी नहीं ।

(6) अकल के अन्धे और गांठ के पूरे ही इसी बोली में हिस्सा ले सकेंगे ।

(7) इकटठे बिकने वाले एम० एल०ए० को सरकार रियात करेगी, बाकी शर्तें वजारत टूटने या बनने पर सुनी जायेगी ।

इसके बाद एक नोट है, जिसमें लिखा है '' बिकने वाले हर एम० एल० ए० की एक रंगीन फोटो देश प्रदेश के हर चिड़िया घर में उल्टी लटकाई जायेगी । (इस समय श्री अध्यक्ष विराजमान हुए) ।

राव वीरेन्द्र सिंह : स्पीकर साहिब, आपने कल इस हाउस का डैकोरम कायम रखने के लिये बहुत कोशिशें की हैं लेकिन अब जबकि अप्रोप्रिएशन बिल पह बहस हो रही है, मैम्बर साहिब बहुत इर्रेलेवेट बोल रहे हैं जिसकी कोई बुक्कत ही नहीं है । जो कुछ ये कागज पर से देख कर पढ़ रहे हैं यह ठीक नहीं है, इन्हें चाहिये कि एप्रोप्रिएशन बिल पर बोलें ।

Mr. Speaker: What was the basis ?

सूबेदार प्रभु सिंह : मैं ने तो पिछली सरकार की रवायात ब्यान का है । जो कुछ कार्यवाहियां इन्होंने की हैं हम भी उन्हीं बातों पर अमल करते हैं । हम क्यों न अपने बजुगों की बातों पर अमल करें । जैसा बजुर्ग हमें सिखायेंगे वैसा ही हम करेंगे । जो कुछ हमने किया है वहू इन्हीं से सीखा है । (चौधरी मुख्तियार सिंह कुछ कहने के लिए खड़े हो जाते हैं)

श्री अध्यक्ष : चौधरी साहिब, मैं कुछ कहना चाहता हूं, आप बैठ जाएं ।

मलिक मुख्तियार सिंह (सोनीपत) : मै सिर्फ तीन मिनट लूंगा, मने एक सब– मिशन करनी है । मेरी अर्ज यह है कि तीन चार रोज से हाउस में एक हंगामा हुआ और उस हूंगामें के सिलसिले में आपने कुछ मुसीबतें झेलीं और इस किसम का कदम उठाना पढा जिसके लिए आपको मजबूर होकर कल ऐडैरस करना पढ़ा, अपील के तौर पररू । स्पीकर साहिब, जो कदम हमने कल उठाया वह क्यों उठाना पड़ा, यह आप जानते हैं । राव साहिब तो इस हद तक चले गये कि उन्होंने यह कह दिया कि चार मेम्बरों की गल्ली नहीं बल्कि हम सब की गल्ली थी । जो कुछ हमें करना पड़ा वह श्री जोगेन्द्र सिंह के मामले पर करना पड़ा । मैने इसी वजह से कहा था कि यह रोग एक तरफ से नहीं दोनों तरफ से है हालांकि राव बीरेन्द्र सिंह नो तो सारा कुछ अपने ऊपर ही ले लिया था । लेकिन मजबूरन मुझको यह चीज कहनी पड़ी कि उन्होंने गलत कदम उठाया कि जोगिन्द्र सिंह को यहां से अगुआ किया और हमने जब उसके ऊपर रीजैन्टमेंन्ट गवर्नमेंट के खिलाफ शो की तो स्पीकर साहिब आपकी तरफ से अपील हुई, दोनों पार्टीज आपस में मिलीं, बातचीत हुई और हमें भी कुछ विश्वास दिलाए गए ।..... (विघ्न)..... क्या कहूं, चौधरी रणबीर सिंह हाउस से उठकर चले गए वरना मैं बताता.....

चौधरी लाल सिंह : आन ए प्वायंट औफ आर्डर, सर ।

Mr. Speaker : Are you sure, it is a Point of Order ?

चौधरी लाल सिंह : स्पीकर साहिब, मैं आपके द्वारा पूछना चाहता हूं कि क्या यह हाऊस जोगिन्द्र सिंह के लिए ही बुक हो चुका है या कोई और बात भी होगी? कभी यह वात खत्म भी होगी या नहीं?

श्री अध्यक्षः यह कोई प्वायंट औफ आर्डर नहीं है । आयदा अगर आपने इस तरह से पूछना चाहा तो आपको प्वायंट औफ आर्डर की ईजाजत नहीं दू गा ।

वित्त मन्त्री : वैसे तो प्वायंट आफ आर्डर बन गया है ।

मलिक मुख्तियार सिंह : स्पीकर साहिब, आज यह सारा हाउस देख रहा है, आज हरियाणा की जनता देख रही है कि आया हम जस्टिफाइड थे या गलती पर थे या ये गलती पर थे । आज एक सैन्सेशनल स्टैटमैन्ट जो हाऊस के सामने हुआ, उसने सारे हाऊस को, हरियाणा की जनता को और हिन्दुस्तान की जनता को बता दिया कि हरियाणा के अन्दर किस तरह की बाते हो रही हैं । आज हमारा मुंह बिल्कुल साफ है । स्पीकर साहिब, पिछले दो दिनों के माहौल को ठीक करने के लिए तथा इस हाउस की डिगनिटी को कायम रखने के लिए आपके कहने पर हमने लार्ज हर्टीडनैस से काम लिया लेकिन मेरी समझ में यह बात नहीं आती है कि जिस जोगिन्द्र सिंह के मामले के ऊपर दो दिन यहां माहौल खराब रहा और हमारे चार साथियों को सैशन के बाकी दिनों के

लिए भाग लेने से रोका गया है, उन्हें क्यों अभी तक बाहर रखा जा रहा है? क्यों उन्हें सजा दी जा रही है । अब तो बात साफ हो गई है कि आया वे गलती पर थे या गवर्नमैटं गलती पर थी । मुझे आप ही बताएं, स्पीकर साहिब, कि रीप्रैशन के खिलाफ आवाज उठाने के लिए इस माननीय सदन के अलावा और कौन सा फोरम हो सकता था या है?

श्रीमती चन्द्रावती : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर ।

मलिक मुख्तियार सिंह : इसमें, स्पीकर साहिब, चन्द्रावती जी भी शामिल हैं ।

श्री अध्यक्ष : हां, आपका क्या प्वायंट आफ आर्डर है?

श्रीमती चन्द्रावती : मै तो जनाब इस सम्बन्ध मे कोई बात नहीं कहना चाहती मगर आपके ध्यान मे एक बात लाना चाहती हूं । श्री जंसवाल जी दो दिन से गैरहाजिर हैं । अगर कल को ये लोग उनके सम्बन्ध में कोई कहानी बना कर रखें, तो मै नहीं समझती कहां तक ये बातें हमें शोभा देती है । मैं समझती हूं कि इस किस्म की बातें यहां हाउस में नहीं लानी चाहिएं ।.. ... (शोर).....

मलिक मुख्तियार सिंह : सूठी बातें हम नहीं कहते और सच कहने में कोई डर नहीं है ।

श्रीमती चन्द्रावती : चौधरी बनवारी राम जी भी गैरहाजिर हैं ।

श्री अध्यक्षय : आपका तो प्वायंट आफ आर्डर था ।

मलिक मुख्तियार सिंह : ओमप्रभा जैन जी भी वहां पर मौजूद थीं, ये भी थीं ।

Khan Abdul Ghaffar Khan : On a Point of Order, Sir. If the hon. Member is allowed to speak, then he will go on for hours and hours. He is just marking time and doing nothing else.

Rao Birender Singh : Malik Mukhtiar Singh was speaking in connection with yesterday's meeting.

Khan Abdul Ghaffar Khan : The hon. Member has repeated these things four times.

मलिक मुक्तियार सिंह : तो स्पीकर साहिब, मैं अर्ज कर रहा था कि इस हाऊस के माहौल को ठीक करने के लिए, इस हाऊस की डिगनिटी और डैकोरम को बरकरार रखने के लिए हमने तो लार्ज हर्टिडनैस से काम लिया मगर इनकी तरफ से भी तो केहि गुडविल जैस्चर आना चाहिए था कि उन चार मैम्बरान को बहाल कर दिया जाए और इस हाऊस की कार्यवाही में भाग लेने दिया जाए । मगर अफसोस है कि अभी तक ऐसा कुइ नहीं किया गया । हमें तो कल विश्वास भी दिलाया गया था, मगर अभी तक कुछ नही हुआ । मैं तो, स्पीकर साहिब, आपसे ही पूछना चाहता हूं कि हम लोगों के साथ इस तरह का व्यवहार कब तक होता रहेगा? जवकि ।

The Opposition's stand was justified in view of the statement of Shri Joginder Singh and the disclosures made on the Floor of this House.

WALK-OUT

राव बीरेन्द्र सिंह : स्पीकर साहिब, पेश्तर इ सके कि आप आगे की कार्यवाही करें, मुझे एक प्वायंट अपने सामने रखने के लिए एक मिन्ट की इजाजत दीजिए ।

श्री अध्यक्ष : कहिए ।

राव बीरेन्द्र सिंह : स्पीकर साहिब, ये एप्रोप्रिएशन बिल ला रहैं है । चार मैम्बर हुमारे बाहर बैठे हैं । कल जो कुछ हुआ, उसके बारे मे मेरी अर्ज यह है कि एक तो चौधरी जोगिन्द्र सिंह नहीं थे, दूसरे आपने फरमाया कि पुलिंस में केस रजिस्टर हो चुका है, इसलिए हम खामौश हो गए । लेकिन आज जव हुमने बातें सुनी और हाउस में यह साबित हो गया कि हम जस्टिफाइड थे तब भी चीफ मिनिस्टर साहिब हमारी बात को नहीं मानते । हमने उनसे डिमांड की है कि वे इस्तीफा देकर पूरी तरफ से इंक्वायरी होने दें । आज उनको सारे हात्रात का इल्म हो गया है, मगर चीफ मिनिस्टर साहिब इस बात के लिए तैयाार नहीं हैं । अगर उनको अपनी मेजारिटी पर इतना गर्व है तौ क्यो नहीं हमारे चार मैम्बरों को हाऊस में लाकर एप्रोप्रिएशन बिल को पास करवाते क्यों इस तरह से जबरदस्ती और धक्के से पास करवाना चाहते है? मैं तो समझता हूं कि इन्हें ऊपर से यानि हाई–कमांड सै ऐसी ही हिदायतें होगी कि जव तक मिड–टर्म पोल न हो लें उस वक्त तक कोई बात हाऊस में न हो चाहे इन्हें किसी को अगुवा करना पड़े या कुछ और करना पड़े । वरना क्या रुकावट है चीफ मिनिस्टर साहिब के सामने कि वे एक गुड–दिल का जैस्चर चार बरखास्त

मैम्बरों को हाऊस में लाने के लिए न लाए जबकि वे अपनी मेजारिटी बड़ी जोरों मे क्लेम करते हैं । स्पीकर साहिब, ये जायज वात को नहीं मानते । आपके सामने बातें हुई मगर मुझे अफसर से कहना पड़ता है कि उसके वावजूद भी यह हो रहा हूँ । अगर इसी तरह से एक तरफ कार्यवाही चलनी है तो हम बाहर जाने के लिए मजबूर हैं । (विरोधी दल के सब सदस्य बाहर जाने लगे ।)

वित्त मन्त्री : अगर बहाना ढूंढ़ कर जाना चाहते है' तो बात दूसरी है । वरना तो केस रजिस्टर हो चुका है । केस चंडीगढ़ यूनियन टैरेटरी के पास है जिस पर हरियाणा सरकार का कोई दबाव नहीं ।

मलिक मुख्तियार सिंह : चार मैम्बरों को बुला दों ।

वित्त मन्त्री : चार मैम्बरों के बारे में तो डिसिजन हाउस का है और वह भी 10— 11 वोटों की मेजारिटी से ।

राव बीरेन्द्र सिंह : मैजोरिटी रखने के लिए तों हमारे चार मैम्बरों को निकाला है ।

मुख्य मंत्री : गिनती सीख आओ, फिर सोच लेंगे ।

मलिक मुख्तियार सिंह : यह है इनका एटीच्चूट ।

राव बीरेन्द्र सिंह : आप चलिए, इन्हें एक तरफा कार्यवाही ही करने दो।

.... (शोर).... (विरोधी दल के सब सदस्य बाहर चले गए)

DISCUSSION ON HARYANA APPROPRIATION BILL, 1969
(RESUMPTION)

वित्त मन्त्री (श्रीमती ओम प्रभा जैन) : माननीय स्पीकर साहिब, अपोजीशन फो जाना था, कोई न कोई बहाना मिल गया और चले गए । माइनौरेटी को छुपाने का बड़ा अच्छा तरीका है ।

श्री अध्यक्ष : बहिन जी, अब भी आपको जरूरत है स्पीच देने की ?त

विस मन्त्री : यही मैं सोच रही थी । जिन भाइयों की बातों का मुझे जवाब देना था, वे तो चले ही गए । अब मुझे आपसे कुछ नहीं कहना है, इसलिए आप कृपया इस एप्रोप्रिएशन बिल को पास करवा दीजिए ।

Mr. Speaker : Question is -

That the Haryana Appropriation Bill, be taken into consideration at once. The motion was carried.

Mr. Speaker : Now I will put the Bill clause by clause for consideration of the House.

Clause 2

Mr. Speaker : Question is --

That caluse 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Mr. Speaker : Question is--

That clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Schedule

Mr. Speaker : Question is --

That Schedule be the Schedule of the Bill.

The motion was carried.

Clause I

Mr. Speaker : Question is --

That Clause I stand part of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is–

That Title he the title of the Bill.

The motion was carried.

Finance Minister (Shrimati Om Prabha Jain) : Sir, I beg to move :-

That the Haryana Appropriation Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved:-

That the Haryana Appropriation Bill he passed.

श्री बनारसी दास गुप्ता (भिवानी) : स्पीकर साहिब, एपोप्रियशन बिल पर कुछ बाते और चर्चा यहां हाउस में चली, लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि बिल में जो बातें थीं उन पर यहां कोई वाद–विवाद नहीं हुआ । विरोधी दल के नेताओं पर मुझे खेद है कि वे उठ कर चले गये । राव साहिब बहुत सुलझे हुए राजनीतिज्ञ है' और उनका काफी पुराना तजरुबा है, मुझे उनसे बड़ी आशा थी कि वे हाप्रोप्रियेशन विल पर जो कि एक बड़ा महत्वपूण बिल है रुस पर कोई कंकरीट क्रीटिसिज्म हाउस में पेश करेंगे लेकिन उन्होंने सब पोलिटिकल बाते की और पोलिटिकल चीजें भी बहुत निम्न–स्तर की । यह कहते हुए मुझे कोई झिझक नहीं होती, अभी जिस मानयोग सदस्य का मामला तीन–चार रोज सें हाउस में चल रहा है आज वे सौभाग्य से हाउस में पेश हुए । स्पीकर साहिब, लज्जा के मारे हमारा सिर झुक. जाता है जब इस हाउस में एक अफवाह, एक झूठी कहानी कहलवाई जाती द्र । मै तो केवल एक सबमिशन करना चाहता हूं कि को स्टोरी जोगिन्द्र सिह के बारे में, मेरे आनरेबल साथियों ने यहां पेश की है उसका एक हिस्सा मैं आपके सामने रखना चाहता हूं । मेरे साथियों ने उनकी जबान से यह कहलबाया कि जोगिन्द्र सिंह को चीफ मिनिस्टर की कोठी पर ले जाया गया और चीफ मिनिस्टर साहिब ने कोका कोला के बहाने कुछ उनको पिलाया । मैं स्पीकर साहिब, दावे के साथ कह सकता हूं और यह एक महत्वपूर्ण घोषणा करता हूं कि अगर राव साहिब जो हमारे हिन्दू धर्म का पवित्र ग्रन्थ गीता

है उसको हाथ में ले कर हाउस में यह कह दें कि मैं गीता में विश्वास करता हूं और जोगिन्द्र सिंह चीफ मिनिस्टर साहिब के घर गया था तो मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूँगा ।

श्रीमती शारदा रानी कुंवर (बल्लभगढ) : स्पीकर साहिब, कहना तो बहुत कुछ चाहती थी, परन्तु जिन से कहना चाहती थी वे उठ कर ही चले गये लेकिन फिर भी मुझे आशा है कि मेरी आवाज उन तक पहुंच जायेगीं ।

आदरणीय स्पीकर साहिब, इस एप्रोप्रियेशन विल पर जो बहस चल रही है उसको ले कर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के विष्य में काफी कुछ कहुंगा गया । जनरल एडमिमिस्ट्रेशन एक ऐसा टापिक है जिसमें किसी भी प्रकार की टीका–टिप्पणी की जा सकती है । सन् 1967 में जिस समय मार्च या अप्रैल के महीने से संयुक्त दल की गवर्नमैटं थी उस समय हमारे माननीय सदस्य कहते है कि सरकारी कर्मचारियों पर बड़ा दबाव डाला जा रहा है । आदरणीय अध्यक्ष महोदय उस समय को याद करें जब सन 1967 में समयूक्त दल की गवर्नमैंट थी हमारे पास इस बात के उदाहरण मौजुद हैं जो सदस्य उस समय औहदों पर बैठे हुए थे वे उन अफसरों को आर्डर देते थे और वह आर्डर उनसे रातों–रात कम्पलाई करवाये जाते थे । हमारे पास उदाहरण हैंजो ट्रांसफर और दूसरे हेर–फेर उनके टाईम में हुए हैंवे हरियाणा के इतिहास में अविस्मरणीय हैं और अन्तकाल तक रहेंगे । किस तरह वह लोगो के घरों पर छापे मरवाते थे किस तरह मजबूर करते थे अफसरों को इस विषय में

गुड़गांव की एक महिला डि० कमिश्नर ने जो उनका उत्तर दिया था वह भी हरियाणा के इतिहास में लिखें जाये या गए है ।

स्पीकर साहिब, उन्होंने यहां हाउस में एक सदस्य की गिरफ्तारी की चर्चा की, कि उसकी गिरफ्तार कराया गया । उस समय उन्होंने भी एक सदस्य को गिरफ्तार कराया और अब वह सदस्य उनकी पार्टी में है । पहले हमारे साथ होता था ।

स्पीकर साहिब, उन्होंने फैमिली प्लैनिंग के विषय को ले कर बड़ा कुछ कहा । फैमिली प्लैनिंग से यह हो गया है, वह हो गया । मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि हमारे यहां फैमिली प्लैनिंग से मेरी तहसील बल्लभगढ के अन्दर इस अभियान ने प्रथम स्थान प्रांत किया है किन्तु लोगों के साथ कोई नाजायज केस नहीं हुआ । लेकिन उनके समय में हमारी तहसील में नाजायज तरीके बरते गए । अब वे हमें दोषी बनाना चाहते है', उस समय मेरे ही यहां कई केस ऐसे हुए, जो नाजायज थे । उन्होंने गवर्नमैंट के विषय में कहा कि ये कुर्सी से चिपका रहना चाहते है । मै इन से पूछना चाहती हूं कि उस समय जब इनकी सरकार थी क्या ये उस समय कुर्सी से चिपका रहना नहीं चाहिए थे? जैसा उदाहरण इन्होंने पेश किया ऐसा तो कोई भौ नहीं मिलता । यह कहते हैंकि कांग्रेस की गवर्नमैटं हरियाणा का सत्यानाश करना चाहती है । क्या उस समय उनकी कुर्सी की हविस ने सारे उत्तर भारत का सत्यानाश नहीं कर दिया है और जो करोड़ों रुपये का इलैक्शन में यह नुक्सान हो

रहा है यह करोड़ों रुपया उत्तर भारत के निर्माण के कामों मे नहीं लगाया जा सकता था?

यहां पर इस पवित्र जगह में ये झूठी बातें कहते हैं । अगर यहां इस पवित्र जगह में भी इतनी गलत बातें कहते हैं तो हमारा सिर नीचे को हो जाता है कि इस पवित्र हाउस के अन्दर भी हम झूठ बोलते हैं । हमें शर्म आती सै । अभी चौधरी चान्द राम जी ने कांग्रेस गवर्नमैटं के विषय मे कहा कि यह गवर्नमैंट बीस साल में भी कुछ नहीं कर सकी । तो में चौधरी चान्द राम जी से यह पूछना चाहती हुं कि बीस साल तक तो स्वयं ही इस कांग्रेस की गद्दी पर बैठे रहे थे और अब उनको 15—20 साल के बाद की बातें याद आ रही हैं । अब वे कुर्सी पर नहीं हैं इसलिये आज हरिजनों के लिये जो कुछ हो रहा है वह सब बुराईयां नजर आने लगी हैं, सारी कमियां नजर आने लगी हैं । ये कमियां या बुराइयां इसलिये नजर आ रही हैं कि वे स्वयं कुर्सी पर नहीं हैं । व अब एक साधारण मैम्वर हैं । मैं तो यह कहती हूं कि हरिजनों के लिये अब जो कृछ किया जा रहा है पिछले कई वर्षों मैं वह नहीं कर सके । मेरे इलाके मे बहुत पिछडे हुए हरिजन है' । उनकी सुविधा के लिये पहले किसी भी प्रकार के उद्योग धंधे और पानी की व्यवस्था नहीं थी लेकिन इस समय मुझे पता हूँ कि जो लाखों रुपया कर्जे के रूप मे उनको उद्योगधधे स्थापित करने के लिये दिया जा रहा है और काफी प्रोत्साहन मिल रह। कस । अब जो कुछ हो रहा है हमारी आंखों के सामने हो रहा है और सभी हरिजन भाई भी

जानते हैं । फिर भी कुछ बातें है जो यहां कहना चाहती हूं । एरिया का एप्रोप्रिएशन बिल मे जिक्र कर देना चाहती हूं । इम्बैंकमैंट का मामला एप्रोप्रियेशन बिल में आया कि जमना अपने आस पास की जमीन को तोड़ती हुई जाती है जिसके कारण आमपास के कई गांव हैं उनको काफी बुरी हालत है । उन लोगों को रहने के लिये मकान नहीं है, उनके गांव हूर साल तबाह हो जाते हैं इसी प्रकार दो–तीन गांव हमारे बल्लभगढ क्षेत्र के हैं न उनको पंचायत की तरफ से जमीन मिली है न सरकार को तरफ से कोई प्रबन्ध किया गया है । इसी प्रकार से 14– 15 गांव खाद्दर के इलाके मे हैं वहां पर एक डिस्पेंसरी थी बाढ़ के कारण वह टूट गयी थी परन्तु पिछली जो राव साहिब की सरकार आयी उसने उसको बिल्कुलही खत्म कर दिया और वहां से दवाईयां वगैरह सब कुछ उठा ली । जिसके कारण उस इलाके के लोगों को काफी दिक्कत हो गई है । इसलिये मैं सरकार से निवेदन करूंगी कि इसको फिर से चालू किया जाये ।

स्पीकर साहिब, पिछली राव साहिब की गवर्नमैंट कितनी लोकप्रिय थी यह तो सबको विदित है उन्होंने उसे बढ़ाकर वहुत चाहा कि किसी प्रकार स्थिर बनी रहे । किन्तु वह स्थिर रहने योग्य नहीं रह सकी । अब इन्होंने कहना आरम्भ कर दिया कि यह सरकार शासन चलाने योग्य नहीं है इसे रहने का कोई अधिकार नहीं है । स्पीकर साहिब, उनके कहे अनुसार यह गवर्नमैंट शासन चलाना छोड़ तो सकती टस किन्तु वह सौंपा किस को जाये । इस

सरकार से अधिक जनता के भले की भावना रखने वाली सदस्य और इनसे अधिक जन प्रिय सदस्य दिखाई पड़े तो उन्हें सरकार शासनधिकार सौंप सकती है । अभी इन्होंने एक मैम्बर साहिब से गलत बातें कहलवा कर फिर गवर्नमंट के खिलाफ प्रोपेगंडा करने की कोशिश की और ज्यादा हवाला इस चीज का दिया गया कि साहिब उनको रात को रिवाल्वर का लाइसेंस दिया गया । स्पीकर साहिब, यह तो छोटी सी गर्वनमैट है अगर बह दिन रात काम न करेगी तो फिर काम कैसे चलेगा । अगर मिनिस्टरों की लम्बी चौड़ी फौज बना कर हरियाणा का सारा बजट उन पर ही खर्च कर दिया जाए तो फिर हमारी स्टेट की डिवैल्पमेट कैसे होगी । इस लिये हमारी सरकार दिन रात एक करके काम कर रही है ।

अन्त मे मैं अपनी सरकार से निवेदन करूंगी कि हुमारे खादर के इलाके में यह जो रिलीफ वगैरह का फंड है इस में से काफी हिस्सा दिया जाए । जय–हिन्द

चौधरी चंदा सिंह (नीलोखेडी) : स्पीकर साहिब, मैं आप का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप ने आजाद मैम्वरों में से बोलने का मुझे मौका दिया है । अगर आपोजीशन वाले भाई न चले गए होते तो शायद हमें मौका न मिलता । खैर वह चले गए हैं इस लिये जो मौका मिला है रुस मे मैं अपने कुछ विचार हाउस के सामने रखुंगा । सैशन शुरु होते ही सरकार ने अपने सब कामों का चिट्ठा हाउस के सामने रखा उस को देख कर पता चलता है कि सरकार ने बहुत ज्यादा काम किया है । चाहिए तो यह था कि मैम्बर

साहिबान उन के ऊपर कुछ ठोस नुक्ताचीनी करते और अपनी तरफ से कुछ सुझाव पेश करते लेकिन वह उन्होंने नहीं किया, एग्रीकल्चर में तरक्की करने के लिये या व्यास प्राजैक्ट के बारे में कोई सुझाव आता तो कुछ बात बनती लेकिन इस तरफ कोई नहीं गया । स्पीकर साहिब, बिजली का काम हमारे हरियाणा मे इतनी रपतार से हुआ है कि शायद ही किसी और स्टेट में इतनी रफ्तार से हुआ हो । सारे बजट को देखा जाए तो मेरे ख्याल में एग्रीकल्चर और पावर पर 50 फीसदी तो जरूर खर्चा होगा । लेनिक इस को बावजूद भी मै' सरकार का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि अभी भी कुछ ऐसे इलाके हैं जा बिल्कुल सुखे हैं जहां पर कि ट्यूब–वैल भी नहीं लग सकते उन की तरफ तवज्जो देने की जरूरत है । स्पीकर साहिब, गो मै ज्यादा लिखा पढ़ा हुआ नहीं हूं लेकिन फिर भी शिक्षा के बारे मे कुछ अर्ज करना चाहूंगा अंग्रेजों ने शिक्षा का ढंग आम तौर पर यह वना रखा था कि उनको क्लर्क मिलते जाए । हमारी सरकार ने उस में कुछ तबदीली तो की लेकिन इस को और बेहतर बनाने के लिये रिसर्च और खोज की जरूरत है जिस से कि देश में एक तो बेकारी कम हो औंर हमारा देश आगे बढे ।

स्पीकर साहिब, फैमिली प्लैनिंग के बार में मैं बहुत कुछ कहा गया और कई मैम्बरों ने कहा कि खुदा यह चाहता है । लेकिन आप जानते है' कि आजकल मानव क्या से क्या कर सकता है और वह क्या चाहता है । इसलिये मैं समझता हूं कि फैमिली प्लैनिंग को

अगर खुदा के भरोसे पर छोड़ दिया जाए तो पता नहीं बात कहां से कहां पहुंच जगर ।

श्री अध्यक्ष : टाईम हो गया है, आप एक मिनट और बोल सकते हैं ।

चौधरी चंदा सिंह : स्पीकर साहिब, मैं एक मिनट में खत्म करता हुं । मैं निवेदन करूंगा कि हम को यह चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि हमारी जरूरतें कौन सी हैं और हम ज्यादा से ज्यादा काम किस तरह कर सकते हैं । हम को यह देखना चाहिए कि जो डिवैल्पपिग स्टेट है उस को उसारने के लिये वर्किग मे' क्या क्या तबदीलियां करनी चाहिएं जिस से थोड़े समय में और थोड़े से पैसे से ज्यादा से ज्यादा तरक्की हो सके । मैं यह सुझाव दूंगा कि सड़क का एक एक मील का एस्टीमेट निकालना चाहिए और इन्जीनिअर्ज को पूछना चाहिए कि वह कैसे कम से कम खर्चे से बन सकती है । बस मैं इतना कह कर आप का शुक्रिया अदा करता हूं ।

श्रीमती लेखबती जैन (अम्बाला शहर) : स्पीकर साहिब, आप का शुक्रिया आप ने मुझे दो मिनट वोलने का मौका दिया । मुझे आम तौर परवोलने का मौका नहीं मिलता क्योंकि जब बोलना का मौकाहोता है तो आप मुझे चेयर मे बैठा कर चले जाते हैं । आखिरकार मुझे भी लोगों ने चुन कर भेजा है और मेरे वोटर्ज भी कुछ चाहतेहैं कि भै' उन के लिए कुछ कहूं । फिर बात यह हें कि

बाहैसियत डिप्टी स्पीकर मुझे मर्यादा के अन्दर ही रहना पड़ता है गो मैं पार्टी की मंम्बर हूं । मैं ने आपोजीशन के बारे में कुछ कहना तो नहीं था न इ नकी बातों का जबाव देना था इसलिये मैं सिर्फ अपनी गवर्नमैंट को ही कुछ कहुगी ।

मैं पहली बात तो यह कहना चाहती हूं कि जब राव साहिब की सरकार बनी थी तो उन्होंने बहुत से ऐसे काम किए जो कि जनता को पसंद नहीं थे । मिसाल के तौर पर उन्होंने ओल्ड– एज पैंशन बन्द कर दी थी लेकिन हम ने इलैक्शन लड़ते वक्त लोगों के। यकीन दलाया था कि हम अगर पावर में आ गए तो हम फिर ओल्डएज पैन्शन जारी कर देंगे । इस लिए मैं गवर्नमैंट को कहूंगी कि ओल्डएज पैन्शन जरूर जारी कर देनी चाहिए क्योंकि इस की बहुत जरूरत है। स्पीकर साहिब, अगर किसी को खाना न मिले तो और बात है लेकिन अगर भूखे के आगे खाना रख कर उठा लिया जाए तो वह अच्छी बात नहीं होती । जिन बूढ़े आदमियों को पैन्शन दी जाती थी उनको अगर अब न दी जाए तो यह अच्छी बात मात्म नहीं पड़ती और न ही यह मुनासब है ।

मै देख रही हूं कि टाईम हो रहा है लेकिन एक चीज की तरफ मैं और ध्यान दिलाना चाहती हूं । जहां तक' को–आप्रेटिव सुसाइटीज का को–आप्रेटिव डिपार्टमेंट का सम्बन्ध है हम इस चीज को बहुत पसंद करदे हैं और इसकी बड़ी सख्त जरूरत है । लेकिन कई चीजें ऐसी हैं जैसे को–आप्रेटिव डिपार्टमैंट के स्टोर खुले हुए हैं । उनकी तरफ खासतौर पर ध्यान दिलाना चाहती हूं । बाजार में

जो छोटे बनिये चीजें बेचते हैं वह कैसे गुजारा करते हैं उनकी तरफ भी हमें देखना चाहिए । कोई जमीन का काम करता है कोई हाथ से काम करता हे कोई दुकान का काम करता है और कोई कारखाना लगाता है और इस तरह अपना गुजारा करते हैं । आज गवर्नमैंट हर चीज की दुकानें खोलना चाहती है तो खुशी से खोले लेकिन उन दुकानों से जनता को फायदा भी होना चाहिए । यह जो सरकार ने स्टोर खाले हैं इन में कितने ही मैनेजर और सेल्जमैन रखे हुए है' जिनको काफी पैसा तनखाह की शक्ल में दिया जाता है । में पूछती हूं कि इतना रुपया किस लिये खर्च करते हो एक तरफ तो छोटे दुकानदारों. का रोजगार छिनता है और दूसरे जनता को भी कोई लाभ नहीं हो रहा है । आप वहां स्टोर पर जा कर देख लें । कपड़े का थान दिखाते हुए उनको सुस्ती आएगी और काफी ढील ढाल से कहेंगे कि क्या खरीदना है. ....

वित मंत्री : स्पीकर साहिब, एक बजने बाला है या तो आप टाटूम एक्सटैड कर दें... श्रीमती लेखवती जैन रू मैं अभी खत्म करती हूं' और इतना ही कहना चाहती हूं जहां तक राशन का ताल्लुक है वह ठीक है खोले बेचे और इस पर सरकार का पैसा भी ज्यादा नहीं खर्च होता है लेकिन जौ दूसरी चीजें हैं उनके स्टोर खोलना मैं समझती हूं कोई फायदा– मन्द चीज नहीं है और हम को इनकी जरूरत नहीं है । मैं समझती हूं कि गवर्नमैंट इस तरफ ध्यान देगी ।

मुख्य मंत्री (श्री बंसी लाल) : स्पीकर साहिब, आज सदन में एक सदस्य ने कहा कि वह मेरे घर आए और उनको कोका कोला पिलाया गया वगैरह वगैरह । मैं उसके बारे में कुछ थोड़ा कहना चाहता हूं । आनरेबल मैम्बर जिन्होंने मेरे ऊपर अलजाम लगाया उनका मेरे घर आना तो दरकिनार रहा मैंने उनको शकल से भी देखा है तो हाउस में ही देखा है । न कभी वह मेरे घर आए और न ही मेरे दफतर आए और उन से मेरा कभी किसी किस्म का मिलने का इत्तफाक भी नहीं हुआ और न ही उन के आने जाने से मेरा किसी किस्म का ताल्लुक है । यह आपोजीशन पार्टी वालों की मन घडत कहानी थी कुछ अर्सा मैम्बर को बाहर रखाओर अब अपने आप उसे हाउस में पेश कर दिया और जो मन में आया कहलवा दिया । यह कहानी निराधार है और बेबुनियाद है । इसके साथ साथ और याद दिला दूं कि पिछले दिनों आपोजीशन के लीडर राव बीरेन्द्र सिंह जी ने यह भी कहा था आन दी फ्लोर आफ दी हाउस. कि पंडित रामधारी को जब हार्ट अटैक हुआ था तो चीफ मिनिस्टर ने धमका कर दस्तखत करवा लिये । स्पीकर साहिब, आपको उनका जो लैटर आया हे वह पंडित राम धारी गौड के अपने हैड राइटिंग से लिखा हुआ है और दूसरा लैटर जो मुझे लिखा वह भी उनके अपने हैंड राईटिग में है जिनके बारे में राव साहिब ने कहा था कि हार्ट अटैक से पड़ा हुआ है उसके दस मिनट बाद वही मैम्बर साहिब पंडित राम धारी गौड हाउस में बैठे हुए थे. आपोजीशन को आदत पड़' गई है झूठी कहानियां बनाने की किसी न किसी तरह सरकार को बदनाम किया जाए और व्लैक

मेल करने का तरीका बनाया हुआ है । सदन अच्छी तरह से जानता है पब्लिक अच्छी तरह से जानती है....

श्री अध्यक्ष : टाइम हो रहा है ।

मुख्य मंत्री : राव बीरेन्द्र सिंह और उनके साथी लम्बे लम्बे कलेम करते रहे कि उनकी मेजोरिटो है और वह गवर्नमैंट टापल कर दैंगे । जब इन के सारे ही कलेम झूठे हो गए और झूठ सदन के सामने जाहिर त्रो गया तौ इन चीजों को चलाना चाहते हैंऔर ऐसे हात्रात पैदा करना चाहते है (विध्न).... मैं समझता हूं कि उन लोगो के कहने से और उन लोगों के हालात पैदा करने सें न हाउस डिजाल्व हो सकता है और न गड़ बड हो सकती है । अगर अपोजीशन चाहती है कि गैर कानूनी तरीके अख्तियार करे और गलत ढंग से चत्ने तो गवर्नमैंट तो ला एंड आर्डर मेनटेन करने के लियें पाबंद सैं और उसे करना पड़ेगा । यह झुठे अलजाम सरकार पर लगाए जाते हैमे चेयर से प्रार्थना करूंगा कि इस किस्म की गलत चीजें मम्बरो को कहने से रोका जाए ।

Mr. Speaker : Question is—

That the Haryana Appropriation Bill be passed.

The motion was carried.

Mr. Speaker : The House stands adjourned till 2.00 P.M.

on Monday the 10th February, 1969.

1.00 P.M.

(The Sabha then adjourned till 2.00 P.M. on Monday the 10th February, 1969.)